हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 अप्रैल, 1984

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 2 अप्रैल, 1984

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(16)1
नियम 45 के अधीनसदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(16)38
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(16)67
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– श्री लछमन, गोहाना निवासी के साथ हुई घटना संबंधी	(16)69
बिल्ज– (1) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984	(16)69
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा	(16)106
दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(16)107

वाक आउट	(16)109
दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(16)109
बैठक का स्थगन	(16)115
दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 (पुनरारम्भ)	(16)115
(ii) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984	(16)119
बैठक का समय बढ़ाना	(16)122
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984 (पुनरारम्भ)	(16)122
बैठक का समय बढ़ाना	(16)127
(iii) दि हरियाणा एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1984	(16)128
(iv) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984	(16)131
(v) दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1984 (विद्ड्रान)	(16)133

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 2 अप्रैल 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ मे दोपहर बाद 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, अब सवाल होंगे।

National Permits

***543. Chrimati Chandravati:** will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the names and addresses of the persons belonging to haryana State issued National permits during the years 1981-82 and 1982-83;

(b) whether any persons belonging to the States, other than the State of Haryana have been issued National permits out of the State quota; if so, the names of the States to which such persons belong; and

(c) whether any of the States, as referred to in part (b) above, have issued National permits out of their quota to any persons belonging to the State of Haryana; if so, the names and addresse of all such persons?

Transport Ministr (Col. Rao Ram Singh):

(a) Statements at Annexure 'A' & 'B are laid on the Table of the House.

(b) & (c) No.

Annexure 'A'

List of persons belonging to Haryana State who have been issued National permits during the years 1981-82

Sr. No.	Name & Address
	S/Shri/Smt.
1	H.K. Chadha w/o Jaidwv Singh, 5869/3, Ambala City.
2	Inderjit Singh s/o Jaidwv Singh, 5869/3, Ambala City.
3	H.K. Bansal s/o Prithvi Nath, 8986/5 Naya Bas, Ambala City.
4	Pramjit Singh s/o Sukhdev Singh, 707/1, Ambala City.
5	Amrik Singh s/o Mitha Sijngh 689/1, Ambala City
6	Prahlad Singh s/o Attar Singh, 1013/1, Ambala City

7	Smt. Tarvinder Kaur w/o Prahlad Singh 1013/1, Ambala City
8	Surjan Singh s/o Bishan Singh Moh. Jatan, Ambala City
9	Jagjit Singh s/o Sarjan Singh Moh. Jattan, Ambala City
10	Bimal Kishore, Satish Kumar Anand Gali, Shabad (M)
11	Pawan Kumar s/oHarsarup Aggarwal, Near C.H. Shahbad (M)
12	Manmohan Singh s/o Khan Singh, 917/1, Ambala City
13	Satinder Kaur w/o Manmohan Singh 917/1, Ambala City
14	Kulwan Singh s/o Chanan Singh V.Dolra, P.O. Ladwa
15	Jagsher Singh s/o Jagir Singh V.Ban (Kurukshetra)
16	Hazara Singh s/o Ram Singh, 459-L, Model Twon, Y.Nagar
17	M/s Sabharwal Carriage Co., 306 M.T. Ambala City
18	Parmod Kumar s/o Prithvi Raj, 394-R, Model Town, Panipat
19	Joginder Singh s/o Balwant Singh Old Hamida, Y.Nagar
20	Kirpal Singh s/o Inder Singh, 119/1, Ambala City
21	Fateh Chand Vij s/o Mohan Lal, 394-RMT, Panipat
22	Prithvi Raj s/o Mohan lal, 394 M.T., Panipat
23	Ashok Kumar s/o Ramesh Kumar, 48 Haryana Motor

	Market G.T., Road, Ambala City
24	Vishwa Chander s/o Dina Nath c/o Automobile G.T. Road, Ambala City
25	Chaman Lal Ahuja s/o Mool Chand Guru Gopal Nagar (Ram Nagar) Behind Hari Place, Ambala City
26	Avtar Singh s/o Saran Singh V. Patana, Teh. Pehova
27	Hari Singh s/o Munsi Ram V.Kamhal Distt. Ambala
28	Jaidev Singh s/o Attar Singh, 5869/3, Ambala City
29	Ved Bharat Bhatia S./o Bhagwan Dass 441 Houseing Board, Karnal.
30	Surjit Singh s/o Harnam Singh, 597 Ganpat Road, near Sant Guruduwara Y. Nagar
31	Shiv Nath s/o Banarsi Dass, New Grain Market, Ward-2, Ladwa.
32	Jaswant Rai s/o Kapoor Chand C/o Truck Union, Ladwa
33	Shadi Lal s/o Sukhdev Singh, M.T. 129 Colony, Y.Nagar
34	M/s Charan Dass, Charan Jit Singh, 526, M.T. Karnal
35	Harbir Singh s/o Gurmukh Singh, Preet Nagar, Ambala City
36	Jawala Singh s/o Siba Singh 124 Grand Hotel, Ambala Cantt

37	Gian Parkash s/o Nanak Chand Ward No. 7, H418 V.Radaur, Kurukshetra
38	Vinod Kumar s/o Garanjit Lal, Sadar Bazar, Karnal
39	Karam Chand s/o Tala Ram 725 M.T. Karnal.
40	Shashi Pal s/o Mangal Dass. 505, Model Town, Karnal
41	M/s Kartar Chand joginder Pall V.P.O. Matori Khokan, Ambala
42	Mukan Lal & Sons Sadar bazar Near Police Chowki, Karnal
43	Bindra Parnami B.223 M.T., Karnal
44	Lajpat Rai s/o Suraj Bhan c/o Truck union Karnal
45	Beni Parshad s/o Chaju Ram c/o Mittal Automobile, Railway Road, Kurukshetra
46	Devinder Kumar s/o Nand Kishore, V.P.O. Ugala, Distt. Ambala
47	Rajender Kumar s/o Chuni Lal Railway Station, Barara
48	Rajender Pal Krishan lal 9003/5 Ambala City
49	Jagdish Kumar s/o Bahadur Chand 1002/1, Ambala City
50	Satish Kumar s/o Sodagar Mal Gulati 101/1, Ambala City
51	Ravinder Kumar s/o Duni Chand, V.P.O. Panchkula, Ambala
52	Jagtar Khan Singh, Gharaunda

53	Tirt Lal s/o Bahadur Chand 155 Ward No. 2, Gharaunda
54	Harinder Singh s/o Ajit Singh 33 Goshala Building Ambala Cantt
55	M/s Ajit Singh Davinder Singh Dayal Bag, R-31 M.Nagar Ambala Cantt
56	Gosainarain Puri s/o Lachhman Puri, 1031, Kashwa Road, R.Nagar, Karnal
57	Ved Parkash s/o Lachhman Dass, Jndla Gate, Karnal
58	Mohinder Singh s/o Sunder Singh, V.Barara, (Ambala).
59	Surinder Kumar s/o Harbans Lal, V.Kakru, Ambala
60	Ashok Kumar s/o Baldev Raj 28-A, M.T., Karnal
61	Rakesh Kumar s/o Ved Parkash, Gharaunda
62	M/s Surinder Jit Singh, Mohinder Singh 32 Prem Nagar, Karnal
63	Ashok Kumar s/o Rithi Ram, Pahawn Goods Transport Co., Y.Nagar
64	Raj Kumar s/o Harbans Lal 161/7, Panipat
65	Gurmit Singh s/o Hardam Singh 992/5, Mohan Nagar, Kurikshetra.
66	Ramesh Kumar s/o Chandi Ram, Kamla Nagar, M.T., Y.Nagar.

67	M/s Meham Singh Ashok Kumar Pehlwan Good Transport Co., Y.Nagar
68	Nanak Chand s/o Bhagwan V. Kakru
69	M/s S.K.S. Carrier 5345 Mahabir Swami Marg, Ambala Cantt
70	Mikha Singh & Rajinder Singh I Onkar Good carier, kaithal
71	Mikha Singh S/o Ujagar Singh, I Onkar Good Carriier, Kaithal
72	Jagan Nath s/o Daya Ram c/o Truck Union, Y.Nagar
73	Manjit Singh S/o Balkar Singh, H.No. 88, Ward No. 1, Guru Nanak Colony, Pehowa
74	Bishan Dass s/o Ghansham Dass, Randhir Lane, Karnal
75	Surta Ram s/o Ram Lal Sabji Mandi, Shabadad
76	Jasbir Singh s/o Gurcharan Singh 631, M.T. Karnal
77	Sardar Singh s/o Joginder Singh c/o Truck Union Y.Nagar
78	Hukum Chand s/o Bhagwan Dass 625/9, Panipat
79	Urmila mehta s/o Shashi Pal, 505 M.T. Karnal
80	Ashok Kumar s/o Faquir Chand, 505 M.T. Karnal
81	Tilak Raj s/o Kubhai Ram 426/27 Baldev Nagar, A/City
82	Mohan Lal s/o Gurbachan Singh, 131, Dayal Singh Colony, Karnal

83	Shiv Shakat Singh s/o Arjun Singh 286/5 Sadhu Manoi, Kurukshetra
84	Ravinder Singh s/o Sawaran Singh Dhilon Panjabi Moh. Ambala Cantt.
85	Nand Lal Sethi s/o Devidayal 4 Amrit Nagar, M.T. Ambala City
86	Kewal Krishan Ramji Dass, V. Kakru, Ambala
87	Dharam Pal and Ram Lal 4352, 3-Ambala City
88	Darshan Kumar Buta Ram, Kaithal
89	Natha Sijgh s/o Asha Ram SRE Road, Y.Nagar
90	Ashok Kumar Shiv narain, Barara
91	Surinder Singh s/o Bhagat Singh, 50, Bishnu Sarup Colony, Panipat
92	Ram Singh s/o Bhagwan Singh, V. Kakru. Ambala
93	Nirmal Kumari w/o Rajinder Kumar, Karnal
94	Rajinder Singh s/o Shiv Ram, V. Jhanjhora, Kaithal
95	Prem Chand Krishan lal, Barwala.
96	Kirpal Singh s/o Nand Singh, 58/1, Ambala City
97	Didar Singh Hardit Singh, New Universal Auto G.T. Road, Karnal
98	Ramji Dass s/o Mala Ram, V. Kakru, Ambala

99	Haryana Milk Food, Pehowa
100	Sewa Singh Baru Ram V. Gudha Karnal
101	Madan Lal Sai Das, Ambala City
102	Inder Singh Bhagwan Singh, 14 Club Colony, Karnal
103	Atam Parkash Tahaldass, G.T. Road, Ambala City
104	M/s Sada Ram Paramjit Singh, c/o Truck Union, Ambala City
105	Chandan Ram Yashpal Singh, Manmohan Nagar, Ambala
106	Om Parkash Ujagar Singh, Ambala
107	Gian Chand Gurdas Ram c/o Truck Union, Y.Nagar
108	Gurdial Singh s/o man Singh, v.Karampura, Kalka
109	Suresh Kumar Norti Ram, Kurukshetra
110	Rajinder Kumar Rameshwar Dass, V. Badami, Kurukshetra
111	Harjinder Singh Phoman Singh Prem Naga, Ambala
112	Dhanpat Ram s/o Suraj Bhan Kaithal
113	Chuhar Singh s/o Harbans Singh, Tarawari
114	Surinder Kumar Anil Kumar C22/B, Nehru Ground, N.I.T., F.Bad.
115	Manmohinder Pal Singh s/o Balwant Singh, R57/N. New Colony, Guraon

116	Ramdev S/o Kura Ram 32, Gita Colony, Sonepat
117	Manohar Lal s/o Thakur Dass 31-R, Model Town, Sonepat
118	Hoshiar Singh s/o Parhlad Singh Vill. Bala Kalan, Teh. Narnaul
119	Raghubir Singh s/o Sukhdev V.Bhanchauli, M.Garh
120	Rattan Dev s/o Ramnandan V. Matahanhal, distt. Rohtak
121	Sukhpal s/o Ramkanwar H.N. 3, Arya nagar,rohtak
122	Ramkumar s/o Pop Singh H.No. 3/17, Aryanagar, Rohtak
123	Vinod Kumar s/o ram parkash, H.No. 91, Moti Nagar, Palwal
124	Shalu Rm s/o Prabhu Dayal, Near Bus Stand, M. Garh
125	Ram Prakash s/o Bhagwan Dsss, 91 Motinagar, Palwal
126	Kishan Chand s/o Jamna Ram I-A, N.I.T., F.Bad
127	Subash Chand s/o Sabanand Bhatia, A-R 149 New Colony, Palwal
128	Dewan Pritam Dass, s/o Tulshi Dass, 138 New Colony Palwal
129	Mehar Singh s/o Pritam Dass, 296, Railway Road, Bhimnagar, Gurgaon
130	Partap Singh s/o Man Singh K.135, N.I.T. Faridabad
131	Vijai Kumar s/o Prithi Chand, D-137/R, New Colony,

	Palwal
132	Roshan Lal s/o Piare Lal Circullar Road, Rohtak
133	Ram Parkash s/o Tejbhan, 2/329, Tej Colony, Rohtak
134	M/s Gulshan Lal Parmonad Darjjwara, Hodel
135	Lakshmi Narain s/o Jogi Ram 422/7 R. Road, Rohtak
136	Manmohan s/o Krishan Dass, Babra Mohlla, Rohtak
137	Vijai Kumar s/o Devidayal, 247 Ward No. 9, Rohtak.
138	Mangat Rai s/o Hukam Chand, 454/E/6, Harinagar Rohtak
139	Rajinder Kumar s/o Mangat Rai, 454/E/6 Harinagar Rohtak
140	Chander Bhan s/o Gugan Ram 447/7, Babra Mohlla, Rohtak
141	M/s Gian Chna Daulat Ram 1024/63, Jawahar Nagar, Palwal
142	Duli Chand s/o Bishan Sass, 192, Moti Colony, Palwal
143	M/s Harish Chand Madan Lal, G.T. Road, Palwal
144	Manohar Lal s/o Ganeshi Dass 2/A, 47-B.N.I.T. Faridabad
145	M/s Pargat Singh Balbir Singh, G.T. Road, Palwal
146	Attar Singh s/o Lal Singh, V.Garhi Sisana, Sonepat.

147	Krishan Kumar s/o Atma Ram, Anaj Mandi, Rohtak
148	Ramphool Singh s/o Raje Ram, V.P.O. Beri, Rohtak
149	Usha Rao w/o G.K. Rao, 153, Housing Board Colony, Gurgaon
150	M/s Satnarain Kehar Singh 153, Housing Board Colony, Gurgaon
151	Anil Kumar s/o Nand Lal, 880, B III, Kila Mohalla, Rohtak
152	Prit Singh s/o Bharat Singh, Vill. Baliana, Rohtak
153	Rajbir Singh s/o Rattan Singh, V. Garhi Sisana, Sonepat
154	Subhash Malhotra s/o D.N. Malhotra, 1/A-235, N.I.T., F.bad
155	Subash Chand s/o Sunder Dass, Grover Market, Rewari.
156	Ranbir Singh s/o Jit Singh, 139-R, Model Town, Rohtak
157	Ranbir Singh s/o Jit Singh, 139-R, Model Town, Rohtak
158	Bhagwan Dass s/o Rochi Ram 2-A/86, NIT, F.Bad
159	Ramditta s/o Chilu Ram, 15/222 Mohan Pura, Sonepat
160	Manhora Lal s/o Ramdittmal 15/222 Mohan Pura, Sonepat
161	Bharat Bhushann s/o Sat Ram Dass Batra, Vill. Kalanaur, Rohtak
162	Hari Singh s/o Prabhu Dayal, G.T. Road New Civil Hospital, Palwal

163	Ashok Kumar s/o Ramrang, EP-87 Mohalla Khail Khurd, Palwal
164	Gurdev Singh s/o Jagir Singh, New Colony, Palwal
165	Ram Rang s/o Bhagwan Dass, EP-87, Mohlla Khailpur, Palwal
166	Om Parkash s/o Bhagwan Das, Lami cold Store, Jind
167	Bahadur Chand s/o Bhagwan Dass, jhanj Gate, Jind
168	Parminder Singh s/o Munchh Singh, 127, Gurnanak Nagar, Sirsa
169	Ram Kumar s/o Bhagrawat Ram Pgabhu Padam Colony, Hisar
170	Dharam Pal Singh s/o Gudial Singh, 127, Gurnanak
171	Balbir Singh s/o Hazura Singh, 98 band Gate,Sirsa
172	Mitha Singh s/o Jora Singh, V.P.O. chawal Dhani, Sirsa
173	Balbir Singh s/o Hazura Singh, 98 band Gate, Sirsa
174	Upkar Singh s/o Bhagat Singh Guru Nanak Auto Store, Sirsa
175	Tra Singh s/o Jora Singh V.P.O. Chawal Dhani, Sirsa
176	Kiran Gupta Widow of late Sroop Chand Gupta, 32/18, Dogaran Moh. Hissar
177	Vijai Kumar s/o Radha Krishan 32/18, Dogran Moh.

	Hissar
178	Inder Sain s/o Moti Ram, Joti Pura Mohlla, Hissar.
179	Mohan Lal s/o Ramsaran Dass, Joti Pura Mohalla, Hissar
180	Babu Ram s/o Rameshwar Dass, barwala, Hisar
181	Major Harpat Ram s/o Sadhu Ram, 39 Defence Colony, Hisar
182	Vijay Kumar s/o Ram Rikh Shop No. 86, Nai Mandi, Fatehabad.
183	Prem Kumar s/o Chandu Lal 160 Prem nagar, Hissar.
184	Joge Ram s/o Lilu Ram V.P.O. Dhansu, Hisar
185	Mani Ram s/o Shivnarain Vill, Mangli, Hisar
186	M/S Chander Parkash Gurbaksh Munjhal Main Bazar Barwala, Hisar
187	Jagdish Rai s/o Suraj Bhan national Steel Co. Hisar
188	Gian Chand s/o Ram Partap Truck Union, Hisar
189	Sheokaran s/o Ram Partap Truck Union, Hisar
190	Rattan Singh s/o Baga Singh Vill. Haboli, Sirsa
191	Gopi Ram s/o Bagga Ram Vill. Baropal, Hisar
192	Krishan Kumar s/o Gopal Ram V.P.O. Dhangar, Hisar
193	Anil Kumar Gupta s/o Phool Chand Gupta, 541 Automobile

	Market, Hissar
194	Vijai Kumar s/o Phool Chand Vijai Bhagwan, G.M. Hisar
195	Ashwani Kumar S/O Phool Chand Gupta, Super Industries, Sirsa Road, Hisar
196	Harish Kumar s/o Govind Dev 3W Model Town, Hisar
197	Luna Ram s/o Mehar Chand, Shakti Nagar, Hisar
198	Ram Kishan s/o Jawahar Singh V & P Kharkhera, Hissar
199	Sunjit Singh s/o Kanhya Singh V & P Barwala, Hisar
200	Surjit Singh s/o Souza Singh Surinder Motor Electic Works, Dabwsali Road, Sirsa
201	Suresh Kumar s/o Anand Parkash, Sirsa
202	Gurbachan Singh s/o Sardara Singh Govind Nagar, Sirsa
203	Om Parkash s/o Ami Lal Gupta, Patiala House, Nagori Gate, Hissar
204	Barham Datt Sharma s/o Mool Chand Sharma Vill. Guran P.O. Saharawa, Bhiwani
205	Surender Kumar s/o Chander Bhan 4/4 Tilak Bazar, Hisar
206	Gori Shankar s/o Roop Chand V.P.O. Muklan, Hisar
207	Makhan Ram s/o Pat Ram Vill. Baropal, Hisar
208	Dolla Ram s/o Mai Ram Shakti Nagar, Hissar

209	Anil Kumar s/o Sataya Priya Bansi Gate, Hissar.
210	Makhan Ram s/o Pat Ram Vill. Baropal, Hissar
211	Chhabil Dass s/o Amin Chand, Bus Stand, Hissar
212	Rama Nand s/o Bagrawat Singh Siwani, Bhiwani
213	Makhan Lal s/o Brij Lal 155-156 near Bus stand, Hissar
214	Ishwar Singh s/o Surat Singh, V.P. Dumarkhan Kalan, narwana, Jind
215	Dharamvir Singh s/o Dewan Singh, V &P. Dumarkhan Kalan, Narwana, Jind
216	Randhir Singh s/o Desh Raj V & P. Dumarkhan Kalan, Narwana, Jind
217	Gurnam Singh s/o Saudagar Singh V & P. Salorpur, Sirsa
218	Karamvir Singh s/o Megha ram 68/11 Dhani (Barwala) Hissar
219	Banwari lal s/o Bhagirath Manphool Nagar, Hissar
220	Shivnarain s/o Sukh Ram V & P Kanshi, Hisar
221	Satpal s/o Raja Ram, V & P Kaliwas (Hisar)
222	Jagdish Singh s/o Narinder Singh V & P Sobhwala, Sirsa
223	Harbajan Singh s/o Dalip Singh 5/234 Govind Nagar, Sirsa
224	Jagdish Chander S/o Ramdhari Mal Nanakpura, Hansi

225	Dalip Singh s/o Chandgiram Uchana Mandi, Jind
226	Mahavir Parshad s/o Ram Partap Mohlla, Gujran, Hissar
227	Ajit Kumar s/o Parkash Chand, New haryana Ind., Hansi
228	Ram Narain s/o Ram Karan, Vill. Dhangar, Teh. Fatehabad, Hisar
229	Harcharan Singh s/o sohan Singh, Model Town, Hisar
230	Kali Ram s/o Panna Lal, vill. Biroli, Teh & Distt. Jind.
231	Dharam Paul Gupta s/o Chhata Ram Gupta, Sharma Nagar Colony, Jind
232	Krishan Kumar s/o Ladha Ram, 1927/6, Hansi (Hisar)
233	Jai Dev s/o Brij Lal V & P.O. Prithala, Tohana (Hisar)
234	Punjab Singh s/o Ranjit Singh Vill. Uchana Khurd, Jind
235	Kali Ram s/o partap Singh, Esso petrol Pump, Narwana, Jind
236	Manphool Singh s/o Khery Vill. Mohabattpur, Hisar
237	Mohinder Singh s/o Pritam Singh, Kali Zafargarh, Jind
238	Ajit Singh s/o Gugan Ram r/o Ch. Dadri Bhiwani
239	Bir Singh s/o Ram Karan 256, Defence Colony, Hisar
240	Balbir Singh s/o Tek Ram s/o Dadri Bhiwani
241	Dharam Paul s/o Telu Ram r/o Gandhi Nagar, Jind.

242	Hoshiar Singh s/o Nihal Singh, Vill. Kakroli, Bhiwani.
243	Ajit Singh s/o Ujjagar Singh c/o Malap Transport, Sirsa
244	Inder Singh s/o Tek Ram r/o Vill. Sangwa, Hissar
245	Om Parkash s/o Tek Ram r/o Vill. Smalakhan, Jind
246	Om Parkash s/o Raja Ram V. & P. Sarupgarh, Bhiwani
247	Man Singh s/o Prithi Singh, Vill. Muklan, Hisar
248	Krishan Bansal s/o Tulshi Ram V & P. Sarupgarh Bhiwani
249	Dwaraka Das s/o Babu Ram, 414/13, Muklan, Hisar
250	Babulal s/o Hukam Chand, Dadri golden Transport Co. Dadri, Bhiwani.
251	M/s Atma Ram Makhan Lal V & P. Landhri, Hisar
252	Nand Lal s/o Weerbhan 83/4, Patiala Chowk, Jind
253	Ramswarup s/o Harnam Singh r/o Dabra Chowk, Hisar
254	Puran Chand s/o Birbal Dass, Ward No. 10, Mandi Dabwali
255	Badri Ram s/o Shivnarain V & P mangli, Hissar
256	Krisahn Chand s/o Lal Chand 94 Auto Market, Hissar
257	Ramniwas s/o Tara Chand Vill. Uklana Mandi, Hissar
258	Shankar Lal s/o Jamna Lal parkash Padam Colony, Hissar

Annexure 'B'

List of persons belonging to Haryana State who have been issued National permits during the years 1982-83

Sr. No.	Name & Address
	S/Shri
1	Maman Ram s/o Chhotu Ram, Model Town, Hisar
2	Harbilash s/o Umraomal, Dadri golden Tpt. Dadri, Bhiwani
3	Ishwar Dass s/o Rameshwar Dass V & P Kabroad, Jind
4	Balbir Singh s/o Hira Singh, V & P Mandoli, Bhiwani
5	Mairam s/o Man Singh v & P Mandoli, Bhiwani
6	Shrikishan s/o Jagdish Parshad Lohar Bazar, Bhiwani
7	Pahlad Rai s/o Inderdev Vill. Barwala, Hisar
8	Amar Nath s/o Devidayal Batra, Begu Road, Sirsa
9	Balbir Singh s/o Ramparkash, vill. Birthi Kalan, Dadri, Bhiwani
10	Ramdia s/o Mange Ram V & P Allewa, Jind
11	Kali Ram s/o Kapoor Chand R.o Narwana, Jind
12	Dalbagh Singh s/o Pritam Singh, Narwana, Jind

13	Rajpal S./o Neki Ram vill. Allewa, Jind
14	Jalpat Rai s/o Rameshwar Dass V. & P Allewa, Jind
15	Chhattar Singh s/o Mugla Ram Bus stand, Hissar
16	Phusa Ram s/o Ramkaran Dass Anaz Mandi, Hisar
17	Phusa Ram s/o Harlal, Vill. Rawat Khera, Hisar
18	Mahle Ram s/o Ram Nath Vill. Simli, Rohtak
19	Rajinder Singh s/o Same Ram Opp. UCO Bank, Kiran Cloth House, Rohtak
20	Sheo Narain s/o Tek Ram vill, Sisot, M. Garh
21	Gobi9nd Ram s/o Banwari lal near bus stand M.Garh
22	Sita Ram s/o Ramji Lal Mohalla Koko, M. Garh
23	Ram s/o Sheo Narain, Vill. Shelog, M.Garh
24	Krishan Lal s/o Mehle Ram V & P. Shimli, Rohtak
25	Hans Raj s/o Sant Lal, Hodel
26	M/s Naresh Chand Bimal Parshad 806/2 Railway Road, Rohtak
27	Balwant Kumar s/o Naurang lal, 806/4 Railway Road, Rohtak
28	Jhongi Ram s/o Shivnath Singh V. & P. Farakhanagar, Gurgaon

29	Narain Yadav s/o Ramditta Mal nai Sabzi Mandi S. No. 10, Rohtak
30	Jailal s/o Dina Ram Vill. Rampura, Rohtak
31	Om Parkash s/o Prithvi Singh Vill. Sunaria, Rohtak
32	Vishamber Nath s.o Nand Lal, 48, Kumra Gate, Sonepat.
33	Raj Singh s/o Raghbir Singh Vill. Jasaur Kheri Rohtak
34	Vinod Kuamr s/o Shanti Sawrupo Durga Colony, rohtak
35	Prithi Raj s/o Dev Raj, vill. Bega, Sonepat
36	Om Parkash s/o Ishardass 3585 Shukurpura, Rewari
37	Ravijit Singh s/o Sant Singh, 36/R, New Colony, Gurgaon
38	Maharam s/o Moti Ram V. & P. Nahar, Rohtak
39	Balbir Singh s/o Prithi Singh jhajjar, Rohtak
40	Ms Rajpal Meer Singh Vill. Kharkhera, Rohtak
41	Ishwar Singh s/o Suraj Mal Vill. Ismial Rohatak
42	Jaipal Singh s/o Suraj mal vill. Ismial, Rohtak
43	Manphool Singh S.o Ramsawrup Vill. Kherwali, Rojhtak
44	Ram Singhs/o mal Ram Vill Kharkhoda, Sonepat
45	Chaman Lal s/o Lahrimal Anazmandi, Rohtak

46	Pawan Kuma s/.o Lahrimal, Gurgaon
47	Ramphool s/o Balraj Vill. Sisana, Sonepat
48	Hanrimohan s/.o Jagdish Rai Dass Batra Vill, Kalanur Rohtak
49	M/s Haryana Sales Dealer Bhatat ratan Road Rotak
50	Jagdish Chand batra s/o Satram Dass batra Vill. Kalanpur, Rohtak
51	Om Parkash s/o Tej singh Vill Bhadurgarh, Rohtak
52	Man Singh s/o Sultan Singh Jhajja Rohtak
53	Mahbir Singh s/o Shrikishan Vill. Goboda Khurd, Rohtak
54	Smt. Mishro devi w/o Ram Singh Vill. Tajupur, Distt Faridabad
55	Mamchand s/o Phool Chand Jhajjar, Distt. Rohtak
56	Ramnarain s/o Tahm Singh Vill. Bansi, Rohtak
57	Ramkishan s/o Tek Ram Vill. bansi, Rohtak
58	Rajinder Singh s/o Gudial Singh Mohalla Mukti Wara Circular Road, Rewari.

श्रीमती चंद्रावती: अध्यक्ष महोदय, 1981–82 मे 258 लोगों को ने ानल परिमिटस दिये थे जिनमे 64 आदमी जिला अम्बाला के हैं इन

मे एक बादमी यमुनानगर का है क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये सब के सब लोग हरियाणा के रहने वाले है या किसी दूसरी स्टेट के भी है? क्या अपने इस चीज को वैफिाई कर लिया है कि यह सभी हरियाणा के है?

कर्नल राव राम सिंहः नै ान परमिटस उन्ही ट्रक ओनर्ज को दिये जाते हे जिनकी रजिस्ट्रे ान हरियाणा मे हो। रजिस्ट्रे ान अथौरिटी नै ानल परमिटस इ ू करते समय इन के एड्रैस चैक करती हैं सब डिवीजन मे ए0डी0एम0 रजिस्ट्रे ान अथौरिटी होते है।

श्रीमती चंद्रावतीः स्पीकर साहब, मंत्री मजहोदय ने मेरे सवाल के पार्ट (बी) और (सी) का जवाब न मे दिया है। मैंने कैटेगरीकली पूछा था कि वे कौन कौन से लोग है जो हरियाणा के रहने वाले है। क्या हरियाणा के बाहर के लोगों को भी नै ानल परमिटस दिये गये है?

कर्नल राम राम सिंहः जो भी परमिटस दिये गये है वह उनही लोगों को दिये गये है जो हरियाणा के रहने वाले है और जिनकी रजिस्ट्रे ान हरियाणा मे हुई है। मेरा ख्याल है बहिन जी के सवाल का यही मतलब है।

श्री अध्यक्षः इनका मतलब यह हे कि पंजाब वालों ने हरियाणा वालों को दिये है या हरियाणा वालों ने पंजाब वालों को दिये है?

कर्नल राव राम सिंहः ऐसा कोइ केस मेरी नालेज मे हनी है कि एक आदमी दो जगहों पर रह रहा हो ओर उसकी नै ानल परमिट

दिया गया हों जिस आदमी की प्रोपर्टी हरियाणा मे हो ओर वह किसी दूीसरी जगह पर रहता हो। इस चीज को न मैंने चैक किया है और न ही मेरी नालेज मे है, एक आदमी की प्रोपर्टी दो जगहों पर होना मुमकिन हो सकता है उसका ट्रक हरियाणा मे भी हो सकता है ओर पंजाब, यू0पी0 राजस्थान वगैरह दूसरी स्टेटस मे भी रजिस्टर हो सकता है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि 1981–82 मे 258 परमिटस और 1982–83 मे सिर्फ 58 परमिटस दिये गये है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन मे ि ाडयूल्ड कास्टस के कितने परमिटस है ?

कर्नल राव राम सिंहः 1981–82 मे ि ाडयूल्ड कास्ट के 4, बैकवर्ड क्लासिज के 10 और 1982–83 मे ि ाड्यूल्ड कास्टस के 7 और बैकवर्ड क्लासिज के 2 है।

चौधरी ओम प्रका ाः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नै ानल परमिटस इ ू करने के लिये क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है ? क्या एक डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनया हुआ है या सारी स्टेट को एक यूनिट बनाया हुआ है? दूसरा मंत्री महोदय बातयेंगें कि रोहतक जिले को इतने कम परमिटस किस हिसाब से दिय है?

कर्नल राव राम सिंहः नै ानल परिमटस सैंट्रल गवर्नमैंट की मिनिस्टरी आफ ट्रांसपोर्ट एलाट करती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्टेट एक यूनिट बन गया। हरियाणा मे तीन आर0टी0ए0 जो

ने ानल परमिटस के लिये एडवरटाईजमैंट करके एप्लीके ान्ज इन्वाईट करते हैं ये तीन आर0टी0एज0 फरीदाबाद, हिसार और अम्बाला मे है। इन आर0टी0एज0 की अपनी अपनी जुरिस्डिक ान है ओर अपने अपने एरिया के लिये एप्लीके ांज इन्वाईट करते है ओर परिमट देते हैं जहां तक क्राइटेरिया का ताल्लुक है, एक गाड़ी जिसने नै ानल पवरमिट लेना हैख एप्लीके ान देने के समय वह चार साल से ज्यादा पुरानी न हो, टैम्पेरी परमिटस यानी इंटर स्टेअ परिमटस देने मे उन्ही लोगो को प्रैफ्ररैंस दी जाती हे जिनका तजर्बा ज्यादा होता है। जहां तक रजिर्वे ान का ताल्लुक है, 20 परसैंट परमिटस ि ाडयूल्ड कास्टस के लिये 10 परसैंट बैकवर्ड क्लासिज के लिये है और एक्स सर्विस मैंन को जनरल कैटेगरी मे ही प्रैफरैंस दी जाती है। बाकी रोहतक जिला के लिये 17 परमिटस यानी कम परमिटस क्यों दिये गये, इसके बारे मे मैं कुछ नही कह सकता।

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि 1981–82 मे 258 परमिटस और 1982–83 मे 58 परमिटस दिये गये। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1982–83 मे इतने कम परमिटस क्यों दिये गये? 1982–83 मे कुल कितनी एप्लीके ांज आई थी, क्या क्राइटेरिया फिक्स हुआ था और जो क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ था, क्या उसका उल्लघंन तो नही हुआ है?

कर्नल राव राम सिंहः कुल कितनी एप्लीके ान्ज आई थी, यह इन्फर्मे ान मेरे पास इस वक्त नही है और न ही यह बेसिक क्वै चन मे पूछा गया है अगर आनरेबल मैंबर अलग नोटिस देकर

पूछेंगे तो मैं जरूर ब्यौरा दे दूंगा। क्राइटेरिया जो फिक्स किया है यह सैंट्रल गवर्नमैंट ने फिक्स किया हुआ है और इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमैंट ने भी कुछ हिदायतें दे रखी है।

श्री राम विलास भार्मा: गेजुअएट ड्राइवर्ज के लिये कोई रिजर्वे ान नही है। आम तौर पर जो खूद ड्राईवर्ज भी हे ओर ट्रक के ओनर भ्री है, उनको प्रैफरैंस दी जाती है। अनएम्पलायड ग्रेजुएट ड्राईवर्ज के लिये कोई रिजर्वे ान नही है।

श्री लछमन सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से या सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से कोई इन्स्ट्रक ान्ज या बैन है जिसके तहत नै ानल परमिटस उन्ही लोगों को दिये जाते है। जो हरियाणा के ही रहने वाले है? क्या दूसरी स्टेट के लोगों को ने ानल परमिटस इ ू करने पर कोई पाबंदी है?

कर्नल राव राम सिंह: यह इन्स्ट्रक ान अंडरस्टुड है क्योंकि हर स्टेट को सैंट्रल गवर्नमैंट ही परमिटस अलाट करती है, हर स्टेट का कोटा अलग अलग होता है। पंजाब के लिये अलग, राजस्थान के लिये अलग, यू0पी0 के लिये अलग और हरियाणा के लिये अलग कोटा होता है। फर्ज करो कोंई आदमी पटियाला का रहने वाला है लेकिन अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रे ान अम्बाला मे करवाना चाहता है तो ऐसा आम तौर पर नही होता। उसको टैक्स उसी स्टेट को देना चाहिए जिस स्टेट का वह रहने वाला है। स्पीकर साहब, 1975 से नै ानल परमिटस इ ू होने

भुारू हुए थे उस समय से ही किसी दूसरी स्टेट के लोगों कोपरमिटस नही दिये जाते।

चौधरी फूल चंदः स्पीकर साहब, हरिजनों के लिये 20 परसैंट कोटा रिजर्व है, लेकिन हरिजनों के लिये कोई कोटा सैक ान नही हुआ है। क्या मंत्री महोदय के ध्यान मे यह बात है कि उनको रिजर्वे ान का कोटा क्यों सैंक ान नही हुआ है? जहां तक मैं समझता हूं, इसका कारण यह है कि हरिजनों के पास पैसा नही है साधन नही है, क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम है या कोई ऐसी स्कीम बनायेगी जिसके तहत हरिजनों को ट्रक खरीदकर दे दिये जायें और वे नै ानल रमिटस का लाभ उठा सके?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, यह बात दुरूस्त है, पिछले सै ान मे और इससे पहले के दो तीन सै ांज मे भी यह बात हाउस के नोटिस मे लाई गई थी। नै ानल परमिट लेने के लिये भार्त यह है कि जब तक एप्लीकैंट के पास अपना ट्रक न हो, तब तक एक नै ानल परमिट के लिये सप्लाई नही कर सकता। हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के पास इतने साधन नही है जिन से वे हरिजन कल्याण निगम हरिजनों के लिये ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिसके तहत हरिजनों को लोन दिया जाये और वे ट्रक खरीदें लेकिनलोन देने मे भी बड़ी हैजिटे ान है क्योंकि वे कहते है कि पहले परमिट अ योर करें। परमिट परमिट नही दिया जा सकता। अगर हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगो को हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लासिज निगम लोन देकर ट्रक खरीदवायेगा तो जो काफी तादाद मे

अनयूटिलाईज्ड कोटा पड़ा हुआ है, उस मे से परमिटस दिये जा सकते है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि 1981–82 मे 258 परमिटस और 1982–83 मे 58 परमिटस दिये गये। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पहले साल मे इतने ज्यादा ओर दूसरे साल मे इतने कम परमिटस अलाट क्यों किये गये ? इसके अलावा सीरियल नं0 36 पर जो नाम लिखा है, क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे है कि यह नाम हमारे किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के किसी रि तेदार का नाम है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): क्या किसी का रि तेदार कोई ट्रक परमिट नही ले सकता? (व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, परमिट अलाट करते समय रि तेदारी देखने का कोई क्राइटेरिया नही है न ही हमारे पास ऐसी म ीनरी है जो इस बात की छानबीन करें कि एप्लीकैंट किसी मिनिस्टर का रि तेदार है या नही। इस लिस्ट मे प्रो0 सम्पत सिंह का रि तेदार भी हो सकता है। इसमे कोई ऐसी बात नही है।

प्रो0 सम्पत सिंहः जनाब मैंने पूछा है कि क्या उनका रि तेदार है या नही? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ये कैसे बता सकते है कि उनका कोई रि तेदार है या नही?

प्रो0 सम्पत सिंह: मैंने यह पूछा है कि क्या ये इनके भाई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी को पता होगा। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I say please sit down. It is very bad on your part, Mr. Sampat Singh, You are Misbehaving. I would not tolerate it. इन्होंने जवाब दिया है कि मुझे पता नही है।

प्रो0 सम्पत सिंह: * * * * * *मैं गांव बता रहा हूं नम्बर बता रहा हूं क्या वे इनके भाई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, यह रिकार्ड न किया जाये। Mr. Sampat Singh, your behavious is indifferent. You should not say like this. Please sit down. (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कर्नल साहब तो बोले ही नही थे कि वे जानते है या नही जानते । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कर्नल साहब ने कहा है कि इन्हें पता नही है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब कभी ऐसी बात होती है तो चौधरी साहब क्लैरिफिके ान देने के लिये स्वयं खड़े हो जाते है। इस बारे मे भी वे क्लैरिफिके ान दे दें। (विघ्न)

Mr. Speaker: Next Question

T.A./D.A. Drawn by Council of Ministers

***575. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of T.A./D.A. drawn by each of the Minister s during the period from December 4, 1983 to December 23, 1983?

सूची

क्रं0	नाम तथा पद	दिसम्बर, 1983 मे लिये गये बिल की कुल राि ा
	सर्वश्री–	रूपये पैसे
1	भजन लाल, मुख्य मंत्री	255–00
2	भाम ोर सिंह, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री	729–00
3	कर्नल राम सिंह, परिवहन मंत्री	550–00
4	राजेन्द्र सिंह खाद्य तथा पूर्ति मंत्री	714–00 (यह बिल मास अक्तुबर,

		नवम्बर, दिसम्बर 2 तथा दिसम्बर 28, 83 से संबंधित है)
5	श्रीमती प्रसन्नी देवी, स्वास्थ्य मंत्री	510—00
6	श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया, उद्योग मंत्री	510—00
7	वीरेद्र सिंह, सहकारिता एंव डैरी विकास मंत्री	510—00
8	कटार सिंह, वित्त मंत्री	510—00
9	कल्याण सिंह, आवास एंव जेल मंत्री	510—00
10	बृज मोहन सिंगला, आबकारी, एवं कराधान मंत्री	510—00
11	लाल सिंह, राज्य मंत्री प ाुपालन	510—00
12	राजे ा कुमार, राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार	510—00
13	चंदा सिंह, राज्य मंत्री परिवहन	510—00
14	रहीम खां, राज्य मंत्री सिंचाई एवं विद्युत	510—00

15	जगदी ा नेहरा, ि ाक्षा राज्य मंत्री	3002—50
16	लछमन दास अरोड़ा, राज्य मंत्री राजस्व	यात्रा भत्ता नही लिया।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब यह जो जवाब मिला है, इसके अनुसार ज्यादातर मंत्री महोदय ने दिसम्बर 1983 मे 510 रूपये ड्रा किये है। जाहिर है कि ये डी0ए0 के लिये होंगे और टी0ए0 इन्होंने नही लिया होगा। स्पीकर साहब, 4 दिसम्बर से लेकर 23 दिसम्बर तक इलैक ान के दिन थे। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर मंत्री साहेबान पार्टी का काम कर रहे हों या नौन औफि ायल टूर पर हो तो क्या डी0ए0 लेना परमिसीबल है या नही?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री साहेबा पाटी का काम करते है तो टी0ए0डी0ए0 नही लेते। आपे देखा होगा कि मैंने दिसम्बर के महीने मे केवल 255 रूपये ले रखे है क्योंकि इलैक ानों मे पार्टी का काम कर रहा था। इसी तरह की बात बाकी मंत्रियो की है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सीरियल नं0 15 पर लिखा हुआ है कि श्री जगदी ा नेहरा ने 3002 रूपये 50 पैसे ड्रा किये है। यह बात कुछ हमारी समझ मे नही आई कि किस हिसाब से यह इतना पैसा बना ?

चौधरी भजन लालः श्री जगदी ा नेहरा जी उन दिनों भाहर गये हुए थे। ये कलकत्ता, इम्फाल और कोहिमा गये हुए थे। वहां ि ाक्ष मंत्रियों का सम्मेलन था। इसमे हवाई जहाज का किराया भी भाामिल है इसलिये टी0ए0डी0ए0 ज्यादा है।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, डी0ए0 10 दिन का ड्रा किया गया है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन दिनों मे मंत्रिगण औफि ाल काम कर रहे थे और पार्टी का काम नही कर रहे थे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, महीने मे तीस दिन होते है। 510 रूपये 10 दिन के डी0ए0 के बनते है। 10 दिन तो उन्होंने सरकारी काम किया होगा।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मैंने इनसे दिसम्बर 4 से लेकर 23 दिसम्बर तक की इंफर्मे ान मांगी थी सारे महीने की नही। अगर इन्होंने यह रा ि ा उन दिनों की ड्रा की है तो इसका मतलब है यह कि naturally they were on official duty and not working for party.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जिन दिनों औफि ायल डियूटी की है उन दिनों का यह चार्ज गया है जिन दिनों पार्टी वर्क किया है उन दिनों का चार्ज नही किया गया है।

श्रीमती बसंती देवी: स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि 10 मिनिस्टरों ने कैसे 510 रूपये के हिसाब से डी0ए0 लिया और बाकी मिनिस्टरों ने कैसे कम या ज्यादा लिया ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 510 रूपये से ज्यादा डी0ए0 ले नही सकते क्योंकि 10 दिन की पाबंदी है।

Shortage of accomodation and staff in the Schools in District Rohtak

***674. Chaudhri Om Parkash:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there are any schools in Beri Constituency as are at present without the requisite number of class rooms and teachers;

(b) if so, details of all such schools togetherwith the steps, if any, taken or proposed to be taken to over come the shortage of accomodation and Staff; and

(c) The criteria formulated by the Government for constructing school buildings in the rural and urban areas inthe State?

Minister of State of Education (Shri Jagdish Nehra):

(a) Yes.

(b) the information is laid ont he Table of the House as Annexure-A.

(c) the information is laid ont he Table of the House as Annexure-B.

Annexure-A

(b) The number of schools without rquisite number of teachers/classrooms is as under:-

Category of Schools	Without requisite No. of	
	Teachers	Class Rooms
Govt. Hr. Sec. Schools	2	-
Govt. High Schools	19	22
Govt. Middle Schools	4	8
Govt. Primary Schools	9	18

Steps taken/proposed to be taken to overcome shortage of teachers/rooms are—

(a) Provision has been made inplan budget for 1984-85 for creactionof new posts of teachers.

(b) Surplus posts will be shifted to the schols requiring more teachers.

(c) Co-operation form the Panchayat Deptt. is being sought for construction of additional rooms and repair of school buildings

Annexure-B

(c) Requirement and availability of funds: In rural areas Panchayats make the school buildings available for all categores of schools and if the building is upto the norms of P.W.D. whese are taken over on P.W.D. books. This problem, however, does not arise in urban areas as there are large numbers of private schools besides Govt. schools and there are sufficient schools buildings in urban areas.

चौधरी ओमप्रका ा: स्पीकर साहब, अनैक चर ए मे स्कूलों की गिनती दी गई है। इनकी डिटेल्ज मै पढ़ कर सुना देता हूं।

पर्याप्त संख्या मे अध्यापकों की कमी आने वाले विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है:—

क्र सं0	स्कूल का नाम	अध्यापक	मास्टर
1	रा0 उ0 वि0 बेरी	2	2
2	डा0 उ0 वि0 जहाजगढ़	—	1
राजकीय उच्च विद्यालय			
1	अछेज पहाडीपुर	3	1
2	बरहाना	2	4

3	ब्रधाना	–	1
4	बेरी (छात्रा)	1	4
5	चिमनी	2	2
6	छुछकवास	4	–
7	दुबलधन	5	1
8	दुबलधन (छात्रा)	5	1
9	डिगल	3	2
10	घोड	–	3
11	दुजाना	–	1
12	गोछी	1	1
13	मदन कलां	1	3
14	महराना	5	4
15	माजरा दुबलधन	1	2
16	सिवाना	1	1
17	सेरिया	2	–

18	खातीवास	2	1
19	खेडी खुमार	1	2
राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
1	बिसान	1	1
2	गंगतान	—	2
3	जोन्धी	2	—
4	पालडा	1	1
राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
1	बागपुर	1	—
2	बरहाना (छात्रा)	3	1
3	बेरी (छात्रा)	4	—
4	बिरधाना	2	—
5	खरोदा	1	—
6	खेड हो ाादार पुर	1	—
7	लाकडिया	1	—

8	माजरा दुबलधन (छात्रा)	2	—
9	सफीपुर	1	—

चौधरी साहब सिह सैनीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अनैक चर बी में बताया है कि गांव और भाहर के स्कूल किस तरह बनते है। स्पीकर साहब गांवों में आम तौरय पर पंचायतें स्कूल बना देती है और पीडब्ल्यूडी से किसी प्रकार की सैंक ान या नक ाा आदि नहीं लिया जाता। क्या मंत्री महोदय जी बतायेंगे कि सारी स्टेट में ऐसे कितने स्कूल पीडब्ल्यूडी ने टेक ओवर किए है और जो स्कूल रह गए है उन्हें क्यों टेक ओवर नहीं किया गया। स्पीकर साहब पंचायतों के पास उन स्कूलों को मेनटेन के लिए पैसा नहीं होता। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्कूल रह गए है उन्हें कब तक टेक ओवर कर लिया जाएगा।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, यह तो मैं नहीं बता सकता कि पीडब्ल्यूडी ने कितने स्कूल टेक ओवर किए हैं और कितने नहीं किए है क्योंकि इसका सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक टेक ओवर करने के कोइटेरिया की बात है उसके बारे में अर्ज यह है कि जो स्कूल पीडब्ल्यूडी के नौमर्ज को पूरा कर लेते है। उनको टेक ओवर कर लिया जाता है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस वर्श गांवों के स्कूलों की कंस्ट्रक ान और

रिपेयर के लिए कितने रूपये सैंक ान किए गए है? आज गांवों में स्कूलों की पोजी ान बडी किटिकल है जिन स्कूलों को डैन्जरस डिक्लेयर किया हुआ है उनकी कई वर्शों से मुरम्मत नहीं हो रही है (विघ्न)।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, रिपेयर के लिए हर साल 90 लाख रूपया होता है। 45 लाख रूपया बिल्डिंग फंड का होता है और 45 लाख रूपया मैंचिग ग्रांट के रूप में गवर्नमैंट देती है जहां तक कंस्ट्रक ान का सवाल है इसके लिये 1983783 में 77 लाख और 1983–84 में 37 लाख रूपये का प्रावधान था।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि भाहरी क्षेत्रों में स्कूलों के भवनों की कोई कमी नहीं है। प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल नगरपालिका के हैं और दूसरे स्कूल गवर्नमैंट के हैं। भाहरों में जहां पर इस कमरे बने हुए थे वहां पर अब एक दो कमरे खडे रह गए। क्या सरकार उन बिल्डिंग को बनाने के बारे में विचार करेंगी?

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, जहां तक भाहरों में पढाई का सम्बन्ध है भाहरों में काफी प्राइवेट स्कूल है जैसे आर्य स्कूल्ज है। उनकी बिल्डिंग ठीक होती है। विज साहब को मैंने पहले भी जवाब दिया था कि जो स्कूल वक्फ बोर्ड की जमीन में है उनकी हालत खस्ता है। मेरा कहने का मतलब यहीं है कि गांवों में प्राइवेट स्कूलों को

बिल्डिंग नहीं होती है और भाहरों में प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंगज होती है इसलिये भाहरों में पढाई के साधन उपलब्ध है।

श्री ए0सी0 चौधरीः मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फरमाया है कि भाहरों में भी ऐसे स्कूल है जहां अकमोडे ान की कमी है और देहात की तो उन्होंने डिटेल दी ही है। अकमोडे ान की कमी मंत्री जी मानते है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कंस्ट्रक्टिव कदम उठा रहे है। मंत्री जी यह कह देते है कि भाहरों में प्राइवेट इस्टीच्यू ान्ज की बिलिंडग ठीक है इसलिये वहां पर बच्चों के बैठने का ठीक प्रबन्ध है। फरीदाबाद में पंजाबी कालोनी है। उसकी आबादी अढाई लाख की है वहां पर सारन हाई स्कूल है। उस स्कूल में केवल चार पांच कमरे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसी इमारतों के लिए क्या प्रावधान करने जा रहे है।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, जो सवाल श्री ए0सी0 चौधरी ने पूछा है इस बारे में पहले भी जवाब दिया गया है कि काफी स्कूलों की बिल्डिंगज की हालत ठीक नहीं है अगले आने वाल साल में यानी 1985 में जो फाइव ईयर प्लान भाुरू होगी उसमें स्कूलों की कन्ट्रक ान के लिए 136 करोड 14 लाख और 75 हजार रूपये की प्रोपोजल दी है। अगर यह प्रोपोजल मंजूर जो गई तो कम से कम एक हजार कमरे बन सकेंगे और स्कूलों की हालत में सुधार आ सकेगा प्लानिंग कमी ान से ज्यों ही मजूंरी आ जायेगी उतनी ही जल्दी से जल्दी काम भाुरू करवा दिया जायेगा।

श्री कंवल सिंहः अभी मंत्री जी ने बताया कि अगर गांव में पंचायत स्कूल की बिल्डिंग बना दे और पीडब्ल्यूडी के नार्मज पूरे हो तो टेक ओवर कर लेते हैं क्या अर्बन एरिया में भी यहीं नार्मज फालो किये जाते है।

श्री जगदी ा नेहराः भाहर और गांवों में कोई फर्क नहीं है। एक ही बात है।

चौधरी रो ान लाल आर्यः मंत्री महोदय ने बताया कि जहां पर पीडब्ल्यूडी के नार्मज पूरे होते हो वहां पर बिल्डिंग को टेक ओवर करते है लेकिन मंत्री जी ने नार्मज नहीं बताये कि वे क्या है? क्या वे नार्मज बताने की कृपा करेंगें।

श्री जगदी ा नेहराः मैं डिटेल्ज तो नहीं बता सकता कि क्या नार्मज है। जो उनकी स्पैसिफिके ान है उसी के आधार पर टेक ओवर करते होगें।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, पीडब्ल्यूडी उन स्कूलों को टेक ओवर करता है जिनके नार्मज पूरे हो लेकिन फलड इफैक्टिड गांव जिनकी आर्थिक हालत ही खराब है पीडब्ल्यूडी के नार्मज पूरे नहीं कर सकते। मेरी बेरी कांस्टीच्यूएंसी में मदाना कलां हाई स्कूल और बिरधाना हाई स्कूल की बिल्डिंग फलड की वजह से तहसनहस हो गई है। क्या सरकार ऐसी बिल्डिंग को टेक ओवर करने के लिए तैयार है?

श्री जगदी ा नेहरा: मुख्यमंत्री जी ने हाउस में एलान किया था कि जो फलड इफैक्टिड स्कूल्ज है उन्हें प्रायरिटी बेसिज पर बनाया जायेगा यानि उनका और जगह से ज्यादा ख्याल रखा जायेगा।

चौधरी हुकम सिंह: स्पीकर साहब जैसा कि चौधरी ओम प्रका ा जी ने बताया कि बेरी हल्के में मास्टर्ज और अध्यापकों की कमी है। यही हालत मेरे हल्के के 15–20 गांवों की है। वहां पर हर स्कूल में मास्टर और अध्यापकों की कमी है इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस कमी को कब तक पूरा करने की संभावना है।

श्री जगदी ा नेहरा: मास्टर्ज और अध्यापकों की जो कमी है वह इस सीजन में यानी सन 1984–85 में करीब करीब हम पूरी कर लेंगें।

Resumption of Housing/Industrial Plots by HUDA

***589. Prof. Samat Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any residential or industrial plots have been resumed in the state by the Haryana Urban Development Authority during the period from 1-1-1980 to date; if so total number thereof; and

(b) whether any plots, out of those referred to in part(a) above, have been re-allotted; and if so, the names and addresses of those persons who have been allotted such plots.

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां, 323 प्लाट।

(ख) जी हां। सूची क तथा ख सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची 'क'

व्यक्तियों के नाम व पता उन्हें 1–1–80 से 24–2–84 तक जब्त रिहाय ी प्लाट नियतन किये गये है।

कंमाक	सम्पदा	सैक्टर	प्लाट नं0	नाम व पता जिन्हें प्लाट नियतन किए गए
1	फरीदाबाद	7	2112	श्रीमति दुर्गा देवी, मकान नं0 273–16ए, चण्डीगढ।
2	–सम–	14	1294	श्रीमति राज दुलारी मार्फत हितकारी पोटरीज, इंडस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद।
3	–सम–	15	1568	श्रीमति गुरमीत कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह, मकान नं0 5/आर/88,

				एन0आई0टी0, फरीदाबाद।
4	–सम–	15ए	25	श्रीमति सुख देवी पत्नी श्री धर्म सिंह डीएसपी, मकान नं0 1414, सैक्टर–15, फरीदाबाद।
5	–सम–	21बी	15	श्री सीएम स्टीफन श्रीमति थकम्मा स्टीफन, निवासी 9 कृश्णमैनन मार्ग, नई दिल्ली।
6	कुरूक्षेत्र	13	757	श्री सोम नाथ भार्मा, ए–236 मोती बाग, नई दिल्ली।
7	अम्बाला	भाहरी सम्पदा नं0 11	260	श्री वी एन भार्मा, स्टैनो मार्फत वित्तायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ।
8	करनाल	13	1820	श्री नरसी राम, सहायक मुख्यमंत्री सचिवालय, हरियाणा, चंडीगढ।
9	करनाल	14	149	श्री अमृत लाल चौपडा, पी0एस0 टू आबकारी व

				कराधान मंत्री, हरियाणा, चण्डीगढ।
10	करनाल	13 (एकसटैं ान)	686	श्रीमति पूनम मकान नं0 24, सेक्टर–23ए, चण्डीगढ।
11	सोनीपत	14	1128	श्री वरिन्द्र सिंह एडवोकेट, पी–5, प्रेम नगर, सोनीपत।
12	सोनीपत	14	1189पी	श्री एन जी सरदाना, जीएम o/o एस0बी0 पटियाला।
13	सोनीपत	14	1243पी	श्री केके नारंग 82–आर0एम0टी0 सोनीपत।
14	सोनीपत	14	1257	श्री एमएल भार्मा, 30–आर, एम0टी0 सोनीपत (पुत्र श्री विदया धर भार्मा)
15	सोनीपत	14	15	श्री बसन्त राम मोदी एण्ड श्रीमति पुश्पा देवी मार्फत

				मुनर, मेराईन पी0ओ0 बाकस 166, वासकोडी गामा गोआ।
16	सोनीपत	14	148	श्री सहदेव सिंह मलिक एडवोकेट गांव व डाक खानुपर कोहलीयान, तह0 थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र
17	बहादुरगढ	6	959पी	लैफटीनेंट कर्नल सीएस मान, एमआई, डायरैक्टोरेट–5, जनरल स्टाफ आर्मी हैडक्वार्टर ब्रांच, डीएचक्यू, दिल्ली।
18	बहादुरगढ	6	1079	लैफटीनेंट कर्नल एसएस धीर डी–11, टाईप फलैट–36, नई दिल्ली।

सूची 'ख'

व्यक्तियों के नाम व पता उन्हें 1–1–80 से 24–2–84 तक जब्त रिहाय ी प्लाट नियतन किये गये है।

क्रमांक	सम्पदा	सैक्टर	प्लाट नं0	नाम व पता जिन्हें प्लाट नियतन किए गए
उद्योगिक				
1	धारूहेडा	फेज–1	22	मैं0 दिगम्बर पैपर मिल्ज लि0 210/6 पांडव रोड, भाहादरा दिल्ली (पहले अलाटी द्वारा याचिका दायर किये जाने के कारण कब्जा नहीं दिया गया)
1	फरीदाबाद	27–सी	67	श्री ब्रहम सरूप 132सी, ब्लाक–ए, सी–1, भाालीमार बाग, नई दिल्ली।

प्रो0 सम्पत सिंहः मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 323 रिहाय ी तथा औद्योगिक प्लाटस रिज्यूम किये गये और 18 रिहाय ी प्लाटस रिज्यूम किये हुए अलाट किये गये जिनमें श्री नरसी राम सहायक, मुख्यमंत्री सचिवालय, हरियाणा चण्डीगढ श्री अमृत लाल चौपडा, पीएस टू आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा चण्डीगढ तथायस श्री सीएफ स्टीफन, श्रीमति थकम्मा स्टीफन निवासी–9, कृश्णमैनन मार्ग, नई दिल्ली के नाम भी है। मैं जानना चाहता हूं कि इन प्लाटस की

अलाटमैंट के लिए क्या काइटेरिया अडौप्ट किया गया और किस रेट पर यह अलाटमैंट की गई?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, प्लाट अलौट करते समय यह देखते है कि जो आदमी प्लाट के लिए एप्लाई कर रहा है उसको जरूरत भी है या नहीं है इन्होंने तीन चार नाम पढकर सुनाए है। स्पीकर साहब, बाकायदा इनसे ऐप्लीके न्ज ली गई है और उन पर विचार करने के बाद ही प्लाट अलौट किए गए है। जहां तक इंडस्ट्रियल प्लाट अलौट करने का सवाल है उनके लिये भी बाकायदा दरखास्त ली जाती है और यह देखा जाता है कि वह आदमी इंडस्ट्री लगाने के लायक भी है या नहीं। जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लायक होता है उसको प्लाट अलौट कर दिया जाता है। जहां तक रेट का सवाल है अलग अलग भाहरों में अलग अलग रेट है।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री न लगाये तो क्या वह प्लाट वापिस ओनर को चला जाता है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, सरकार जो जमीन ऐक्वायर करती है उसका पैसा ओनर को दे दिया जाता है और वह जमीन सरकार की हो जाती है। ओनर के पस जाने का सवाल ही नहीं रहता। कोई भी इंडस्ट्रीयल प्लाट तथा रिज्यूम किया जाता है जब वह आदमी या तो पेमैंट न करे या जिस परपज के लिये प्लाट दिया गया है वह परपज पूरा न करें या टाईम पर फैक्टरी न लगाए।

श्री देवी दास: अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में छः प्लाटस कैंसिल किए गए है। प्लाट नं0 1243पी जो के के नारंग का है कैसिंल किया गया है जबकि उसने बाकायदा सारी कि तें भी भर दी है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट कैंसिल करने का क्या कारण है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक हो सकती है कि उस ने सारी कि तें भर दी होगी। जिसको भी प्लाट दिया जाता है उसको कहा जाता हे कि इतने समय के अन्दर वह मकान बनाएगा। अगर वह आदमी उस समय के अन्दर मकान नहीं बनाता या टाईम एक्सटैन्ड करने के लिए एप्लाई नहीं करता तब भी प्लाट कैसिंल कर दिया जाता है और रिज्यूम कर लिया जाता है।

डा0 भीम सिंह दहिया: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट रिज्यूम करने के प चात जब दुबारा वह प्लाट अलौट किया जाता है तो वह पिछली प्राईस पर अलौट किया जाता है या करन्ट प्राइस पर अलाट किया जाता है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, अलग अलग सैक्टर में अलग अलग कीमत होती है। सात आठ महीने पहले हमने फैसला किया है कि अगर पांच साल पहले हमने सस्ती जमीन एक्वायर की थी और उस सैक्टर में कम कीमत है तो उसकी ज्यादा कीमत करके दूसरे सैक्टर्ज के बराबर लाया जाए।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि जैसे सोनीपत में 1974–75 में प्लाट अलौट किए गए और अब 1983–84 में वे प्लाट रिज्यूम कर लिये हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर वे प्लाट अब अलौट किए जाएं तो 1974 वाली प्राईस ली जाएगी या आज के रेट लिए जायेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को आज प्लाट अलौट करते है तो दस साल पहले वाली कीमत पर देने का सवाल ही नहीं है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: लोकसभा इलैक ानज के समय पर यह एलान किया गया था कि जींद में एक एडवोकेटस कालोनी बनाएंगे। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि वह कालोनी कब तक बन जाएगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने अलग से वकीलों की कालोनी बनाने के लिए नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि जब हुडडा कालोनी काटेगा तो उसमें वकीलों के लिए भी प्लाटस के नम्बर मुकरर्र कर देंगे कि इतने प्लाटस वकीलों को दे दिए जाएं और उनकी वकीलों में आपस में लाटरी निकाल दी जाए।

Application for Electricitiy Connections

***628. Shri Ram Bilas Sharma;** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of applications, if any, pending at present for new Electricitiy connections for Agriculture and domestic purposes in Mahendergarh sub division separetely; and

(b) the steps, if any, taken a dispose of the pending applicaitons as referred to in part(a) above, together with the time by which the said connections are likely to be given?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) The number of applications for agriculture and domestic connections pending in Mahendergarh sub division on 29-2-1984 in 986 and 976 respectively.

(b) The connections against pending applications could not be released due to financail and material constraints. Effots are being made to release the connections expenditously after arranging the material. Agricultural connections which are more than one year old are likely to be given within the next six months.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, सिर्फ महेन्द्रगढ सब डिविजन में 1962 कनैक ान्ज पैन्डिग है। क्या बिजली विभाग तथा सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछडे हुए इलाके को ध्यान में रखते हुए कनैक ान देने में कोई प्रायरिटी दी जाएगी?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, कनैक ान देने का एक्चुअल काइटेरिया टैस्ट रिपोर्ट है इस समय महेन्द्रगढ सब

डिविजन में जो पैंडिग कनैक ान्ज है वे इस प्रकार है– डौमेस्टिक के 227, कौमर् ियल के केवल 23, इंडस्ट्रियल के 16, टयूबवैल के 234। इस प्रकार टोटल कनैक ान्ज पांच सौ के लगभग पैंडिग है और जो एक साल से पुराने पैन्डिग कनैक ान है उनको छः महीने में कनैक ान दे दिया जाएगा।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कनैक ान्ज पैडिंग है ये लोड ज्यादा होने की वजह से पैंडिग है या मैटिरियल न होने की वजह से पैंडिग है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, दो कारणों से पैडिग है एक तो सामान की कमी और दूसरा फाइनैि ायल कौंस्ट्रेंट। इस वजह से ऐसा मुमकीन नहीं है कि एक दिन में या एक महीने में सारा सामान खरीद कर सब को कनैक ान दे दिए जाए।

राव इन्द्रजीत सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक साल से ज्यादा टाईम के कितने कनैक ान बाकी है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ सब–डिविजन में एक साल से दो साल के बीच डौमस्टिक कनैक ानज 137 बाकी है। दो से तीन साल के बीच के 128 और तीन साल से ऊपर का कोई नहीं है। कौमर् ियल में एक से दो साल के बीच के 23 बाकी है और उससे ऊपर का कोई नहीं है। इंडस्ट्रियल में एक साल से ऊपर के ग्यारह है और दो साल के ऊपर के पांच बाकी है और इससे

ऊपर का कोई नहीं है। टयूबवैल के एक साल के 144 बाकी है और दो तील साल के बीच के 43 हैं और इससे ऊपर का कोई नहीं है।

श्री ए0सी0 चौधरी: मंत्री महोदय ने बताया है कि फाइनैंि ायल कंस्ट्रैट की वजह से कनैक ान्ज नही मिल रहे है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि डोमोस्टिक कनैक ान में मीटर और तार आदि की ओवर आल कोस्ट दो सौ रूपए से कम होती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐप्लीकेंट जो 234 रूपये जमा कराता है उसी पैसे से क्या ये चीजें परचेज नहीं हो सकती है? अगर हो सकती हैं तो फिर डिले क्यों होती है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मीटर्ज की भाार्टेज की वजह से डौमेस्टिक कनैक ान्ज में देरी हो गई है। बिजली बोर्ड ने 84930 मीटर्ज का आर्डर दिया है और 26595 मीटर्ज फरवरी 1984 तक आ चुके है और सात हजार मीटर्ज की मार्च के अन्त तक आने की उम्मीद थी। जब सारे मीटर आ जाएंगे तो सारे पैंडिग कनैक ान्ज दे दिये जायेंगे। 234 रूपये जमा कराने की जो बात इन्होंने कही है इसका मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मिनिस्टर महोदय ने सवाल के भाग 'क' के जवाब में बताया है कि 1900 से ज्यादा ऐप्लीके ान्ज पैंडिंग है लेकिन जो जवाब इनहोंने सप्लीमैन्टरी का दिया है उसमें इन्होंनें टैस्ट रिपोर्ट का काइटेरिया बताया है। लेकिन बहुत से एप्लीकेंटस है जिनको टैस्ट रिपोर्ट के लिये डिमान्ड नोटिस नहीं गया।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक्चुअल में 1900 एप्लीकेन्टस बाकी है या जितने अब मंत्री महोदय ने बताये है वे बाकी है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सिम्पल एप्लीके ान देना ही काफी नहीं है। पहले फिटिंग वगैरह करवानी पडती है। टैस्ट रिपोर्ट भरते हे। डिमांड नोटिस देने के बाद फिर पैसा जमा करवाना पडता है। इस तरह से कई तरह की फारमैलिटीज पूरी करनी पडती है। जब जाकर कहीं प्रियारिटी लिस्ट बनती है। फिर किसी को कनैक ान न मिलता हो तो केसिज में हम कोि ा ा है कि उनकी जल्दी ऐक्सीपीडाईट करवायें।

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो टयूबवैल के कनैक ान्ज हैं वे तो दो सालों से बकाया पडे हुए है और इंडस्ट्रीज के पैंडिंग कनैक ान्ज की संख्या बहुत कम है। यह इतना अन्तर क्यों है इसके क्या कारण है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, महेंद्रगढ सब डिविजन जिसका कि यह सवाल है वहां इंडस्ट्रीज के कनैक ान्ज बहुत कम है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज नाम मात्र की है। वहां टयूबवैल्ज का नम्बर ज्यादा है क्योंकि वह प्रीडौमीनैन्टली ऐग्रीक्लचर एरिया है। हम वहां पर तेजी से कनैक ान देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इंडस्ट्रीयल साईड में एक साल के उपर के 11 और दो सालों के उपर

के 5 कनैक ान्ज बकाया है। सरकार इसके लिऐ पूरे प्रयत्न कर रही है ताकि कनैक ान्ज जल्दी से जल्दी दिये जा सके।

तारांकित प्र न सं. 624

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री मंगल सैन सदन में उपस्थित नहीं थे

Building of Industrial Training Institute

***654. Chaudhri Phool Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building for Industrial Training Institute at Barara in District Ambala; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी नहीं।

(ख) उक्त (क) के मदेनजर टिप्पणीय की आव यकता नहीं है।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि बराडा में आईटीआई की बिल्डिंग बनाने का कोई प्रस्ताव विचााधीन नहीं है। जिस प्राइवेट बिल्डिंग में आजकल आईटीआई की क्लासिज का काम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसका अभी तक किराया भी नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसी बिल्डिंग में क्लासिज चालू रखी जाएगी या कि सरकार का वहां से इन क्लासिज को बन्द करने का कोई विचार है? आया वह बिल्डिंग सरकार की तरफ से खाली की जा रही है या नहीं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, क्लासिज बन्द करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। वह बिल्डिंग एक प्राइवेट आदमी से 1150 रूपये महीने पर किराये पर ले रखी है अगर उस को अभी तक किराया नहीं दिया गया है तो जल्दी ही किराया दे दिया जाएगा।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, गोहाना में पिछले तीन चार सालों से हस्पताल की बिल्डिंग में आई टी आई का काम चलाया जा रहा है। क्या सरकार ने आई टी आई के लिये कोई और जमीन ऐक्वायर की है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, भले राम जी ने जो कहा है उस पर आने वाले साल से विचार करेंगें। अगर पैसे की उपलब्धि हुई तो आई टी आई की बिल्डिंग बनाने का विचार किया जाएगा।

Widening of Sher Shah Marg at Ambala Cantt

***697. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to widen the Sher Shah Suri Marg falling within the jurisdiciton of Ambala City and Ambala Cantt. so as to make it a two lane road?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): भोर ााह सूरी राश्ट्रीय उच्च मार्ग नं0 1 का क्षेत्र जो अम्बाला भाहर तथा अम्बाला छावनी में है पहले ही द्विपथ का है। किलोमीटर 200.60 से 203.17 तक के भाग में, जो अम्बाला छावनी के क्षेत्र में पडता है। सडक को 6.17 मीटर से 12 मीटर तक चौडा करने का कार्य प्रगति पर है।

सेठ राम दास धमीजाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से पूछा था कि क्या अम्बाला भाहर तथा अम्बाला छावनी के क्षेत्राधिकार में आने वाले भोह ााह सूरी मार्ग को चौडा करके पथ सडक बनाने का कोई विचार है। चौधरी भजन लाल जी ने जो जवाब दिया हे उससे मुझे पूरी पूरी तसल्ली है जिसके लिये मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, यहां पर मुख्यमंत्री ने उत्तर देते हुए अम्बाला भाहर और अम्बाला छावनी का जिकर किया है। चूंकि अम्बाला पंजाब के बार्डर के साथ लगता है क्या सरकार अम्बाला से पंजाब बार्डर तक के रास्ते को भी चौडा करने का विचार रखती है ताकि वहां पर ऐक्सीडेंट भी कम हो ओर लोगों को आने जाने की भी सुविधा रहें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ने ानल हाई वे के लिए भारत सरकार से पैसा मिलता है तब जाकर हम कोई काम भाुरू करते है। भारत सरकार को हम इसके लिये लिखकर भेजेंगे कि हम पंजाब के बार्डर से बल्कि चण्डीगढ से दिल्ली तक फोर–लेन सडक बनाना चाहते है, हमें इसके लिये पैसा दिया जाए।

Transport Nagar on G.T. Road at Panipat

***708. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Transport Nagar on G.T. Road at Panipat; and

(b) if so, the time by which the aforesaid nagar is likely to be set up?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) करीब दो वर्श।

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, पानीपत में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिये सरकार को जमीन एक्वायर किए सात साल हो गये है और इसी बारे में पिछले साल सरकार की तरफ से यह जवाब मिला था कि ट्रांस्पोर्ट नगर बहुत जल्द ही बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री

महोदय अब कह रहे है कि इसको बनाने में दो तीन सालों का समय लगेगा। क्या सरकार एक्सीडेन्टस को ध्यान में रखते हुए इस काम को दो चार महीनों में पूरा करने का विचार रखती है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस पर काम काफी तेजी से चालू है और सडकों व सीवरेज वगैरह पर लगभग 14 लाख रूपए खर्च आ चुका है। आ ाा है कि यह काम दो तीन सालों में पूरा हो जाएगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ट्रांस्पोर्ट नगर का काम डेढ साल से चालू है। जीटी रोड पर ऐक्सीडेन्टस की संख्या को देखते हुए सरकार ने ट्रकों की पारकिंग के लिये आलटरनेटिव अरेन्जमैन्टस भी किये है लेकिन ट्रक यूनियन वाले अपने ट्रकों को फिर भी सडकों के किनारे खडे करते है जिससे कि ऐक्सीडेन्टस होते हैं। जब तक ट्रांस्पोर्ट नगर पूरा बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक जो जगह ट्रकों के खडे करने की सरकार ने एक लाख रूपये की लागत से बना रखी है क्या सरकार वहां पर ट्रकों को पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो ट्रांस्पोर्ट नगर का मामला था और ये ट्रक यूनियन की तरफ चले गये। ट्रांस्पोर्ट नगर का मतलब होता हे कि जहां पर रिपेयर पार्टस की दुकानें हों, पूरी मार्किट हो और ट्रक भी खडे हो। फिर भी मैं मैम्बर साहेबान को यह बताना चाहता हूं कि हम कोि ा ा करेंगे कि जिस जगह पर ट्रक खडे करने

की जगह बनायी हुई है ट्रक वहीं पर ही खडे हों ताकि आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

Minor Lift Irrigation Scheme, Naggal

***702. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction of the Naggal Minor Lift Irrigation Scheme was started during the year 1968; if so, the amount of expenditure incurred thereon to-date; and

(b) if reply to part(b) above be in the affirmative whether it is also a fact that the construction of the scheme, referred to in part(a) above, has not so far been completed; if so, the reasons therefor togetherwith the time by which the said construction work is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) No. First stage of Naggal Lift Irrigationl Scheme was taken in hand during the year 1975 and not in 1968. The scheme including Naggal Minior was completed in 1981 at a cost of Rs. 2.55 crores.

(b) Not applicable.

Second stage of Naggal Lift Irrigation Scheme was approved in 1982 and the work is in progress and will be completed by July, 1985 subject to the availability of funds.

श्रीमति चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, नग्गल लिफट इरीगे ान स्कीम का दूसरा फेज 1981 में पूरा होना था। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उसके पूरा होने में डिले क्यों हुई है। उस पर अभी तक कितना खर्च हुआ है और आगे और कितना खर्च होने की संभावना है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मैंने दिया भाायद आनरेबल मैम्बर ने सुना नहीं। मैंने बताया हे कि नग्गल उठान सिचांई योजना के दूसरे चरण की मन्जूरी 1982 में दी गयी थी और जुलाई 1985 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। 1981 में तो फर्स्ट पूरा होना था वह हो गया है।

चौधरी फूल चन्दः क्या मंत्री जी बताएंगे कि नग्गल लिफट इरीगे ान से जो माइनर्ज अम्बाला कैन्ट को कौस करके मुलाना कांस्टीच्यूएंसी की तरफ आने थे वे कब तक कम्पलीट हो जायंगे और वे कौन कौन से गांवों को पानी देंगे?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, किस कांस्टीच्यूएंसी से पानी आना था यह तो इस समय मुझे पता नहीं लेकिन जो विलेज बैनिफिटड होने थे उनके नाम मैं बता सकता हूं। ऐसे 80 गांव है। मेरे पास इनकी लिस्ट है, मैम्बर साहब अलग से देख सकते हैं।

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, आडिट द्वारा भी आबजैक ान उठाया गया है कि नग्गल लिफट इरीगे ान स्कीम की सैंकिड स्टेज पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि वह

काम कब तक पूरा हो जाएगा। कितनी स्टेज तक काम हो चुका है और कितना बाकी रहता है?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, सैकिंड स्टेज 1982 में सैक ान हुई थी और उस पर 1.44 करोड रूपया खर्च होगा। जुलाई 1985 में यह स्टेज पूरी हो जाएगी। इससे 4246 हैक्टेयर एरिया को फैसिलिटी पहुंचेगी। इससे 20 क्यूसिक पानी अम्बाला सिटी के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को मिलेगा। इसमें से तकरीबन 19.96 लाख रूपया खर्च हो चुका है। 133768 रूपये तो अर्थ वर्क पर खर्च हो चुके है और 137040 रूपये लिंक वर्क पर खर्च हो चुके हैं। यह काम बडी तेजी से चल रहा है।

सेठ राम दास धमीजा: मंत्री जी ने अभी कहा कि नहर अम्बाला छावनी से गुजर कर चली जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अम्बाला छावनी का भी हिस्सा है या केवल हमारी छाती से ही गुजर कर जाएगी?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कन्टोनमैंट की आर्मी अथोरिटीज ने 20 क्यूसिकस पानी लेने का एग्रीमैंट किया है और 20 क्यूसिक्स अम्बाला सिटी के अर्बन को मिलेगा।

मास्टर ि ाव प्रसाद: मंत्री जी ने सवाल के 'ख' भाग का जवाब दिया है कि जुलाई 1985 तक यह कम्पलीट हो जाएगी। उसके साथ उन्होंने यह भी भार्त लगाई है कि ब ार्ते कि धन उपलब्ध होता रहे। इस काम को पूरा करने में सिर्फ एक वर्श बाकी है। तो इनको

बजट में कितनी कमी है जिसकी वजह से इनको यह सन्देह है कि पैसा उपलब्ध होगा या नहीं?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, सन्देह कोई नहीं है। कई बार जवाब लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है। वैसे यह भी लिख सकते है कि अगर दुनिया बसी रहेगी तो ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई सन्देह वाली बात नहीं है। टारगैट के अन्दर ही यह काम पूरा हो जाएगा।

Compensation for the Loss due to Hail-Storm in Pai constituency

***726. Chaudhri Nar Singh Dhanda:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state-

(a) whether compensation for the damage caused by hailstrom to the Khariff crop of villages Narrah, Sega and Kakaut of Pai Constituency in 1981 has been paid to the effected persons, and

(b) if not, the time by which it is likely to be paid?

Minister of State for Revenue (Shri Lachhman Dass Arora):

(a) & (b) An amount of Rs. 59,347/- has been sanctioned by the Government as gratitous relief on account of hailstorm to the affected farmers of these villages. This amount would be disbursed shortly.

चौधरी नर सिंह ढांडाः मंत्री जी ने बताया है कि उन गांवों को 59347 रूपये दिये गये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रा ि ा 80 या 81 हजार रूपये नही थी। दूसरे जो 1981 की खरीफ फसल का मुआवजा दिया गया था, क्या वह उस टाइम के काइटेरिया के हिसाब से दिया गया था या अब के काइटेरिया के हिसाब से दिया गया है? उस टाइम 100, 200, 300 रूपये पर एकड का काइटेरिया था और अब 200, 300, 400 रूपये पर एकड का काइटेरिया है।

श्री लछमन दास अरोडाः माननीय सदस्य ने कहा है कि वह रा ि ा 80–81 हजार रूपये तो नहीं थी। वह मैं अलग अलग बता देता हूं। मेघा गांव को 11107 रूपये, ककोत गांव को 11049 रूपये और नरड गांव को 37151 रूपये दिये गये थे। यह रा ि ा वर्तमान ि ाडयूल के मुताबिक दी गई है।

चौधरी नर सिंह ढांडाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 200,300 और 400 रूपये फी एकड के हिसाब से मुआवजा देने का काइटेरिया बनाया है यानि जिस किसान को नुकसान 76 प्रति ात से 100 प्रति ात तक है उसको 400 प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसका नुकसान 80–85 प्रति ात है क्या उसको 400 रूपये फी एकड मुआवजा देते हैं?

श्री लछमन दास अरोडाः स्पीकर साहब, जिसका नुकसान 75 प्रति ात से ऊपर होता है उसको 400 रूपये एकड के हिसाब से ही मुआवजा देते हैं।

चौधरी नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, यह अलग सवाल है। इस तरह की अगर कोई रिक्वरी हुई है तो वह मैं बाद में बता सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने यह प्रोबलम मेरे को भी बताई थी। जहां तक मैं समझ पाया हूं वह इस तरह है कि सरकार ने मुआवजें के रेट फिक्स कर दिये कि 75 प्रति ात से ऊपर के नुकसान का 400 रूपये प्रति एकड मुआवजा दिया जाएगा। परन्तु 1978–79 में हलका पाई के कुछ गांवों को 300 रूपये प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दिया गया क्योंकि उनका 75 प्रति ात से ऊपर था। अब रैवेन्यू अफसर कहते है कि उनको एक्सैस पैमेंट हो गई, उसकी रिकवरी करनी है। उनका पली यह है कि क्योंकि लौस 85 प्रति ात था 100 प्रति ात नहीं था इसलिये 85 प्रति ात के हिसाब से हम एकरेज में कमी करेंगे। अगर नुकसान सैन्ट परसैन्ट हो तो हम पूरा एकड मानेंगे वरना वह सवा सात या साढे सात कनाल बैठेगा और उसके हिसाब से मुआवजा देंगे।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि वह भी ठीक है और हमारा जवाब भी ठीक है। अब नुकसान तो 75 प्रति ात से उपर 85 प्रति ात हो गया लेकिन हुआ कितनी जगह में। एक एकड में 8 कनाल होते हैं और ओला जब पडता है तो पूरा एकड खराब नहीं होता। अगर एक एकड में 6 कनाल का नुकसान होगा तो मुआवजा 6 कनाल का ही मिलना चाहिए। आप जानते है कि ओलों की धार चलती है तो अगर किसी का

आधे एकड का नुकसान होगा तो मुआवजा आधे एकड का ही मिलेगा। जहां 75 प्रति ात से उपर नुकसान होगा उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर एक एकड में 75 प्रति ात नुकसान हुआ है तो मुआवजा 75 प्रति ात का ही मिलेगा जिसके पूरे एकड का नुकसान हुआ है उसको पूरे एकड का मुआवजा मिलेगा।

श्री अध्यक्षः अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीनसदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

District Headquarters of District Industries Centre

***544 Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Industries be pleased to state:

(a) the names qualifications and home addresses of the officers and officials at present working in each of the District Industries Centres at District Headquarters in the State togetherwith the method of their recruitment; and

(b) The amount of funds allocated to each one of the above said centres together with the amount actually utilized by them during the years 1981-82 and 1982-83 separately?

Industries Minister (Shrimati Shakuntla Bhagwaria):

(a) The requisite information is laid on the Table of the House at Annexure-I.

(b) Statements indicating the amount of funds allocated and utilized under the above scheme during the years 1981-82 and 1982-83 are laid on the Table of the House at Annexures II, III and IV.

ANNEXURE-1

HEADQUARTERS STAFF UNDER DISTRICT INDUSTRIES CENTRES

S. No.	Name of the Officer/Official	Qualifications	Home Address		Method of recruitment	Remarks
			Present	Permanent		
District Industries Centre, Ambala						
1	Sh. M.S. Gupta, G.M.	M.A.LL.B. Diploma Economics (Admn.)	29, IA. Model Town, A/City	Dr. Daulat Ram, Jagroan, (Ludhiana)	By Promotion	
2	Sh. K.S. Josan, F.M.	B.Sc. (Engg.)	45-A Shastri Colony, A/Cantt.	V. Naggal, P.O. Kheri Gulam Ali, Teh. Guhla (Kurukshetra)	By direct Appointment	
3	Sh. V.K. Kaul,	B.Sc. (Engg.)	110, Model Town, Ambala	Sh. B.N. Kaul, 71- K.M.T.	Do	

	I.P.O.		City	Karnal		
4	Sh. R.K. Chugh, Dy. Supdt.	B.A. (Part-1)	10562/6, Ambala City	VPO. Jundla, Distt. Karnal	By Promotion	
5	Sh. G.L. Jaitly, Assistant	Matric	4-A, Mahesi Nagar, Ambala Cantt.	4-A, Mahesh Nagar, Ambala Cantt.	Do	
6	Sh. K.P. Jain, Assistant	F.A.	5669-70, Tiwali gali, Ambala Cantt.	5669-70, Tiwali gali, Ambala Cantt.	Do	
7	Sh. Gurbachan Singh, Assistant	F.A.	9-New Model Colony, Ambala City	Committee Bazar, Shahabad Markanda, (Kurukshetra)	Do	
8	Sh. Hakam Singh, Jr. Scale Stenographer	Graduate with Diploma in Stenography	117, Prem Nagar, Ambala City	V. Kakar Kauda P.O. Shahpur Nurad,	Do	

		(English & Hindi)		Ambala		
9	Sh. Ranjit Singh, Jr. Scale Stenographer	Do	7676/4, Nadi Moh. Ambala City	V. Salaula, P.O Pathreri, Naraingarh	Do	
10	Smt. Lata Mangesh, Steno-Typist	Matric Diploma Steno From I.T.I.	4118/2, Khattarwara Ambala City	4118/2, Khattarwara Ambala City	Do	
11	Smt. Sheeta Devi Steno-Typist	Hr. Secondary, Diploma Steno From I.T.I.	50, Prem Nagar Ambala City	50, Prem Nagar Ambala City	Do	
12	Smt. Surinder Kaur, Clerk	F.A.	Grand Hotel, Ambala Cantt.	V. Kaula, P.O. Model Town, Ambala City	Do	
13	Sh. Sadhu	Matric	V. Majri,	V. Majri,	Do	

	Ram, Clerk		Ambala	Ambala		
14	Smt. Rita Rani, Clerk	B.A.	5156, Chowk Darzian, A/City	5156, Chowk Darzian, A/City	Do	
15	Smt. Rimla Devi, Clerk	Matric	9784/6 Rly. Road, Ambala City	9784/6 Rly. Road, Ambala City	Do	
16	Faquir Chand, Clerk	Matric	357, Lal Kurti, Ambala Cantt	357, Lal Kurti, Ambala Cantt	Do	
17	Subhash Chander, Clerk	B.A.	4554/3, Patel Road, Ambala City	4554/3, Patel Road, Ambala City	Do	
18	Sh. Surinder Kumar, Clerk	B.A.	8971/5, Naya Bans Ambala City	8971/5, Naya Bans Ambala City	Do	
19	Sh. Saudagar	B.A.	VPO. Boh,	170/ER, Pacca Bagh,	By	

	Singh, Clerk		Ambala	Jallander City	promotion	
20	Sh. Karan Vir Singh, Clerk	Matric	R. No. 3 Staff Road, Ambala Cantt.	Sh. Chandi Ram, VPO. Uggalon, Distt. Hissar	By direct appointment	
21	Sh. Ram Oberoi, B.L.E.O.	B.A. (RID)	2089/2, Ambala City	Arya Puri Shamli Mujjafer Nagar (U.P.)	Do	
22	Sh. Jagjitpal, Inspector	Matric	395, Ajit Nagar, Ambala Cantt.	395, Ajit Nagar, Ambala Cantt.	By promotion	
23	Sh. Mohinder Singh, Driver	Under Matric	V. Kaula, P.O. M.T. Ambala City	V. Kaula, P.O. M.T. Ambala City	By promotion	
24	Sh. Sant Singh, Peon	6th		VPO. Jastana, Punjab	Direct appointment	

25	Sh. Balbir Singh, Peon	6th	H. No. 3 Staff Road, Ambala Cantt.	V. Sanovari, W-7 Distt. Harlekh Nepal	Do	
26	Sh. Jeet Singh, Peon	6th	269, Chain Mandi, Kacha Bazar, Ambala Cantt.	269, Chain Mandi, Kacha Bazar, Ambala Cantt.	Do	
27	Sh. Sur Bahadur, Peon	Middle	516, B.C. Bazar, Ambala Cantt.	V. Mahat Distt. Rukum, Nepal	Do	
28	Sh. Sadhu Singh, Machineman	5th	1066, Kaith Majri, Ambala City	1066, Kaith Majri, Ambala City	By promotion	
29	Sh. J.P. Singh, F.M. (Credit)	B.Sc. (Engg.) diploma project Planning & Evaluation Control	3363/37-D, Chandigarh	VPO. Bandala, Distt. Jallandar	On deputation from P.N.B.	

District Industries Centre, Kurukshetra						
1	Sh. S.L. Luthra, G.M.	M.A. Economics	13-B, Officer Colony, Kurukshetra	C/o Dr. Harbans Lal, Ranbir Singh Pura, Jammu	By Promotion	
2	Miss Asha Jairath, F.M.	M.A. Economics M.A. Pub. Admn.	598/Housing Board Colony, Kurukshetra	3189, Sec-37B, Chandigarh	By Direct appointment	
3	Sh. V.K. Bhardwaj, Manager, Credit	A.M.I.E.	1582, Housing Board Colony, Kurukshetra	497, Phase-9, S.A.S. Nagar, Mohali	On deputation from P.N.B.	
4	Sh. R.K. Bhatia, Asstt.	B.A.	1151, Housing Board Colony, Kurukshetra	1145, New housing board colony Karnal	By promotion	
5	Sh. Surjan Singh,	Matric	C/o Ch. Gurdial Singh, Rattan Dehra Road	V. Haripur, Teh. Thanesar,	Do	

	Accountant		Mohan Nagar, Kurukshetra	Distt. Kurukshetra		
6	Sh. Hakim Chand, Sr. Scale Stenographer	Matric	C/o Late Sh. Jamnu Ram, T. Master Masita House, Kurukshetra	719, W. No.12, Outside Jundla Gate, Kurukshetra	Do	
7	Sh. Sorab Singh, Jr. Scafe Stenographer	B.A.	Krishan Bhawan, Dara Khera Mohalla, Kurukshetra	VPO. Geogan. Kaithal, Distt. Kurukshetra	Do	
8	Smt. Inderjit Kaur, Clerk	Matric	C/o Sh. Inder Singh Near Lal Steel Industries, Kurukshetra	C/o Sardar Harbajan Singh, Patasa Bazar, Shahabad Markanda	By direct appointment	
9	Sh. Chaman Lal, Clerk	Matric	230/4, Pipli Road,	VPO. Saha, Distt. Ambala	Do	

			Kurukshetra			
10	Sh. Jai Dev, Clerk	Matric	Mohalla Gurunanak Pura, H.No. 681/1, Thanesar	V. Kherki Brahman, P.O. Ghillor, Kurukshetra	Do	
11	Sh. Vir Bhan, Clerk	Matric	C/o Hari Chand, W. No. 1, Sodgar Mohalla Kurukshetra	VPO. Dhonora, Jatan, P.O. Bhakali	By promotion	
12	Sh. Deep Chand, Driver	7th	V. Ratgal, Kurukshetra	VPO. Samalkhi, Distt, Kurukshetra	By direct appointment	
13	Sh. Kisin Chand, Driver	9th	Camp Sultanpur, Gurgaon	VPO. Amheri Jind	Do	

14	Sh. Phool Chand, Machineman	Literate	C/o Sh. Rulda Ram Ramadisia Majra Sodgar Mohalla, Thanesar	V. Bakala P. Rasulpur Teh. Naraingarh	By promotion	
15	Sh. Tek Chand, Peon	Matric	C/o Sh. Puran Chand, Chakarwarti Mohalla, Kurukshetra	VPO. Kaul, Teh.Kaithal, Distt. Kurukshetra	By direct appointment	
16	Sh. Prem Singh, Peon	B.A. (Part-1)	3697/5, Thanesar	VPO. Fatehpur, Kurukshetra	Do	
17	Sh. Chaman Lal, Peon	5^{th}	V. & P. Jhansa, Distt. Kurukshetra	V. & P. Jhansa, Distt. Kurukshetra	Do	
District Industries Centre, Panipat						
1	Sh. C.R. Yadav,	B.Sc.	A-26, Narain Singh Park,	Shanti Sadan Hansi Road,	By	

	G.M.	(Textile)	Panipat	Opp. PWD. Rest House, Bhiwani	promotion	
2	Sh. Vipan Gupta, FM (N & E)	B.E. (Hons) (Mech.)	575-R, Model Town Panipat	Shyam Nagar, Near Bus-stand, Yamunanagar	By direct appointment	
3	Sh. Narinder Singh, Dy. Suptdt.	Graduate	580-L.M.T., Panipat	2096, 21-C, Chandigarh	By promotion	
4	Sh. Atam Parkash, Asstt.	Hr. Secondary	137- Housing Board Colony, Panipat	4/8- Ram Nagar, Karnal	Do	
5	Sh. Lakhvinder Singh, Assistant	Graduate	417-Model Town, Panipat	71/13, Ram Nagar, Karnal	Do	
6	Sh. Mohan Lal, Assistant	Hr. Secondary	616/9, panipat	616/9, panipat	Do	

7	Sh. Ram Parkash, Inspector	Graduate	482-R, M.T. Panipat	482-R, M.T. Panipat	Do	
8	Sh. M.L. Sharma, Inspector	Inter (Prabhakar)	3422-9, M.T. Panipat	422/9, M.T. Panipat	Do	
9	Sh. R.C. Sharma, BLEO(I)	Graduate	257-L, M.T. Panipat	257-L, M.T. Panipat	By direct appointment	
10	Sh. Anand Mohan, Clerk	Matric	199-Weavers Colony, Panipat	Shastri House, Gohana Mandi, Gohana	Do	
11	Sh. Ramesh Chand, Clerk	B.A.	163- Hari Bagh Colony, Panipat	V. Nalvikalan P.O. Kunjpura, Teh. & Distt. Karnal	Do	

12	Smt. Kanta Batra, Stenotypist	M.A.(Hindi)	136- Housing Board Colony, Panipat	146- Housing Board Colony, Panipat	Do	
13	Sh. Saran Singh, Stenotypist	Matric	161- Hari Bagh Colony, Panipat	VPO. Kalrijagir Teh. & Distt. Karnal	Do	
14	Miss Shashi Bala, Stenotypist	Graduate	42-Gole Market, M.T., Panipat	42-Gole Market, M.T., Panipat	Do	
15	Sh.Prabhu Ram, Machineman	Under-Matric	591, Mahabir Colony, Panipat	VPO. Basaraf, Distt. Kangra (H.P.)	By promotion	
16	Sh. Ram Kumar, Clerk	Matric	8, Adarsh Nagar, Panipat	VPO. Joshi Distt, Karnal	By direct appointment	
17	Sh. Lalbir Singh, Clerk	Matric	197- W.C. Assandh Road, Panipat	V. Chaura, P.O. Gheer, Teh. Karnal	Do	

18	Sh. Vijay Kumar, Clerk	B.A.	D-13 Kalandri Gate, Karnal	D-13 Kalandri Gate, Karnal	Do	
19	Sh. Om Parkash, Driver	Under-Middle	204, Sham Nagar, Karnal	204, Sham Nagar, Karnal	Do	
20	Sh. Shish Ram, Peon	Primary	VPO. Naraina, Karnal	VPO. Naraina, Karnal	Do	
21	Sh. Ram Bhori, Peon	Illiterate	D.I.C. Panipat	Baro Arey, Distt. Jounpur (U.P.)	Do	
22	Sh. Har Gobind, Peon	Under-Matric	VPO. Pardana, Karnal	VPO. Pardana, Karnal	Do	
23	Sh. Pale Ram, Peon	Do	VPO. Dahar, Karnal	VPO. Dahar, Karnal	Do	
24	Sh. Kishan Chand, Peon	Middle	272, Kalander Chowk, Panipat	272/8, Kalander Chowk, Panipat	Do	

25	Sh. Ishwar Singh, Peon	Middle	Amar Bhawan Chowk Panipat	V. Shekhupura Khalsa, Distt. Karnal	Do	
District Industries Center, Sonepat						
1	Sh. R.M. Mahara, G.M.	B.Sc. (Met.Engg.)	Sonepat	C/o M/2, Sanjeev Gen, Store, VPO. Khizarabad East, Teh. Chhachhrauli, Distt. Ambala	By promotion	
2	Sh. Vinod Sachdeva, F.M. (C)	B.E.	C-2 Prem Nagar, Sonepat	7/17, South Patel Nagar, New Delhi	On deputation from Bank	
3	Sh. A.K. Kaushal, I.P.O.	B.E.	149-L, Model Town, Sonepat	VPO. Dehlan, Distt. Una (H.P.)	Direct appointment	

4	Sh. Shiv Dev Singh, Dy Supdt.	F.Sc.	C/o Lakhan Singh, Panchsheel Colony, Sonepat	VPO. Budhasar, Teh. Dasoya, Distt Hoshiarpur	By promotion	
5	Sh. Raj Pal Rathee, BLEO (I)	B.A. Diploma in Elect. Engg.	Rathdhana Road, Near Old D.C. Road, Sonepat	VPO. Garhi Rajlu Distt. Sonepat	By direct appointment	
6	Sh. N.S. Vats, Inspector	B.A.	20-b, Inderpuri, Sonepat	Anand Bhawan, Civil Road, Rohtak	Do	
7	Sh. Chand Ram, Inspector	Matric	House Of Ch. Tek Chand,New Sabzi Mandi, Sonepat	VPO. Thana Khurd. Teh. & Distt. Sonepat	By promotion	
8	Sh. Gurcharan Singh, Loan Accountant	Matric	B-312, N.F.L. Colony, Sonepat	968, W.No. 8, Sonepat	Do	

9	Kumari Rita Rani, Steno-typist	Matric	329, Mohalla Cot, Sonepat	329, Mohalla Cot, Sonepat	By direct appointment	
10	Sh. Ramesh Kumar, Jr. Scale Stenographer	B.A.	111, Murthal Adda, Housing Board Colony, Sonepat	H.No. 150, MIG, Housing Board Colony, Sonepat	Do	
11	Sh. Rajinder Singh Dahiya, Driver	Matric	VPO. Rohat, Sonepat	VPO. Rohat, Sonepat	Do	
12	Sh. Mangal Sain, Clerk	Matric	H. No. 91-C, Raj Mohalla, Sonepat	H. No. 91-C, Raj Mohalla, Sonepat	By promotion	
13	Sh. Bhag Mal, Clerk	B.A.	435, Mohalla Kalan, Sonepat	435, Mohalla Kalan, Sonepat	By direct appointment	
14	Sh. Raj Singh, Clerk	Matric	27/453, West Ram Nagar,	V. Jagi, P.O. Juan, Sonepat	Do	

			Sonepat			
15	Smt. Suraj Kaur, Clerk	Matric	Jawahar Nagar, Sonepat	Jawahar Nagar, Sonepat	Do	
16	Sh. Suresh Kumar, Clerk	Matric	Panchsheel Colony, Sonepat	V. Mandauri, Distt. Sonepat	Do	
17	Sh. Satyavan, Clerk	Matric	H.No. 24/499, Dev. Nagar, Sonepat	V. Rehmana, P.O. Sitawal, Sonepat	Do	
18	Sh. Rameshwar Singh, Clerk	Matric	Vill. Tharu, Sonepat	Vill. Tharu, Sonepat	Do	
19	Sh. Chandr Singh, Clerk	8^{th}	Vill. Shahjanpur, Sonepat	Vill. Shahjanpur, Sonepat	Do	
20	Sh. Subhash Chander, Clerk	B.A. (Part-II)	371, Sec. 14, Sonepat	Vill. Dhaturi, P.O. Bhagan, Teh. & Distt.	Do	

				Sonepat		
21	Sh. Sat Narain, Peon	Matric	4/246-A, Arya Nagar, Sonepat	VPO. Guhna, Sonepat	Do	
District Industries Centre, Narnaul						
1	Sh. J.S. Yadav, G.M.	Graduate	B-1, Officer's Colony, Narnaul	929, Sec.-14, Urban Estate, Gurgaon	By promotion	
2	Sh. Pawan Kumar Bansal, D.M. (C)	M.Com.	Near Old S.P. Office, Narnaul	578, Ravidas Nagar Rohtak	By direct appointment	
3	Sh. Dev Karan Singh, Accountant	B.A.	Nai Sarai Narnaul	Nai Sarai Narnaul	By promotion	
4	Sh. Ved Parkash, Assistant	Matric	Shivaj Nagar, Narnaul	Moh. Roa, Charkhi Dadri	Do	
5	Sh. Krishan	Matric	Moh. Dakotan,	VPO. Bass	Do	

	Kumar Bihagra, Assistant		Narnual	Duda, Teh. Rewari		
6	Sh. S.P. Sanghi, BLEO	B.A.	Moh. Sanghiwara, Narnaul	Moh. Sanghiwara, Narnaul	By direct appointment	
7	Sh. Zakir Ali, BLEO	B.A.	Moh. Frashkana Narnaul	V. Daula Rajpura, P.O. Sikandrabad, Distt. Bulendshahar (U.P.)	Do	
8	Sh. Sadhu Ram, Steno Stypist	B.Com.	Moh. Kharkhari, Narnaul	Karalia Bazar, H. No. 447, Mohindergarh	Do	
9	Smt. Roshni Devi, Steno-typist (Hindi)	Matric	Near Phul Bazar, Narnaul	V. Makrani P.O. Mori Teh. Dadri Distt. Bhiwani	Do	

10	Sh. Lal Chand, Clerk	M.A.	Moh. Nalapur, Narnaul	V. Begpur Teh. Narnaul	Do	
11	Sh. Chet Ram, Clerk	Matric	Moh. Chanduwara, Narnaul	Dhani Thakrawali N/Choudhry, Teh. Narnaul.	Do	
12	Sh. Ashok Kumar Dora, Clerk	Matric	Moh. Gurunanakpura, Narnaul	Moh. Ashoka Colony, Bhiwani	Do	
13	Sh. Sardara Singh, Driver	Primary	Moh. Dakotan, Narnaul	Moh. Dakotan, Narnaul	By direct appointment	
14	Sh. Banarsi Dass, Machineman	Primary	Moh. Misharwara, Narnaul	Moh. Misharwara, Narnaul	By promotion	
15	Sh. Net Ram, Peon	Primary	Moh. Dakotan, Narnaul	VPO. Chhilro, Teh. Narnaul	By direct appointment	
16	Sh. Radhey	Primary	Nai Saraj,	Nai Saraj,	Do	

	Shyam, Peon		Narnaul	Narnaul		
17	Sh. Sube Singh, Peon	Middle	Near Rly, Station, Narnaul	V. Patrika, Narnaul	Do	
18	Sh. Tulsi Ram, Peon	Middle	Moh. Devsthan, Narnaul	V. Bachhod, Teh. Narnaul	Do	
19	Smt. Barfi Devi, Peon		Moh. Raoker, Narnaul	V. Segarpur, Narnaul	Do	
District Industries Centre, Faridabad						
1	Sh. Thakar Dass, G.M.	B.A. (Hons.)	2858/7E, Faridabad	264, Khattriwara, Shahabad	By H.C.S. Cadre	
2	Sh. G.L. Marwaha, F.M.	M.Sc. (Food Techno)	446/15, Faridabad	H.No. 2, Near Police Line, Ambala City	By promotion	
3	Sh. S.C. Gupta, Dy. Supdt.	Matric	142/16, Faridabad		Do	

4	Sh. Mohd., Yunus, ACA	Hr. Sec.	342-A, 15-A, Faridabad	VPO. Punhana, Distt. Gurgaon	Do	
5	Sh. Ashok Kumar, Asstt.	Matric	279/16, Faridabad	Mohalla Kaji Ka Bagh, Sohna Road, Palwal	Do	
6	Sh. Nand Lal, Field Investigator	M.Com. M.S.W.	5-L/12C,NIT Faridabad	H.No. E-34, Subash Gate, Karnal	By direct appointment	
7	Sh. O.P. Sharma, BLEO	B.A.	272/15, Faridabad	V. Kitham P.O. Rajpura Jat, Distt. Mathura (U.P.)	By promotion	
8	Sh. Manjit Singh, Inspector	Matric	141/16, Faridabad	C/o Lucky Ele Tric Drycleaners Kotwali Bazar,	Do	

				Ambala City		
9	Sh. Suraj Bhan, Inspector	Intermediate	1-D/99, NIT Faridabad	VPO. Beri, Distt. Rohtak	Do	
10	Sh. Mohan Ram, Machineman	Non-Matric	H.No. 639/18, Faridabad	V. Agar P.O. Dhawarhat, Distt. Almohra (U.P.)	Do	
11	Smt. Urvashi Khanna, Stenotypist	Prep.	H.No. 272, Sec-15, Faridabad	5-F, 60 NIT. Faridabad	By direct appointment	
12	Miss Usha Rani, Stenotypist	Matric	200/3C, NIT Faridabad	455/7, Partap Nagar Gurgaon	Do	
13	Sh. Bandhu Parsad, Clerk	Matric	945, Rly, Road, Gandhi Colony, Faridabad	VPO. Janeshedpur Distt. Gonda (U.P.)	Do	

14	Sh. Siri Chand, Clerk	Matric	Shastri Colony, 3/21, Faridabad	VPO. Alika Teh. Palwal, Faridabad	Do	
15	Sh. Ravinder Kumar, Clerk	B.A.	272, Sec-15, Faridabad	V. Garisultanpur, P.O. Dagwan Distt. Bulandsher, (U.P.)	By direct appointment	
16	Sh. Rajbir Singh, Driver	Under-Matric	2857/7, Faridabad	VPO. Nahra Distt. Sonepat	Do	
17	Sh. Ram Kumar, Driver	Do	2693/16, Faridabad	VPO. Sunderpur, Distt. Rohtak	Do	
18	Sh. Lallu Ram, Peon	Do	413, Sec. 15-A, Ajronda, Faridabad	VPO. Nagina Distt. Gurgaon	Do	
19	Sh. Nain Singh,	Under-Middle	H.No. 1166,	VPO. Tagona,	Do	

	Peon		Vill. Muzasar	Faridabad		
20	Sh. Devi Ram, Peon	Under-Matric	H.No. 136, V. Muzasar, Faridabad	VPO. Kulana Distt. Faridabad	Do	
District Industries Centre, Gurgaon						
1	Sh. R.K. Kaplish, G.M.	M.A.LL.B.	Guraon	Ropar (Punjab)	By promotion	
2	Sh. Dinesh Kumar Goyal (F.M.)	M.A. Ph.d. (Economics)	363/15, Gurgaon	Muzafarnagar (U.P.)	By direct appointment	
3	Sh. S.P.S. Chauhan, F.M.	B.E.	150/16-A, Chandigarh	H.No. 5-WH/11, Netaji Colony, NIT, Faridabad	Do	
4	Sh. Jag Mohan Singh, BLEO	B.A.	8, Shivaji Nagar, Gurgaon	V. Khandskheri, Distt. Hissar	Do	

5	Sh. Jit Singh, Inspector	B.A.	864/16, Nai Basti, Gurgaon	V. Chilor, Distt. Sonepat	Do	
6	Sh. Rajpaul Singh, Inspector	Matric	Rly. Road, Gurgaon	V. Bhatol	Do	
7	Sh. Mahabir Parshad jain, Asstt.	Matric	653/4, Gurgaon	V. Mahara, Distt. Sonepat	By promotion	
8	Sh. Ramesh Chander Sharma, Assistant	B.A.Part-II	307/1/20, Shakti Nagar, Gurgaon	Shiwani Mandi, Distt. Bhiwani	Do	
9	Sh. Attar Singh, Asstt.	Matric	10, Nai Basti, Gurgaon.	V. Garhi Harsaru Distt. Gurgaon	Do	
10	Sh. H.C. Khurana, Asstt.	Matric	329/1, Jacumpura, Gurgaon	329/1, Jacumpura, Gurgaon	Do	

11	Smt. Veera Bai, Assistant	Matric	410, Arjun Nagar, Gurgaon	410, Arjun Nagar, Gurgaon	Do	
12	Smt. Kiran Datta, Jr. Scale Steno Grapher	B.A.	1394/4, Gurgaon	1394/4, Gurgaon	Do	
13	Kumari Kanta, Steno-Typist	Matric	370/15, Jacumpura, Gurgaon	144/6, F.P. Jhirka	By direct appointment	
14	Kumari Veena Rani, Steno-typist	Matric	159/8, M.T. Gurgaon	159/8, M.T. Gurgaon	Do	
15	Sh. Ram Singh, Driver	Matric	Housing Board Colony, Gurgaon	V. Sigra, Distt. Mohindergarh	Do	
16	Sh. Bhoop Singh, Clerk	Matric	350/15, Jacumpura, Gurgaon	V. Bhondsi	Do	

17	Sh. Tek Ram, Clerk	Matric	V. Islampur, Distt. Gurgaon	V. Islampur, Distt. Gurgaon	Do	
18	Sh. Bhagwan Dass, Clerk	Matric	H.No. 531/5, Arjun Nagar, Gurgaon	H.No. 531/5, Arjun Nagar, Gurgaon	Do	
19	Sh. Sanjay Kumar, Clerk	Matric	121/18, Luxmi Garden, Gurgaon	121/18, Luxmi Garden, Gurgaon	Do	
20	Sh. Ram Kishan, Clerk	Matric	120, Housing Board Colony, Gurgaon	V. Fatehpur Biloch Distt. Faridabad	Do	
21	Sh. Rameshwar Dass, Clerk	Matric	V. Kadipur Distt. Gurgaon	V. Kadipur Distt. Gurgaon	By promotion	
22	Sh. Sumer Singh, Clerk	Matric	V. Sukhrali	V. Mandi, Distt.	By direct appointment	

				Mohindergarh		
23	Sh. G.D. Khurana, Clerk	Matric	128, Housing Board Colony, Gurgaon	V. Kalanaur, Distt. Rohtak	Do	
24	Sh. Kanwar Singh, Peon	Illetrate	V. Gurgaon	V. Gurgaon	Do	
25	Sh. Paras Singh, Peon	Illetrate	Village Jharsa	Village Jharsa	Do	
26	Sh. Om Parkash, Peon	Illetrate	747, Madanpuri, Gurgaon	747, Madanpuri, Gurgaon	Do	
27	Sh. Siri Niwas, Peon	Illetrate	Village Jharsa	Village Jharsa	Do	
28	Sh. Surat Singh, Peon	Illetrate	742, Madanpuri, Gurgaon	742, Madanpuri, Gurgaon	do	
29	Sh. Mohinder	Under-Matric	Nai Basti,	Nai Basti,	Do	

	Singh, Peon		Gurgaon	Gurgaon		
30	Sh. Sohan Lal, Peon	Illetrate	Village Sukhrali	Village Jairaw Distt. Gurgaon	Do	
District Industries Centre, Bhiwani						
1	Sh. Kulmohan Singh, General Manager	B.E. Production Engg. & Post Graduate In Marketing	Vijay Nagar Colony, Hansi Road, Bhiwani	Town & P.O. Tohana Distt. Hissar.	By promotion	
2	Sh. Trilochan Singh, Functional Manager	Diploma in Mech. Engg.	H. No. 330, Housing Board Colony, Bhiwani	C/o M/s Schan Singh, Auto Store, P.O. Jaitsar, Distt. Ganga Nagar	On deputation from P.N.B.	
3	Sh. Narsingh Dass, Deputy	T.D.C. Part II	Halu Bazar, Bhiwani	Town & P.O. Kayasatware, Rewari, Distt.	By promotion	

	Supdt.			Mohindergarh		
4	Sh. Chhatar Singh, Inspector (Ind.)	B.A.	C/o Shiksha Niketan Naya Bazar, Bhiwani	P.O. Dhalukalan, Distt. Hissar	By direct appointment	
5	Sh. Amir Singh, Loar Accountant	Matric	C/o Seth Dulichand, New Anaj Mandi, Bhiwani	VPO. Kitlana, Distt. Bhiwani	By promotion	
6	Sh. Balbir Singh, Assistant	Matric	C/o G.D. Gaur, H. No. T-380, Bhiwani	VPO. Balkara, Distt. Bhiwani	By promotion	
7	Smt. Kamlesh Mehtani, J.S.S.	Matric	H.NO. 28/8, Krishana Colony, Bhiwani	H.NO. 28/8, Krishana Colony, Bhiwani	By promotion	
8	Sh. Subash Chander, Steno-typist	B.A.	C/o Om Parkash Ram Awtar, Patram	VPO. Kalanaur, Distt. Rohtak	By direct appointment	

			Gate, Bhiwani			
9	Miss Punam Rani, Steno-typist	Matric	H.No. 4-B/8, Krishan Colony, Bhiwani	H.No. 4-B/8, Krishan Colony, Bhiwani	Do	
10	Sh. Kapoor Singh, Clerk	Matric	C/o Bhana Ram, 234-Mastawali, Bichla Bazar, Bhiwani	VPO. Bondkalan, Distt. Bhiwani	Do	
11	Sh. Shiv Lal Arya, Clerk	Matric	H.No. 71-72, Adarsh Nagar, Bhiwani	VPO. Umarwas, Distt. Bhiwani	Do	
12	Sh. Hukam Chand, Clerk	T.D.C. Part-I	H.No. 222, Sarai, Chopta, Bhiwani	H.No. 222, Sarai, Chopta, Bhiwani	Do	
13	Smt. Usha Rani, Clerk	Matric	H.No. 144/8, Krishana	H.No. 144/8, Krishana Colony,	Do	

			Colony, Bhiwani	Bhiwani		
14	Sh. Naresh Kumar, Clerk	Matric	C/o H.No. 354, Ramnagar Colony, Bhiwani	VPO. Kalanaur, Distt. Rohtak	Do	
15	Sh. Tek Chand, Peon	Under Matric	C/o Om Parkash Ricksha Wala, Hanuman Gate, Bhiwani	VPO. Indiwali, Distt. Bhiwani	Do	
16	Sh. Man Singh, peon	Under Matric	C/o Malwara, Johar Kuwa, Dhani Gujjar, Bhiwani	VPO. Bandaheri, P.O. Mundhal, Bhiwani	Do	
17	Sh. Dariya Singh, Peon	Matric	C/o Balmiki Basti, Hanuman Gate, Bhiwani	VPO. Baliyali, Distt. Bhiwani	Do	
18	Sh. Om Parkash, Peon	Under Matric	Ashwani Aggarwal, Vijay	Ashwani Aggarwal, Vijay Nagar,	Do	

			Nagar, Bhiwani	Bhiwani		
19	Sh. Ishwar Dayal, Peon	Fifth Pass	T.I.T. Mills, Lalita Line, Bhiwani	VPO. Bond Kalan, Distt. Bhiwani	Do	
20	Sh. Madan Lal, Peon	Matric	C/o Roshan Lal Kasima, Mahajan, Surender Kumar, Ka Makan, Me. Gali Chanhera, Lohar Bazar, Bhiwani	VPO. Dhana Narsana, P.O. Haluwas, Distt Bhiwani	Do	
21	Sh. Vijay Kumar, Peon	Under Matric	C/o Master Dhara Singh, Vijay Nagar, Bhiwani	VPO. Dhigal Distt. Bhiwani	Do	
22	Sh. Mange Ram, Driver	Fifth Pass	C/o Master Dhara Singh	VPO.Jui Kalan Distt. Bhiwani	Do	

			Vijay Nagar, Bhiwani			
District Industries Centre, Rohtak						
1	Sh. R.P. Singh, General Manager	B.A. Hons. LL.B.	Green Road, Rohtak	3224/21-D, Chandigarh	By promotion	
2	Sh. Hari Parkash, Functional Manager	Diploma In Electrical Engg.	20/908, Shakti Nagar Rohtak	S.R.S. 101, VPO. Bagampur, Delhi 41	On deputation from P.N.B.	
3	Sh. Dayal Singh, Functional Mangaer	B.E. (Mech.) Marine Engg.	Near Anoopam School Jagdish Colony, Rohtak	1012, Model Colony, Yamunanagar	By direct appointment	
4	Sh. O.P. Vedi, Deputy Supdt.	Matric	H.NO. 174/9, Babra Mohalla, Rohtak	C/o Chaman Lal Tailor Master, Sirsa	By promotion	

5	Sh. B.K. Gupta, B.L.E.O (Ind.)	B.A.	C/o Satnarain, Arya Nagar, Rohtak	VPO. Kurana, The. Gohana (Sonepat)	Through re-allocation	
6	Sh. K.L. Chawala, Asstt.	B.Com.	B-III Para Mohalla, Rohtak	VPO. Kalanaur	By promotion	
7	Sh. S.P. Jain, A.C.A.	Matric	H.No. 345, Indira Colony, Rohtak	Charkhi Dadri	Do	
8	Sh. Kanwal Kishore, Jr. Scale Steno	Matric	H.No. 110/24, Jahawar Nagar, Rohtak	As in col. 4(a)	Do	
9	Smt. Saroj Kumari, Jr. Scale Steno	Matric				
10	Sh. Mohinder Singh, Steno-typist	B.A.	C/o Ram Bhaj (J.E.) Near Saini High School, Rohtak	VPO. Makhorikalan	By direct appointment	

11	Sh. Ramher Singh, Clerk	B.A.	345, Indira Colony, Rohtak	VPO. Surah	Do	
12	Sh. Subash Chand, Clerk	B.A.-I	932/6, Partap Mohalla, Rohtak	Same as in col 4(a)	Do	
13	Sh. Mahabir Singh, Clerk	Matric	C/o Manohar Colege, Rohtak	Same as in col 4(a)	By promotion	
14	Sh. Daya Kishan, Clerk	Matric	241/27, Tilak Nagar, Rohtak	Do	Do	
15	Sh. Rajbir Singh, Clerk	B.A.	173/13, Mohalla, Chamanpura, Rohtak	VPO. Kharar	Do	
16	Sh. Ramphal Singh, Clerk	Matric	314/25, Chand Nagar, Rohtak	VPO. Lakhan Majra	Do	
17	Sh. Laxman Singh, Clerk	Matric	277, Indira Colony, Rohtak	Vill. Madhmidvi	Do	
18	Miss Chanchal	Matric	374/14, D.L.	Same as in	By	

	Rani, Clerk		Colony, Rohtak	col. 4(a)	promotion	
19	Sh. Nawal Kishore, Driver		345, Indira Colony, Rohtak	VPO. Okhudana	Do	
20	Sh. Fateh Singh, Machineman	5th	649/21, Jagdish Colony, Rohtak	Same as in col. 4(a)	Do	
21	Sh. Parma Nand, Peon	Literate	77/12, Teji Colony, Rohtak	Same as in col. 4(a)	By direct appointment	
22	Sh. Bahadur Singh, Peon	Do	Opp. Nav Bharat, Ind. Rohtak	Vill. Dharkot	Do	
23	Sh. Raj Pal Singh, Peon	Matric	Daryav Singh Nagar, Near Petrol Pump, Rohtak	VPO. Polangi	Do	
24	Sh. Ram Parkash	Matric	C/o Paladh Singh, Hissar	VPO. Bhukani	Do	

			Road, Rohtak			
25	Sh. Chatter Singh, Peon		C/o Sube Singh, Hanuman Colony, Rohtak	VPO. Madina	Do	
26	Smt. Hoshiri Devi		C/o Kirpal Singh, Gopal Pura, Rohtak	VPO. Lidana		
27	Sh. Daulat Ram, B.L.E.O.	B.A.	Haryana Bhawan, New Delhi	H.No. 1055, W. No. 1, Garhi Mohalla, Rohtak	By promotion	
District Industries Centre, Jind						
1	Sh. R.L. Sehgal, General Manager	M.A. in Economics	21, Housing Board, Colony, Jind	W2/3491, Jail Road, Nangal Rayya New Delhi-46	By Promotion	

2	Sh. R.C. Kundu, BLEO	B.A.	153/9, Subash Nagar, Rohtak Road, Jind	V. Berarkhera, Distt. Jind	By Direct appointment	
3	Sh. J.K. Sethi, BLEO	Diploma in Mech. Engg.	Defence Colony, Jind	H. No. 197/C, Model Town, Karnal.	Do	
4	Sh. Ram Bhaj, BELO	Diploma in Electrical Engg	Vill. Jalalpur, Jind	Vill. Jalalpur, Jind	Do	
5	Sh. Inder Singh, BELO	Do	Vill. Bhagwanpura, Jind	Vill. Bhagwanpura, Jind	Do	
6	Sh. RanbIR Singh, Inspector	B.A.	Rohtak Road, Jind	Vill. Majra, Distt. Hissar	Do	
7	Sh. K.L. Bhatia, Asstt.	Matric	H.No. 14/3 Gandhi Nagar, Rohtak	H.No. 14/3 Gandhi Nagar, Rohtak	By promotion	

8	Sh. Arjan Dass, Asstt.	Matric	Near Arya Samaj Mandir, Jind	Model Town, Hansi (Hissar)	Do	
9	Sh. Ram Kumar, Asstt.	Matric	330-Housing Board Colony, Jind	Vill. Ram Rai, Distt. Jind	By promotion	
10	Sh. S.N. Miglani, Steno-typist	Matric	Patel Nagar, Patiala Chowk, Jind	Patel Nagar, Patiala Chowk, Jind	By direct appointment	
11	Sh. Ram Kumar, Clerk	Matric	4304, Defence Colony, Jind	Vill, Rajna, Distt. Jind	Do	
12	Sh. Mahender Singh, Clerk	B.Com.	Do	Vill. Gorawar, Distt. Rohtak	Do	
13	Sh. Jai Dayal, Clerk	B.A.	Near Sangam Hotel, Rly, Rd. Jind	Vill. Jajwan, Distt. Jind	Do	
14	Sh. Manphool	Matric	Gohana Road,	Vill. Padana,	Do	

	Singh, Clerk		Jind	Distt. Jind		
15	Sh. Satbir Singh, Clerk	Matric	Vill. Shamlo Kalan, Distt. Jind	Vill. Shamlo Kalan, Distt. Jind	Do	
16	Sh. Rajbir Malik, Clerk	Matric	Do	Do	Do	
17	Sh. Kehar Singh, Clerk	B.A., B.Ed.	Opp. Furguson Agency, Narwana Rd. Jind.	Vill. Silakheri, Distt. Jind	Do	
18	Sh. Hawa Singh, Clerk	B.A.	Vill. Kheri Marania, Distt. Jindi	Vill. Kheri Marania, Distt. Jindi	Do	
19	Sh. Dharam Pal, Clerk	Matric	Vill. Gatauli, Distt. Jind	Vill. Gatauli, Distt. Jind	Do	
20	Sh. Prem Chand, Clerk	Matric	Vill. Gharokhurd	Vill. Gharokhurd	Do	

			Distt. Jind	Distt. Jind		
21	Sh. M.D. Sharma, Driver	Literate	Vill. Singhana Distt. Jind	Vill. Singhana Distt. Jind	Do	
22	Sh. Jeet Singh, Driver	Literate	Chandigarh	Vill. Manak Majra Distt. Kurukshetra	Do	
23	Sh. Dhana Singh, Machineman	Under Matric	Vill. Karanthi Distt. Rohtak	Vill. Karanthi Distt. Rohtak	By promotion	
24	Sh. Ram Kumar, Peon	Literate	Ram Rai Gate, Harijan Mohalla, Jind	Ram Rai Gate, Harijan Mohalla, Jind	By direct appointment	
25	Sh. Abhe Ram, Peon	Matric	Vill. Brah Kalan, Distt. Jind	Vill. Brah Kalan, Distt. Jind	Do	
26	Sh. Tek Ram, Peon	Literate	Vill. Ghimana Distt. Jind	Vill. Ghimana Distt. Jind	Do	

27	Sh. Ganga Bishan, Peon	Matric	Vill. Malar, Distt. Jind	Vill. Malar, Distt. Jind	Do	
District Industrial Centre, Sirsa						
1	Sh. B.D. Trivedi, General Manager	M.A.	B/2, Mini Secretariate Sirsa.	VPO. Madkaoli, Distt. Badaun (U.P.)	By promotion	
2	Sh. Gokal Chand, Deputy Supdt.	Matric		C/o Prabhati Ram Mohalla Purani Sarai, Narnaul	Do	
3	Sh. Bhup Singh, Inspector	B.A.	D-8, Mini Sectt. Sirsa	V. Gadali, P.O. Chuli Bagrian, Teh. Adampur Distt. Hissar.	Direct appointment	
4	Sh. S.B. Yadav, Inspector	B.A.		H.No. 389/16, Friends Colony,	Do	

				Gurgaon		
5	Sh. Bawa Ram, Assistantcum-Accountant	B.A.-II	C/o Bakat Ram Begu Road, Sirsa	742-B/9, Panipat	By Promotion	
6	Sh. Dharam Singh, Loan Accountant	Matric	Bhagat Singh Colony, Barnala Road, Sirsa	VPO. Kheri Teh. & Distt. Mohindergarh	Do	
7	Sh. Umed Singh. Asstt.	B.A.-II	Guru Nanak Nagar, Opp. P.O. Sirsa	VPO. Lali, Teh. Fatehabad (Sirsa)	By Promotion	
8	Sh. G.L. Narang, Steno-typist	Pre-Univeristy	H.No. 108, Nai Mandi, Sirsa	VPO. Jamalpur, Teh. Bhwani Kheri Distt. Bhiwani	Direct Appointmen t	
9	Sh. O.P. Sardana, Clerk	Matric	1050, Gali Gokal, Chandwali, Near	VPO. Talwara Khurd, Teh. &	Do	

			Rori Gate, Sirsa	Distt. Sirsa		
10	Sh. Man Singh, Clerk	Matric	H.No. 2730, Sakhan Wali Gali, Sirsa	VPO. Khabra Kalan Teh. Fatehabad, Distt. Hissar.	Do	
11	Sh. Hari Chand, Clerk	Matric	VPO. Suchan Kotli, Teh. & Distt. Sirsa	Same as in col. 4 (a)	Do	
12	Sh. Hari Singh, Clerk	B.A.	Gobind Nagar, Hissar Road, Sirsa	VPO. Garhi Azima Teh. Hansi Distt. Hissar	Do	
13	Sh. Ranjit Singh, Clerk	B.A.-I	H.No. 422, Subash Basti Sirsa	VPO. Dakranwali, Teh. & Distt. Sirsa	Do	
14	Sh. Jagdish Chander,	Matric	H.No. 18, D.C. Colony, Sirsa	VPO. Mangali, Teh. & Distt.	Do	

	Driver			Hissar		
15	Sh. Gurdarshan Singh, Driver	Matric	H.No. 325, Gali Gurudurwara wali, Sirsa	H.No. 325, Gali Gurudurwara wali, Sirsa	Do	
16	Sh. Kashmiri Lal, Peon	7th	H.No. 44, Subash Basti, Near Jail, Sirsa	Same as in col. 4(a)	Do	
17	Sh. Udham Singh, Peon	Primary	M.C.Colony, Sirsa	VPO. Khalsi, Teh. Dunda, Distt. Uttar Kashi (U.P.)	Do	
District Industries Centre, Hissar						
1	Sh. M.C. Nagpal, General Manager	H.C.S.	Officer Colony, Q. No. 1, Hissar	Urban Estate, Sonepat	From HCS Cadre	
2	Sh. R.K. Sharma,	M.A.DPM.	Officer Colony Near Dubble	VPO. Dumar Khan, Distt.	Do	

	Functional Manager		Phatak. Hissar Q. No. 8-C	Jind		
3	Sh. J.M. Bhalla, Dy, Supdt.	F.A.	Thandi Sarak Near Railway Phatak, Hissar	Thandi Sarak Near Railway Phatak, Hissar	Do	
4	Sh. Satpal Kapoor, Acctt.	Matric	145/11A, Shanti Nagar, Hissar	Kila Mohalla, Tohana, Hissar	Do	
5	Sh. Thakar Dass, Asstt.	Matric	Rajguru Market Near Old Civil Hospital, Hissar	H.No. 1322, Dhani Kishan Dutt. Hissar.	Do	
6	Sh. P.P. Aggarwal, BLEO(I)	B.A.	Mohalla Biskhwala Near Nagorigate, Hissar	Same as in Sr. No. 4(a)	Direct appointment	
7	Sh. H.C. Kanwal,	B.A.	131, Defence Colony, Hissar	H.No. 196-B-Shahabad Markanda,	By Promotion	

	Inspector			Distt. Karnal		
8	Sh. Uttam Chand Sharma, Inspector	Matric	275/18, Mohalla Dogran, Hissar	Same as in col. 4(a)	Do	
9	Sh. R.P. Thukral, BLEO(I)	B.A.	2, Dabra Road, Model Town, Hissar	Same as in col. 4(a)	Do	
10	Satpal Wadhwa, Junior Scale Stenographer	B.A.	9/23, Patel Nagar, Hissar	9/23, Patel Nagar, Hissar	Do	
11	Sh. Bharat Bhushan,Steno -typist	B.A.	Dogaran Mohalla, Hissar	125/3 Mohalla, Rampura, Hissar	Direct Appointmen t	
12	Sh. Harish Chander, Clerk	B.A.	No. E-38, MiniSectt. Hissar	Gobindgarh Bazar, Hissar	Do	

13	Sh. Dharampal, Driver	8th Pass	F-68, MiniSectt. Hissar	VPO. Bhaklana. Teh.Distt. Hissar	Do	
14	Sh. Jagat Singh. Clerk	Matric	Urban Estate, 451 Model Town, Hissar	VPO. Balsmad, Distt. Hissar	Do	
15	Smt. Avtar Kaur, Clerk	B.A.	H.No. 505B. No. 13, Multani Chowk, Hissar	Same as in col. 4(a)	Do	
16	Sh. Jai Pal Singh, Clerk	B.A.	H.No. 249, Defence Colony, Hissar	VPO. Jakhod Kheri Teh. & Distt. Hissar	Do	
17	Sh. Ram Nath, Clerk	Matric	Near Pili Kothi, Jawahar Nagar, Hissar	Same as in col. 4(a)	Do	
18	Sh. Mohar Singh, Clerk	B.A.	Inside Nagori Gate, Jain Gali,	VPO. Pannihar Chak, Teh. &	Do	

			Hissar	Distt. Hissar		
19	Sh. Joginder Singh, Clerk	Matric	329, Defence Colony, Hissar	VPO. Rajlan, Teh. & Distt. Jind	Do	
20	Sh. Omkanwar, Clerk	Matric	Near Thandi Sarak, Hissar	VPO. Sadalpur, Via Mandi Adampur, Hissar	Do	
21	Sh. Jagdish Chander, Machineman	4th Class	Camp Tent House, near Gurudawara, Hissar	V. Kubrati Dhari Patti, Tala Udhapur, Distt. Paurigarhwal (U.P.)	By promotion	
22	Sh. Phool Singh, Peon	Illiterate	Nirankari Bhawan, Hissar	VPO. Ladwan, Distt. Hissar	Direct Appointment	

23	Sh. Mohan Lal, Peon	Do	50, M.C. Colony, Hissar	50, M.C. Colony, Hissar	Do	
24	Sh. Ram Chand, Peon	Do	Jawahar Nagar, Gali No. 2, Hissar	Jawahar Nagar, Gali No. 2, Hissar	Do	
25	Sh. Dhoom Singh. Peon	Matric	H.No. 25/2A Balsmad Road, Hissar	H.No. 25/2A Balsmad Road, Hissar	Do	
26	Sh. Ram Dev, Chowkidar	Illiterate	Mini Sectt. Hissar	V. Jusasa, Teh. Sultanpur, Distt. Sultanpur	Do	
27	Sh. Ishwar Dass, Peon	Do	H. No. 600, Multani Chowk, Hissar	H. No. 600, Multani Chowk, Hissar	Do	
28	Sh. Prem Dutt. Peon	Do	Purani Kath Mandi Hissar	VPO. Mayar, Distt. Hissar	Do	

29	Sh. Bhola Singh, Peon	Do	Patel Nagar, Hissar	P.O. Timli Molalpur, Distt. Pauri Garhwal, U.P.	Do	

ANNEXURE-II

Statement Showing the funds allocated and utillised during the years 1981-82 and 1982-83 under District Industries Centres (Staff) Scheme.

(In Rs.)

Sr. No.	District	1981-82		1982-83	
		Allocation	Utilisation	Allocation	Utilisation
1	Ambala	466230	452083	583162	592266
2	Kurukshetra	208698	226264	355843	349958
3	Karnal	386500	304285	456200	450773
4	Sonepat	275950	242472	309138	274000
5	Gurgaon	540000	540000	620000	620000
6	Rohtak	424800	401479	496754	496846
7	Faridabad	372550	378886	418332	369885
8	Jind	424436	319644	419644	414706
9	Narnaul	311500	325999	394857	400910

10	Sirsa	299040	263178	256867	256364
11	Hissar	356453	356020	429050	434064
12	Bhiwani	305500	262067	360316	314797
	Total	4371657	4072377	5100063	5001569

ANNEXURE-III

Statement Showing the funds allocated and utillised during the years 1981-82 and 1982-83 under District Industries Centres, Promotional Scheme.

					(In Rs.)
Sr. No.	District	1981-82		1982-83	
		Allocation	Utilisation	Allocation	Utilisation
1	Ambala	99000	5000	99995	8160
2	Sirsa	99000	67650	99995	98300

3	Karnal	104000	65000	99995	36493
4	Gurgaon	99000	55450	99995	99995
5	Rohtak	104000	100000	100305	82370
6	Kurukshetr a	99000	66000	99995	46800
7	Sonepat	99000	76000	99995	96350
8	Faridabad	100000	23489	100015	65175
9	Bhiwani	99000	17485	9995	91130
10	Narnaul	99000	75296	99995	113330
11	Jind	99000	73970	99995	89000
12	Hissar	100000	86750	99995	80830
	Total	1200000	712090	1200000	897993

ANNEXURE-IV

Statement Showing the amount of Funds allocated/utilized in respect of the District Industries Centres Seed/Margin money scheme during the year 1981-82 and 1982-83.

(In Rs.)

Sr. No.	District	1981-82		1982-83	
		Allocation	Utilisation	Allocation	Utilisation
1	Ambala	241500	2141500	300000	300000
2	Bhiwani	241500	126590	300000	103920
3	Fridabad	241500	235309	300000	85340
4	Gurgaon	241500	241500	300000	42725
5	Hissar	241500	241500	300000	300000
6	Jind	241500	251500	300000	40275
7	Panipat	241500	241500	300000	262420
8	Kurukshetra	241500	241500	300000	144475
9	Narnaul	241500	241500	300000	92970

10	Rohtak	241500	241500	300000	260042
11	Sirsa	241500	227704	300000	18025
12	Sonepat	241500	241500	300000	126239
	Total	2898000	2763103	3600000	1776431

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

15.00 बजे

श्रीमति चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहब, मैनें आपकी सेवा में लोकायुक्त और एन्टी डिफैक ान बिल जिस दिन सै ान भाुरू हुआ था उसी दिन दिए थे। मैं यह जानना चाहती हू कि मेरे वे बिल कब डिस्क ान के लिए आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: उसमें थोडी सी डिफिकल्टी आ रही है। मैं उनके बारे में अपनी रूलिंग अनाउन्स कर दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैनें एक काल अटैन ान मो ान को नोटिस दिया हुआ है कि पिछले साल और इस साल बाजरे के बीज में काफी घोटाला हुआ है इस बारे में आपने क्या फैसला लिया है।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, उस बारे में मैने गवर्नमैंट से कमैंटस मांग रखे है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, आज के पेपर वीर प्रताप में पानीपत से यह खबर छपी है कि बिजली बोर्ड ने सरचार्ज 12 पैसे से बढाकर 16 पैसे कर दिया है। मैं इस बारे में यह चाहता हूं कि सरकार अपनी स्टेटमैंट दे।

श्री अध्यक्ष: क्या आपने इस बारे में कोई नोटिस दिया है?

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, नोटिस तो नहीं दिया है। इस बारे में मंत्री जी वैसे ही बता दें कि सरचार्ज बढाया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: यदि नोटिस नहीं दिया है तो आप बैठ जाएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन ान मो ान का नोटिस पेस्टीसाइडज के बारे में दिया था और आपने भाायद आज ही उसके बारे में अपना फैसला देना था।

श्री अध्यक्ष: मैंने उस बारे में गवर्नमैंट से कमैंटस रखे है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैंने महर्शि फार्मेसी कालेज तरावडी और गांधी फार्मेसी कालेज, करनाल के बारे में रूल 66 के तहत एडर्जनमैंट मो ान का नोटिस दिया था। आपने उसके बारे में क्या फैसला दिया है?

श्री अध्यक्ष: वह मैनें डिस अलाउ कर दिया है। मैंने उसके बारे में पूरी तरह से गौर किया है। वह एडर्जनमैंट मो ान नहीं बनता है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक अनस्टार्ड क्वै चन था जो कि फर्स्ट क्वै चन आफ दि सै ान था और

आज तक उसका जवाब नहीं आया है। मुझे पता लगा है कि उसको डैफर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्षः मैं उस बारे चैक अप करवा लूंगा।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब * ** * * * *(ोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः जो मेरी परमि ान के बगैर बोलाय जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमति चन्द्रावतीः जनाब स्पीकर साहब, माननीय सदस्य कोई गलत बात नहीं कर रहे फिर भी आपने कह दिया कि रिकार्ड न किया जाए। अगर कुछ नहीं लिखा जायेगा तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः राम बिलास जी, क्या आपने इस बारे में कोई नोटिस दिया है?

श्री राम बिलास भार्माः जी हां। स्पीकर साहब, मुझे ज्यों ही श्री हरबन्स लाल खन्ना के मर्डर का पता लगा था मैने आपकी सेवा में नोटिस दे दिया।

श्री अध्यक्षः मुझे बताया गया है कि वह आपने आज 2. 30 बजे दिया है हर चीज प्रोसीजर के मुताबिक होती है। जिस वक्त आपने अपना नोटिस दिया उस वक्त मैं हाउस में आ गया था। जब वापिस जाउंगा उस समय उसको कंसिडर करूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने पंजाब के एक एक्स एम0एल0ए0 के मरने के बारे में उनका नाम लिया है। अगर ऐसा हुआ है तो उसका भाोक प्रस्ताव तो जरूर आ जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहले इस बारे में कन्फर्म कर लिया जाए उसके बाद कल भाोक प्रस्ताव आ जाएगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है पहले इस बारे में कन्फर्म कर लें।

चौधरी लीला कृशणः ....

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

श्री लछमन, गोहाना निवासी के साथ हुई घटना संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री किताब सिंह एमएलए की ओर से 18–3–84 को गोहाना में श्री लछमन सुपुत्र श्री सुन्दरा हरिजन के साथ हुई घटना के बारे में अटैं ान मो ान का नोटिस मिला है मैं इसे मंजूर करता हूं। आनरेबल मैम्बर अपना नोटिस पढ लें।

श्री किताब सिंहः मैं सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि 18–3–84 को सांय 6.00

बजे लछमन सुपुत्र श्री सुन्दरा हरिजन निवासी वार्ड नं0 11, मोहल्ला खटीक, गोहाना चाय की दुकान पर दूध लेने आया तथा सिपाही उमेद सिंह, पेटी नं0 495 पहले से ही वहां पर खडा था जिसने लछमन को कहा कि मेरे लिए भाराब की बोतल लाओ परन्तु लछमन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। इतना कहने पर उक्त सिपाही ने लछमन को पीछे की ओर धकेलना भाुरू कर दिया तथा उसे गर्म दूध की कढाई में डाल दिया जिससे वह बुरी तरह जल गया। इस घटना से वहां के लोग इक्टठे हो गए तथा सूचना मिलने पर एसएचओ भी मौके पर पहुंच गया। उसने लोगों को डण्डे मार कर तितर बितर कर दिया। इसके बाद गर्म दूध से जले हुए लछमन को गोहाना अस्पताल ले जाया गया परन्तु पुलिस के दबाव के कारण डाक्टर ने उसे दाखिल करने से इंकार कर दिया। इसके प चात 15–20 व्यक्ति एसडीएम के पास गए। एसडीएम मौके पर आए तथा उसे एम्बुलैंस द्वारा सीधा मेडिकल कालेज रोहतक भेज दिया। उसकी हालत गम्भीर बताया जाती है। जब 20–3–84 तक एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया तो कुछ लोग एसपी से मिले। परन्तु कुछ दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो 70–80 व्यक्ति भाान्तिपूर्वक पुलिस स्टे ान पहुंचे परन्तु एसएचओ ने उन पर लाठी चार्ज करवा दिया जिससे कई लोगों को चोटें आई। इस घटना से लोगों से बडा असन्तोश व्याप्त है। अतः सरकार इस घटना के विरूद्ध उचित कार्यवाही करे तथा इस सम्बन्ध में सदन को सूचित करें।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसका जबाव कल दे देंगे।

बिल्ज–

(1) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब कोओप्रे ान मिनिस्टर हरियाणा कोओप्रेटिव सोसाइटिज बिल की कंसिड्रे ान के लिए मो ान मूव करेंगे।

Cooperation and Dairy Development Minister (Chaudhri Birinder Singh): Sir, I beg to move-

That the House Cooperative Societies Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House Cooperative Societies Bill be taken into consideration at once.

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, जो कोआप्रेटिव सोसाइटिज बिल सदन में लाया गया है इस बारे में पहले के दो ऐक्टस को रीपील करके, दोनों को अमलगमेट करके एक बिल की भाक्ल में पे ा किय गया है जिसके 132 सेक ान्ज है। स्पीकर साहब, मैंने इस बिल के बारे में आपसे भाुक्रवार को भी अर्ज की थी कि यह बहुत लम्बा चौडा बिल है। हम इसको अच्छी तरह से

स्टडी नहीं कर सकेंगे अगर हमें इसके लिए सफीशिएंट टाईम न दिया गया। टाईम देने की आपने कृपा कर दी थी और यह बिल आपने दो अप्रैल के लिए रख लिया था। इस कारण हमें इस बिल को पढने के लिए एकआध दिन का समय मिल गया लेकिन मैं यह कहने में भी कतई नहीं हिचकिचाउंगा कि अब भी हम इस बिल की एक एक क्लाज को अच्छी तरह से स्टडी नही कर पाएं है। विदआउट गिविंग डीप थौट एंव कंसिड्रेशन टू वेरियस क्लासिज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोआप्रेटिव मूवमैंट जिसका मकसद लाखों गरीब लोगों को कोआप्रेटिव अदायरों के जरिए सोसाइटीज बना करके फाइनैंशियल असिस्टैंस देनी है। स्पीकर साहब, जो भी कोआप्रेटिव सोसाइटी बनती है वह अपना काम करने में आजाद होती है लेकिन इस बिल के जरिए उस पर बडा जब्रदस्त कुठराघात किया जा रहा है और इस प्रकार से इतनी रिस्ट्रिक्शंज इम्पोज की जा रही है जिससे उनका गवर्नमैंट की तरह ही ध्यान रहेगा। उनको बिल्कुल गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की क्लासिज इस बिल के अन्दर ऐड कर दी गयी है। मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज नं 4 (1) की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो इस प्रकार है–

"Societies which may be registered"

"4. (1) Subject to the provisions hereinafter contained a society which has its object the promotion of the economic interests of its members of its members in accordance with co-operative principles as prescribed or a

society established with the object of facilitating the operations of such a society may be registered under this Act with or without limited liability.

Provied that unless Government by general or special order otherwise directs the liability of the society of which a member is a co-operative society shall be limited.”

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इस क्लाज को भाामिल करके गवर्नमैंट को अब लिमिटिड पावर्ज दे दी गई है यदि 10–15 आदमी मिल कर कोई सोसायटी रजिस्टर करवाना चाहते है और लिमिटिड लाइब्लिटीज रखना चाहते है तो गवर्नमैंट उनको बाउंड कर सकती है कि हम तो विदआउट लाएबिल्टीज सोसायटी को रजिस्टर करेंगे इस प्रकार यह एक जबरदस्त रिस्ट्रिक ान है जिसको सरकार चाहे उस सोसायटी को रजिस्टर कर लिया जाए और जिसको न चाहे उसको रजिस्टर न करें। इस प्रोवाइजों के जरिए सरकार को अख्त्यिार दे दिया गया कि जो सोसायटी अपनी लिमिटिड लायब्लिटीज रखना चाहती है उसको अनलिमिटिड करवा ले और जो अन–लिमिटिड रखना चाहती है उसको लिमिटिड करवा लें। इस तरह से रजिस्ट्रे ान की एक जबरदस्त मूवमेंट आगे नहीं बढ पायेगा और एक प्रकार से इस कोआप्रेटिव मूवमैंट को नाकामयाब करने का स्टैप होगा। मैं आपके जरिए गवर्नमैंट से गुजारि ा करूंगा कि यह प्रोवाइजो हटा देना चाहिये। अब मैं आपका ध्यान क्लाज 12(1) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है–

"Subject to the provision of the Act and the rules, a cooperative society may, be an amendment of its bye-laws, change the form or extent to the change."

और आगे इसी की सब क्लाज (3) में लिखा है–

"Any member or creditor who does not exercise his option within the period specified in sub section (2) shall be deemed to have assented, to the change."

इस का मतलब यह हुआ कि जब कभी कोई सोसायटी चाहे अपनी लायब्लिटिज को लिमिटिड बना सकती है और दो तिहाई की मैजोरिटी से अपनी लायब्लिटिज को अन–लिमिटिड बना सकती है। मैं आपके जरिए गुजारि ा करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सोसायटी में कई दफा ग्रुपिंग हो जाती है और इससे करोडो रूपये का घपला हो जाता है। इस प्रकार के उदाहरण है कि गरीब लोगों के झूठे अंगूठे और दस्तख्त करवा कर लाखों रूपये डकारे गए है। ऐसे व्यक्ति कानून के ि ाकंजे में भी नहीं आ पाते। ऐसे लोग सैंकडों की तादाद में है जिन्हें आप भी जानते है मैं भी जानता हूं और मंत्री जी भी जानते है। इस प्रकार जो सोसायटी लिमिटिड लायब्लिटीज के साथ रजिस्टर्ड हुई थी। उसके 5–10 या 15 आदमी यानि दो तिहाई बहुमत से जब चाहें इनकनविनिएंट पीपल को निकाल दें। इस प्रकार हेरा फेरा करके बहुमत तो पैसा खा जाता है और जो इनोसैन्ट लोग बहुमत में नहीं है। उनको फंसा देते हैं इस प्रकार से जो क्लासिज इस बिल में भाामिल की जा रही है उससे बेगुनाह और इनोसैंट लोग ही

मारे जाएंगे और उनके हकूको पर कुठराघात होगा। इसके बाद मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज (4) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके अन्दर तो गजब ही कर दिया गया है यह क्लाज इस तरह है—

"Compulsory amalgamation.

14(1) Where are Register is satisfied that it is essential or desirable in the interest of the cooperative society or co-operative societies that-

(i) one or more cooperative societies be amalgamated with any other coperative society or

(ii) two or more cooperative societies be amalgameted to form a new cooperative society.

then notwithstanding anything contained in section I, the Registrar may be order, after consulting the financing institution, if any, provide for the amalgamation of the said society or societies.

इस प्रकार से इस क्लाज को एक्सप्लेन किया गया है। क्लाज 14 की तरह से इतनी जबरदस्त पावर रजिस्ट्रार के माध्यम से गवर्नमैंट लेना चाहती है। इस प्रकार से किन्ही भी दो सोसायटीज को एक दूसरी सोसायटी में भाामिल किया जा सकता है। मान लो एक सोसायटी मेरे हल्के की है और दूसरी सोसायटी आपके हल्के की है। इनको रजिस्ट्रार अमलगमेट कर सकता है।

इनको अमलगमेट करने का कांटीगुइटी या ज्योग्रीफीकल लोके ान का कोई काइटेरिया नहीं रखा गया। क्लाज 14 के अन्दर एक अजीब आर्बीट्रेरी प्रोवीजन रख दी है। ऐसी प्रोवीजन मेरे ख्याल में किसी भी एक्ट में नहीं है। मैं आपको इसी प्रकार की एक मिसाल पे ा करना चाहता हूं। सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक भिवानी आज से 10–15 साल पहले करोडों रूपये के घाटे में चला गया था। उस समय सरकार ने हिसार सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक के साथ उस बैंक को अमलगमेट कर दिया। उस वजह से हिसार सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक के सारे के सारे भोयर होल्डर्ज घाटे में चले गये। इस समय इस बिल में कम्पलसरी प्रोवीजन किया जा रहा है जबकि उस समय कम्पलसरी प्रोवीजन नही था। जो प्रोवीजन क्लाज 14 में डाली गयी है वह बिल्कुल आर्बीट्रेरी है। इससे रजिस्ट्रार को इतनी पावर दी जाएगी कि जिस सोसायटी को वह दूर करना चाहे तो उसे किसी दूसरी सोसायटी में अमलगमेट कर सकता है। इस प्रकार रजिस्ट्रार घाटे वाली सोसायटी को जीवत रख सकता है और फायदे वाली सोसायटी को खत्म कर सकता है। गवर्नमैंट कोआप्रेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार के जरिए खुद पावर को एक्सरसाईज करना चाहती है।

सरकार जो बिल लेकर आई है यह एंटी किसान, एंटी मजदूर और एंटी हरिजन है। मेरी आपसे गुजारि ा है कि इसमें री–थीकिंग होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की तवज्जह क्लाज 35 की तरफ दिलाउंगा। Clause

35 deals with the removal of Committee member. इस में भी रजिस्ट्रार को पूरी पावर्ज दी हुई और without any ground he can remove a member. इसमें भी बडी आरबीट्रेरी पावर्ज है। I will draw your attention towards clause 53. इस में तो गजब ही कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा 1930 से 1940 तक के अर्से में किसानों का बहुत ही बुरा हाल था, मजदूरों की बहुत बुरी हालत थी। किसान बुरी तरह से कर्जे में जकडा हुआ था। उस वक्त के रहबर, रहनुमा एक बहुत बडे महापुरूश सर छोटूराम जी ने कानून में अमैंडमैंट की थी और कुछ नये कानून किसान की बहबूदी के लिए बनाये थे। उनकी रूह से किसान का घर, किसान का एक बैल और किसान का एक दुधारू प ु नीलाम नहीं हो सकता था। जिसके पास एक ही मकान यानि एक ही कोठा हो, वह भी नीलाम नहीं हो सकता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी उसी महापुरूश के वं ा में से है। इसके हाथ से ऐसा बिल असैम्बली में पास हो जाए और उस महापुरूश ने किसान के हित में जो कानून बनाये थे। उनके बिल्कुल उलट हो जाए तो उनको कश्ट होगा और मुझे तो बहुत ही कश्ट होगा। इन्होंने क्लाज 53 में लिखा है–

"Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force-

(a) it shall be lawful for a member, if he owns a land or any other immovable property or has interest of any land as

tenant to create a charge or mortgage in favour of a society for any financial assistance given to him by it.”

इन्होंने टेनेंसी को भी चार्ज किएट कर दिया as a security for getting loan. सपोज, मैं बडा लैंडलार्ड हूं और एक गरीब आदमी, गरीब हरिजन, छोटा किसान मेरा टेनेंट है। इस बिल की क्लाज 53 के मुताबिक वह अपनी टेनेंसी का चार्ज किएट कर सकता है और लोन ले सकता है। सपोज, किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से या किसी और वजह से उसकी फसल तबाह हो जाती है खत्म हो जाती है ओर वह लोन री–पे नहीं कर सकता then Government can step into the shoe of the tenant and will automatically become tanent of the original land owner. जो ओरिजनल लैण्ड ओनर है वह गवर्नमेंट को पैसा देकर जमीन छुडा लेगा और टेनेंट को इजैक्ट कर देगा। (घंटी)

श्री उपाध्यक्षः आप दो चार मिनट में खत्म करें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, यह ज्यादती है आप मुझे और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्षः आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गए हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं अपने ग्रुप की तरफ से अकेला बोलूगां इसलिए मुझे टाईम दे दीजिए।

श्रीमति चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, ये ठीक बात कर रहे हैं इनको आप बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः आप पांच मिनट में खत्म करें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः ठीक है जी, मैं पांच मिनट में ही खत्म करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि टेनेंसी का जो चार्ज किया गया है इससे किसी मुजारे को बेदखल करने का इस बिल में सहज तरीका है। अगर मुजारा 15 महीने के अन्दर अन्दर लोन की री–पेमैंट नहीं करता Government will step into the shoe of the tenant who has not repaid the loan. तो वह आटोमैटिकली इजैक्ट हो जाएगा और पंजाब लैंड टैन्योर एक्ट के तहत उसको जो बेनिफीट मिलेगा वह समाप्त हो जाएगा। उसकी कौप नीलाम हो सकती है। रिकवरी के समय अगर वह पेमैंट नही कर सकता तो उसकी खडी फसल टेनेंसी का चार्ज किएट करके नीलाम हो सकती है। किसान पर होने वाली ज्यादतियों पर जो तीस चालीस साल पहले पाबन्दियां लगाई थी। वे पाबन्दियां एक तरह से खत्म हो रही है और इस क्लाज से मजदूर और किसान को फंसाने की साजि ा हो रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल को भाान्ति के साथ पढें और गौर से एग्जामिन करें। कौन सी ऐसी जल्दी है कि इस बिल को अभी पास करना है। इनके पास पहले से ही एक्ट मौजूद है उससे काम चल रहा हैं बेहतर यही होगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। इस कमेटी में अच्छे लोगों को भाामिल किया जाए जो इस सारे बिल की छानबीन करें। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से क्लाज 72 है। Clause 72 deals with distraint

whento be made. In sub clause (1) of clause 72 it has been stated-

"If an instalment of a loan advanced against a mortgage or charge created in favour of a society under section 53 or any part of such installment has remained unpaid for more than three months from the date it fell due the society may in addition to any other remedy available to it apply to the Registrar for the recovery of such installment or part by the distraint and sale of the produce of the charged or mortgaged land including the standing crops therein."

डिप्टी स्पीकर साहब, किसान की कोप, मजदूर की कोप जिसको अंडर दि ला प्रोटेक ान मिलती है उसकी स्टैंडिंग कोप को नीलाम करने के लिए आज यह सरकार बिल लेकर आई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने मंत्री दोस्त से गुजारि ा करूंगा कि इस बिल को पूरी तरह से पढ लें। यह ठीक है कि हर मंत्री को इतना टाईम नहीं मिलता कि वह हर बात की तरफ पूरा ध्यान दे सके। And it may be because of lack of time that he has not beenable to go through the Bill. अगर पढ लेते तो यह बिल लेकर न आते। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके आगे दो क्लाजिज और हैं इन पर थोडा सा बोलूगां उसके बाद में बैठ जाउंगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी क्लाज 72 की सब क्लाज (4) आप देख लीजिये। बहुत गजब की बात है।

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): मैम्बर साहब, सब क्लाज (2) के प्रोवाइजों को भी पढ लें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं प्रोवाइजों भी पढ देता हूं। इसमें लिखा है–

"Provided that no distraint shall be made after the expiry of twelve months from the date on which the installment fell due."

12 महीने का समय दिया है। ऐसा स्लम्बरिंग मककमा कोई नहीं होगा कि इंस्टालमैंट डयू हो जाए और वह 12 महीने तक सोता रहे। इसमें कोई बात नहीं है। वह एक्ट डैड माना जाएगा। That will not be alive. अगर महकमा 12 महीने जागता है तो हमारे हक की बात नहीं है। यह प्रोवीजन तो आंसू पोंछने और बहकाने वाली बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 72 की सब क्लाज (4) में लिखा है–

"(4) Any mistake, defect or irregularity in this respect shall not invalidate a distraint or sale made under this Act."

अगर बडी कोप के सेल करने में कोई गलती हो जाएगी कोई इर–रैगुलरीटी हो जाएगी तो वह सफि ाएंट हो जाएगी to inalidate that sale. कहने का मतलब यह कि अगर महकता कोई इर–रैगुलरीटी कर दें कोई गलती कर दे तो उस गलती को गलती नहीं माना जाएगा। फिर ये कहते हैं कि ये लोनी के साथ बहुत इन्साफ कर रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं क्लाज 76 की सब क्लाज (3) की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें लिखा है–

"The Registrar may set aside a sale on the application of the mortgagor or nay other person interested in the mortgaged property, presented to him with in 30 days of the sale, if in his option there has been an illegality or material irregularity in conducting the sale."

यहां तो हमें बहकाते है कि एक महीने के अन्दर अन्दर उसको बता दिया जाएगा कि सैट असाइड कर देंगे लेकिन in the next breath in clause 83 of this Bill, it has been stated that-

"When a sale, purported to have been made in the exercise of power of sale conferred be setion 75 has been confimed under sub section (3) of section 77 the title of the purchasor shall not be impeachable on the ground that no case has arisen to authorise the sale or that due notice was not given or that the power was otherwise improperly or irregularly exercised but any person demnified by an unauthorised or improper or irregular exercise of the power shall have his remedy in damages against the society."

यहां इन्होंने वह पावर ले ली है इसे कंट्राडिक्टरी प्रोवीजन बना दिय। नोटिस सैट असाइड करने के लिए तो ग्राउन्ट होगी लेकिन यहां कहते है कि कोई परवाह नहीं की जाएगी कि नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। एक महीने का टाईम देकर थोडा बहुत बैनिफीट देने की कोि ा ा की गई थी लेकिन क्लाज 83 के द्वारा उसे वापस ले लिया है।

इसके बाद सर, मैं आपका ध्यान क्लाज 89 की तरफ दिलाना चाहूंगा। इसमें लिखा है–

"No cooperative society shall purchase, acquire, lease sell any land or contruct any building or other immovable assets of the society except with the prior approval of the Registrar."

आप देखें कि ये कैसे हमें अंगूठे के नीचे रखना चाहते है। मान लो हम 11 आदमी हाउसिंग सोसाइटी बनाते है। हमने लैंड ले ली उसे डिवैल्प कर लिया लेकिन अगर हम उस पर मकान बनाना चाहें या उसे सेल करना चाहें तो नहीं कर सकते। उसके लिए रजिस्ट्रार की एप्रूवल चाहिए। उसे हम लीज पर भी नहीं दे सकते। उसके लिए भी रजिस्ट्रार की एप्रूवल चाहिए। इस तरह से तो ये सोसाइटीज की इंडिपैन्डैन्स को समाप्त कर रहे हैं। कोआप्रेटिव मूवमैंट के पीछे जो भावना छुपी हुई थी उसे ये समाप्त कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं अफीम बेचना चाहता हूं तो मुझे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक काम के लिए रजिस्ट्रार की परमि ान लेने के बाद रिस्ट्रिक ान्ज क्यो? उसके बाद बार बार रजिस्ट्रार के पास किए लिए बुलाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने मोटे तौर पर ये खामियां इसमें देखी है और मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसे कैनाल एक्ट की तरह सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। लाखों लोगों की जिन्दगी इससे जुडी हुई है।

(विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस वि वास के साथ बैठता हूं कि मंत्री जी इस पर पूरा गौर करेंगे और इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेजेंगे।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा कोआप्रेटिव सोसायटीज बिल जो सदन में पे ा किया गया है। इस मैं समझता हूं कि कोआप्रेटिव बिल नहीं बल्कि कोअ ्ान बिल कहना चाहिए। कहने के लिए तो यह वीकर सैक ांज के भले के लिए है लेकिन मैं कहता हूं कि इसे सदन में वीकर सैक ांज को वीकैस्ट करने के लिए लाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से रजिस्ट्रार की पावर्ज करने के लिए वाइडन की गई है। ठीक है कि आज रजिस्ट्रार भले आदमी है लेकिन कल को कोई ....

श्री उपाध्यक्षः यह जो नाम लिया गया है इसे रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमति चन्द्रावतीः इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।

श्री उपाध्यक्षः जो आदमी हाउस में प्रैजैन्ट नहीं है उसका नाम यहां कैसे लिया जा सकता है?

श्रीमति चन्द्रावतीः ....

श्री उपाध्यक्षः यह बात भी रिकार्ड पर न लाई जाए।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: डिप्टी स्पीकर साहब, कल को ऐसा रजिस्ट्रार या मंत्री आ सकता है जो इन पावर्ज का नाजायज फायदा उठा सकता है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं क्लाज 8 की सब क्लाज (1) के (डी) पार्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है–

"8. (1) If the Registrar is satisfied.

(d) that the proposed society has reasonable chances of success the Registrar may register the society and its bye-laws.

डिप्टी स्पीकर साहब, यह अन्दाजा लगाना तो बहुत मुि कल है कि सोसायटी कामयाब होगी या नहीं। इससे तो रजिस्ट्रार को आर्बिट्रेरी पावर्ज मिलती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं आपका ध्यान क्लाज 20 की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है–

"Every member of a co-operative society shall have one vote in affairs of the society:

Provided that-

(a) in the case of equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote."

मैं कास्टिंग वोट के बिल्कुल हक में नहीं है। अगर वोटस बराबर हो जाएं टौस डालने में इससे सोसायटी औटोनोमस नहीं रहती। इसमें लिखा है–

"27(1) The Registrar may be order in writing, suspend the execution of any resolution of the managing committee or of a sub-committee of a co-operative society if in this opinion, the resolution is in excess of the powers conferred by this Act or the execution of the resolution is likely to prejudice the material interest of the cooperative society or the members thereof."

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें लिखा है कि एक सोसाइटी और रैजोल्यू ान पास करती है तो उसे इतनी पावर नहीं है कि वह अपने रैजोल्यू ान को आगे चला सके। रजिस्ट्रार को इतनी आर्बिट्रेरी पावर्ज है कि वह उस रैजोल्यू ान की एग्जीक्यू ान को सस्पैंड कर सकता है।

इसी क्लाज की सब क्लाज (2) में लिखा है–

"2) When the Registrar makes any order under sub section (1), he may after giving the committee or sub committee as the case may be an opportunity of being heard, rescind such resolution or may order that such resolution may continue in force with or without modification permanently or for such period as he may think fit."

अगर एक रैजोल्यू ान को रजिस्ट्रार यह समझता है कि यह ठीक नहीं है तो वह किसी संकल्प का निशपादन कर सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं। कि वह उस रैजोल्यू ान को सेम पीरियड में कुछ दिन के लिए किस तरह से निलम्बित कर सकता है। इसके बाद क्लाज 28 आती है। उसकी सब क्लाज (2) की

एक्सप्लेने ान और सब क्लाज तीन, दोनों आपस में कन्ट्राडिक्टरी है। क्लाज 28(2) की एक्सप्लेने ान में लिखा है—

"The election process shall be deemed to have started from the date of the order of the Registrar fixing the date of election."

यानि इलैक ान की डेट रजिस्ट्रार फिक्स करेगा। अगर इलैक ान की डेट ही रजिस्ट्रार फिक्स करेगा तो सोसायटी का क्या फायदा हुआ वह अपना इलैक ान भी खुद फिक्स नहीं कर सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, जींद बैंक के इलैक ान के सिवाए, कोई भी इलैक ान नहीं हुआ। अगर गवर्नमैंट चाहती है कि सोसायटीज इन्डीपेन्डेन्ट हो तो उसमें इन्टरफियर क्यों करती है। सोसायटी जो भी फैसला लेना चाहे वह फैसला हो इसलिए गवर्नमैंट रजिस्ट्रार से कह कर इलैक ान न कराये। इससे आगे सब क्लाज 3 में लिखा है—

"The committee of each society, shall before the expiry of the term of its committee arrange for the election of a committee in accordance with its bye-laws failing which the Registrar shall arrange to hold such elections."

यानि अगर किसी सोसायटी की कमेटी इलैक ान नहीं कराती है तो रजिस्ट्रार इलैक ान की डेट फिक्स करेगा। इसी तरह से क्लाज 28 (6) में लिखा है—

“No individual shlal at any time, be a member of a committee of more than two primary societies, one central society and one apex society.”

इस बात से आप अन्दाजा लगाये कि एक आदमी की पावर करटेल की गई है। वे कहते है कि एक आदमी दो प्राथमिक सोसायटीज, एक केंद्रीय सोसायटी और एक ि ाखर सोसायटी से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। अगर वही मैम्बर सरकारी आदमी है और नोमिनेट किया गया है तो दो ये ज्यादा सोसायटी का मैम्बर बन सकता है। जैसा कि प्रोवाइजो को पढने से जाहिर होता है। प्रोवाइजो में लिखा है–

“Provided that nothing in this sub section shall apply to a member nominated under sub section (1) of section 29 or to a member of the committee of an apex or central society nominated to serve on the committee of another apex or central society, as the case may be in accordance with the provisions of their bye-laws.”

यानि नोमिनेटिड मैम्बर की ज्यादा पावर है। वह कितनी ही कमेटियां का मैम्बर बन जाये उसके लिए कोई रिस्ट्रिक ान नहीं लेकिन आम आदमी के लिए रिस्ट्रिक ान है। इसके बाद क्लाज 29(1) के पार्ट (a), (iv) में लिखा है–

“(a) Where the Government has-”

“(iv) assisted the society with loans and grants; by not less than one lakh rupees, the Government or any person authorised by it shall have the right to nominate on the

managing committee of such society not more than three members or one-third of the total number of elected members of such committee,whichever is less."

यानि अगर गवर्नमैंट किसी सोसायटी को एक लाख रूपया देकर असिस्ट करती है तो वह तीन मैम्बर ओर मैनेजिंग डायरेक्टर अपना रखेगी। जब कोआप्रेटिव मूवमैंट भाुरू हुई थी उस समय एमडी का न ही कोई प्रोवीजन था और न ही रखा जाता था। आज नीचे से लेकर उपर तक यानि छोटी से छोटी सोसायटी में भी अफसर बैठा दिये है। सोसायटी के अपने अधिकार कम हैं और जो उनके उपर अफसर बैठाये है। उनके अधिकार ज्यादा है। इस से साफ जाहिर है कि कोआप्रेटिव सोसायटीज में सरकार की मैक्सीमम इन्टरफीयेरन्स है। मैं एक केस हाईकोर्ट का बताना चाहूंगा जो रामकि ान हुडडा वरसिज स्टेट था। उसमें जस्टिस टिबाना का फैसला है। एक तरफ तो दस मैम्बर्ज इलैक्टिड थे और दूसरी साइड पर तीन मैम्बर्ज और एमडी नोमीनेटिड थे। नोमीनेटिड के फेवर में बात गई। इसी तरह से कलाज 29 की सब क्लाज 3 में लिखा है–

"Where a difference of opinion in respect of any matter arises between any member nominated by the Government or the Managing Director appointed under section 31 and other members thereof, the matter shall be referred by the society to the Government whose decision thereon shall be final and deemed to be a decision taken by the committee."

कहने का तो डिसिजन कमेटी को माना जायेगा लेकिन वास्तव में डिसिजन गवर्नमैंट खुद करेगी। इसी प्रकार राम कि ान हुडडा के केस में हुआ है। दस इलैक्टिड मैम्बर्ज एक तरफ थे और तीन नोमीनेटिड मैम्बर्ज दूसरी तरफ थे। गवर्नमैंट जिस आदमी को लेना चाहती थी उसको ले लिया। उन तीन आदमियों का फैसला माना गया क्योंकि वे गवर्नमैंट के नोमिनी थे। As in the USA Cabinet is, Seven nays, one yay, yay wins the day. एक आदमी ने यानि जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया वह ठीक है। जो एक आदमी ने कह दिया वह ठीक है और दसा आदमी कह रहे है वह गलत कह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद क्लाज 30 के पैरा 4 में लिखा है–

"Provided further that where the Government have subscribed to the share capital of an apex cooperative society or a cooperative sugar will to the extent of ten lakh rupees or more the Government may notwithstanding anything contained in the bye-laws of the society, appoint one of the members nominated under section 29 of chairman of the committee of such society."

जहां सरकार ने किसी ि ाखर सहकारी सोसायटी या सहकारी चीनी मिल की अं ा पूंजी में दस लाख रूपया या इससे अधिक का अभिदाय किया है तो गवर्नमैंट सोसायटी के बाईलाज को ताक पर रखकर गवर्नमैंट के नोमिनटिड सदस्य हो ऐसी सोसायटी की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। इस तरह से तो कोआप्रेटिव मूवमेंट के साथ मजाक किया जा रहा

है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी चौधरी छोटूराम के धेवते है ये भी कोआप्रेटिव मूवमैंट का मजाक उडा रहे है।

इसी तरह से सैटलमैंट आफ डिस्प्यूटस के बारे में क्लाज 102(1) के लास्ट पैरा में लिखा है–

"such disputes shall be referred to the arbitration of the Registrar for decision and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceedings in respect of such dispute."

यानि रजिस्ट्रार जो सोसायटी के उपर अफसर है वह फाइनल डिसिजन देगा। अगर सोसायटी के मैम्बरान में कोई झगडा हो जाता है तो उसमें रजिस्ट्रार का डिसिजन फाइनल होगा। इस बारे में इनडिपैन्डैन्ट ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट को पावर होनी चाहिए। जिस के साथ झगडा हुआ हो तो उसी को झगडे का फैसला करने के लिए सौंप दे तो यह कौन सी न्याय की बात हुई। आगे इसी क्लाज की सब क्लाज 3 में लिखा है–

"If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is or is not a dispute touching that constitutions, management or the business of cooperative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court."

इससे आप अन्दाजा लगाइये कि कोर्ट को पावर्ज किस तरह से करटेल की गई है। डिप्टी स्पीकर साहब, अपील के बारे में क्लाज 114 की सब क्लाज 3 में लिखा है–

"No appeal shal lie under this section from any decision or order made by any authority in appeal."

डिप्टी स्पीकर साहब, इसका जो मतलब मैं समझ पाया हूं वह यह है कि इसमें कोई सैंकिड अपील की गुंजाई । नहीं है अथोरिटी इन अपील ने जो डिसिजन दे दिया उसके खिलाफ सैकिंड अपील का हक नहीं दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 124 में लिखा है–

"No suit shall be instituted against a cooperative society or any of its officers in respect of any fact touching the business of society untill the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the Registrar or left at his office,starting the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left."

मैं यह चाहता हूं कि इसमें प्रोवाइजों जरूर होना चाहिए। दुनियाभर के जितने कानून है उसमें भी प्रोवाइजों है कि कोर्ट अगर समझे कि यह इमीनैन्ट है, एमरजैन्सी की कोई बात है तो उसमें ऐग्जेम्पट किया जा सकता है। इसलिये इसमें भी प्रोवाइजों जरूर होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अमीर चन्द मक्कडः उपाध्यक्ष महोदय, कोआप्रेटिव सोसायटीज के बारे में जो बिल मंत्री महोदय ने रखा है उसकी कुछ धाराओं के बारे में हमारे कुछ साथियों ने कुछ टीका टिप्पणी की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी धारा 89 में लिखा है कि कोई भी

सोसायटी अगर कोई चीज खरीदना चाहे तो उसको खरीदने के लिए रजिस्ट्रार की मन्जूरी जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा प्रोवीजन है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि 1977 में मैना गांव की सोसायटी ने मैम्बर्ज के झूठे दस्तखत करके हजारों रूपए की जमीन लाखों रूपए में खरीद ली और उस सम्बन्ध में केस आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कोआप्रेटिव मूवमैंट दे ा के लिए बहुत अच्छी है और इससे गरीब आदमी और जरूरतमंद आदमी की बहुत सहायता होती है। कुछ गल्त काम भी हो जाते है जैंसे कुछ चालाक आदमी सोसायटी के कर्ताधर्ता बनकर दूसरों के नाम से कर्जा ले लेते है। लेकिन अब रजिस्ट्रार को पावर दे दी गई है। मैंने अभी मैना गांव की मिसाल दी है कि कुछ आदमियों के दस्तखत कराकर लाखों रूपए की जमीन ले ली गई। अगर आज जैसा प्रोवीजन उस वक्त होता और रजिस्ट्रार की मन्जूरी लेना जरूरी होता तो यह बात उस वक्त न होती। उस वक्त रजिस्ट्रार देख सकता था कि यह जमीन कितनी कीमत की है और सारी गडबड होने से बच जाती। कोआप्रेटिव मूवमैंट पर कन्ट्रोल होना निहायत जरूरी है अगर कंट्रोल होगा तभी ठीक तरह से काम चल सकेगा। इसीलिए क्लाज 89 के अन्दर दिया गया है कि रजिस्ट्रार की अनुमति लेना जरूरी है इसी तरह से क्लाज 13 है उसमें भी सोसायटी को पावर दी गई है कि दो तिहाई मैम्बर्ज अगर चाहें तो वे अपनी अलग सोसायटी बना सकते है और उस सोसायटी के असैटस और लायबिजिटीज सारी या कुछ दूसरी सोसायटी को ट्रांसफर कर सकते है। इसके साफ

जाहिर होता है कि सोसायटीज पर कुछ कंट्रोल लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि हम विधान सभा में बैठते है तो हमारे उपर भी हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों की चैंकिग है।

श्री उपाध्यक्षः हाउस में जो कुछ होता है उसमें किसी भी अदालत का कोई दखल नहीं है। Courts do not come into play.

श्री अमीर चन्द मक्कडः उपाध्यक्ष महोदय, सोसायटीज पर कन्ट्रोल होना जरूरी है। तभी सोसायटीज अच्छा काम कर सकती है। आज देखने में यह आया है कि लोगों ने काफी पैसा सोसायटीज का लिया हुआ है और वह बकाया खडा हुआ है। अगर रिपेमैन्ट का कोई प्रोविजन नहीं करेंगे तो लोग पैसा लेकर हडप जाएंगे। क्लाज 73 में दिया हुआ है कि अगर पैसा लेने वाला वापिस नहीं करेगा तो उसकी फसल से पैसा वसूल किया जाएगा। अगर इस तरह का डर रहेगा तो पैसा जल्दी वूसल हो सकता है। यह ठीक है कि जिसने सोसायटी का पैसा लिया है पैसा न देने पर उसकी जमीन कुर्क नहीं होनी चाहिए लेकिन फसल से वसूल जरूर होना चाहिए। यह डर उसके लिए जरूर होना चाहिए यह जरूरी है कि पैसा न देने पर सरकार उसकी फसल को ले सकती है। इसी तरीके से क्लाज 28 के पार्ट 6 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दो प्राइमरी सोसायटीज का मैम्बर बन सकता है इससे ज्यादा का नहीं। कई लोग बहुत सी सोसायटीज का मैम्बर बनकर फायदा उठाने की कोि ा ा करते हैं दो

सोसायटीज की जो रिस्ट्रिक ांज लगाई है यह बहुत अच्छी है। ऐसा करने से यह फायदा होगा कि अब एक व्यक्ति की बहुत सी सोसायटीज से फायदा नहीं उठाएगा बल्कि दूसरे लोगों को भी फायदा उठाने का मौका मिल पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इसमें काफी अच्छी क्लाजिज है और इसको यूनानिमसली सदन को पास करना चाहिए ताकि कोआप्रेटिव मूवमैंट अच्छे ढंग से चल सके और हर आदमी इससे फायदा उठा सके।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे जो दूसरी तरफ मित्र बैठे हैं इनको हमारी अच्छी बात बाद में याद आती है हमारी सलाह को बाद में मानते है। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली बार पंचायत समिति बिल पर जब डिस्क ान हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि पंचायत समिति में जो एक मैम्बर कोआप्रेटिव सोसायटीज से जाएगा वह थ्रू नोमिने ान जाएगा। मैंने उस समय कहा था कि वह मैम्बर इलैक ान के थ्रू जाना चाहिए। उस समय सरकार ने मेरी बात को नही माना लेकिन बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई उस समय मेरी बात मानी गई और पंचायत समिति में कोआप्रेटिव सोसायटीज का मैम्बर इलैक ान के थ्रू गया। उस समय मैं ही अकेला मैम्बर था जिसने इस तरह का सुझाव दिया था मेरा सुझाव उस वक्त तो नहीं माना लेकिन बाद में तसलीम कर लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, जो सोसायटीज बिल आया है। यह हरियाणा में सहकारी आन्दोलन को जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना और कोई एक्ट नहीं पहुंचा सकेगा। हरियाणा में

आज जो सहकारी आन्दोलन है वह लोगों का जन आन्दोलन नहीं है। दुर्भाग्य से यह पीपल्ज मूवमैंट नहीं बन सका। इतने प्रयत्नों के बाद भी, हरियाणा सरकार द्वारा इतना पैसा किसानों के उपर खर्च करने के बाद भी यह लोगों का आन्दोलन नहीं बन सका। जो थोडी बहुत इस आन्दोलन में लोगों की ताकत है वह भी इस एक्ट में खत्म हो जाएगी। इन्होंने अपने स्टेटमैंट आफ ओबजैक्टस एण्ड रीजन्ज में यह बात कही है कि सातवीं कोआप्रेटिव कांग्रेस की रिकमैन्डे ान पर पहले दो एक्टस को मर्ज करके एक एक्ट लोगों के सामने पे ा कर रहे है। उसमें कहा है–

"(i) to provide a single consolidated Act applicable to all types of cooperative societies in the State:

(ii) to remove/mitigate the existing restrictive provisions in the cooperative Law so as to ensure the democratic control of cooperative societies."

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस एक्ट के बाद तो रिस्ट्रिक ांज और बढ जाएगी। इससे इस आन्दोलन का पूरे तौर से सरकारीकरण हो जाएगा। सौभाग्य से अब तो रजिस्ट्रार अच्छा आदमी है लेकिन जैसा कि चौधरी कुलबीर सिंह जी ने कहा कि हरियाणा में कोआप्रेटिव मूवमैंट का कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार बना दिया तो बडी मुि कल हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे तो अच्छा होता कि इस आन्दोलन को बाइंड अप कर लेते। सहकारी आन्दोलन में सहकारी मूवमैंट में बडे बडे अफसर और

सीडीएम साहब बैठे हुए है उनको कुछ सोचना चाहिए। उनको महाराश्ट्र और गुजरात के आन्दोलन से कुछ सीखना चाहिए। वहां पर तो यह पीपल्ज मूवमैंट बनकर ही रह गया है। सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। सरकार उस आन्दोलन को सुपरवाइज करती है। सरकार उस आन्दोलन को इंस्पायर करती है परन्तु सरकार उसमें डिन्डरैन्स बनकर नहीं खडी होती। हरियाणा में सहकारी आन्दोलन को बढाने की बडी गुंजाई ा है परन्तु पता नहीं यह बिल किस बात को ध्यान में लाकर लाया गया है और सारी पावर्ज रजिस्ट्रार को और मैनेजिंग डायरेक्टर को सौंप दी है। Every line of the statement of objects and reasons is contradictory to the provisions of the Bill.

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की क्लाज 27 (1) में इन्होंने कहा कि–

16.00 बजे

"The Registrar may be order in writing suspend the execution of any resolution of the managing committee or of a sub committee of a cooperative society if in his opinion the resolution is in excess of the powers conferred by this Act or the execution of the resolution is likely to prejudice the material interest of the co-operative society or the members thereof."

रैजोल्यू ान को एग्जीक्यू ान को भी रजिस्ट्रार ससपैन्ड कर सकता है। कितनी कन्ट्राडिक्टरी बात है, जबकि इस

बिल की क्लाज 25 की सब क्लाज 1 में इन्होंने इस बात को माना है कि–

"The final authority in a cooperative society shall vest in the general body of members."

एक तरफ तो ये कह रहे है कि फाइनल पावर जनरल बाडी में वैस्ट करेगी और दूसरी तरफ क्लाज 27 की सब क्लाज 1 में कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार रैजोल्यू ान को सस्पैंड कर सकता है या इसको मान सकता है और उसको नहीं मान सकता। डिप्टी स्पीकर साहब, कितनी कंट्राडिक्टरी बात भरी है इसमें। सीडीएम साहब के पास इसको स्टडी करने का समय नहीं था, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनका किसान के घर से ताल्लुक है कोआप्रेटिव मूवमैंट में उन्होंने काम भी किया होगा इसलिये मैं उनसे गुजारि ा करूंगा कि जैसे पिछली दफा पंचायत समिति बिल के बारे में उन्होंने मेरी बात मान ली थी यानि नौमिने ान की बजायें इलैक ान से एक सदस्य भेजने की बात तय करवा दी थी। इसलिये इस बिल को भी सिलैक्ट कमेटी में भेज दें। इसमें बहुत लकूना है जोकि किसान के इंट्रैस्ट को हर्ट करेगा। वाच नहीं करेगा। सहकारी आन्दोलन की बेसिक बात यह है कि गरीब आदमी मिलकर प्रगति करें, प्रदे ा में मिलकर कंट्रीब्यूट करें लेकिन इन बातों को यह बिल हर्ट करेगा। इस से आगे डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 28(6) जिस पर मेरे काबल दोस्त ध्यान दिला

चुके हैं कितनी अन–डैमोक्रेटिक बातें इस में है। इसमें कहा गया है–

"No individual shall, at any time,be a member of a committee of more than two primary societies......................."

यदि कोई इलैक ान से आता है लोगों का आ ीर्वाद लेकर आता है he cannot be a member of more than two societies, but a member nominated by the Government, can be a member of so many societies."

इलैक ान के नाम से कोआप्रेटिव मूवमैंट में सहकारीकरण तो कर दिया। लोगों की मदद करके, लोगों को लोन दिला करके, कोआप्रेटिव मूवमैंट की बात गांव गांव गली गली में समझा करके और लोगों का वि वास जीतकर जो आदमी चुनकर आता है उसके लिए इसमें कोई गुजांइ । नहीं लेकिन जो नोमीने ान से आता है वह कई सोसायटीज का मैम्बर हो सकता है। जब कि प्रैक्टीकली यह बात देखने में आई है कि जो आदमी नौमिने ान के माध्यम से आता है वह कोआप्रेटिव मूवमैंट का कोई भला नहीं करता। यह कितनी अन–डैमोक्रेटिक बात इस क्लाज में है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की जो क्लाज 31(1) है उसमें कहा है कि–

"Where the Government has subscribed to the state capital of a cooperative society to the extent of then lakh rupees or more the Government may notwithstanding anything contained in the bye-laws of the society, nominates another

member in addition to those nominated under section 29 and appoint him as Managing Director."

यानि सारी पावर्ज एमडी को दे दी गयी है। जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्स है जो मैंनेजिंग बाडी है उसकी कोई से नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि यदि बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज और एमडी में किसी मसले को लेकर के डिस्प्यूट खडा हो जाए तो उसका डिसीजन रजिस्ट्रार करेंगे यानि उन 10 या 7 की मैजोरिटी की कोई बुक्कत ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के जरिए हम इंडियन कांस्टीच्यू ान को भी डिफाई कर रहे है। मैजोरिटी डैमोक्रेटिक सैट–अप में बडी अहम चीज होती है लेकिन यहां पर उसकी कोई अहमियत हमने स्वीकर नहीं की है। चाहे मैंनेजिंग डायरेक्टर जायज कर दे चाहे नाजायज कर दे लेकिन उसका फाइनल फैसला रजिस्ट्रार ही करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, एमडी तो सोसायटी का एम्पलाइ होता है और सोसायटी के हिसाब से उसको चलना पडता है लेकिन इसमें उसको इनका अफसर बना दिया। जो क्लाजिज 29 और 31 हैं ये सोसायटीज के मेन फंक ान को खात्म कर देंगी। आगे डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 37(1) में इन्होंनें कहा है कि–

"The Registrar may require an apex society to constitute a common cadre of all or a specific class of employees in the service of that society or in the services of the central societies which are members of the apex society or of the service of the primary societies which are members of the apex society of the aforesaid central societies."

Everything is supporting to the Registrar to the Managing Director and curbing the rights of the elected members. मैं ज्यादा न कहता हुआ इनका ध्यान क्लाज 89 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस बारे में, अभी मेरे भाई अमीरचन्द जी मक्कड कह रहे थे। वैसे तो वे समाजवादी मूवमैंट से निकल कर आये हैं लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी मूवमैंट का सारा फल कांग्रेस को लगा दिया। वे क्लाज 89 की बात कर रहे थे और बडी तारीफ कर रहे थे। डिप्टी स्पीकर साहब, जो सहकारी आन्दोलन के बारे में क, ख, ग भी न जानता हो, वह तो इस क्लाज की ताईद कर सकता है। इसमें कितनी गजब की बात कही गयी है कि यदि गांव की प्राइमरी सोसायटी ने अपने काम काज के लिए कागज पैन्सिल खरीदनी है तो उसके लिए भी रस्ट्रिार की ऐप्रुवल सीक करेगी। एक तरफ तो गांव के आदमी की मदद करने के लिए कोआप्रेटिव मूवमैंट चला रहे है और दूसरी तरफ से यह कहा गया है कि–

"No cooperative society shall purchase, acquire, lease, sell any land or construct any building or other immovable assets of the society except with the prior approval of the Registrar."

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः इसमें कागज पैंसिल खरीदने की बात नहीं बल्कि इम्मूवेबल प्रापर्टी खरीदने की बात है।

श्री राम बिलास भार्माः प्राइमरी सोसायटीज के साथ इम्पूवेबल प्रोपर्टी क्या हो सकती है। किसी भी सोसायटी का काम

पहले कागज पैंसिल से भाुरू होता है। बाद में वे अपने लिये सहकारी बैन्क बनाती है। आपकी जो सोसायटी भाुरू होती है वह एक रजिस्टर और एक पैन से भाुरू होती है। खास खास तरह की क्लाजिज इस बिल में आ गयी है। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह सारा कुछ सुन करके इस ओर पूरा ध्यान देंगे। इसी तरह से क्लाज 122 में यह कहा गया है कि–

"Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may be general or special order and subject to such conditions, if any, as it may impose, exempt any society or class of societies from any of the provisions of this Act."

चाहे तो किसी को माफ कर दे या किसी को सजा कर दे। किसी को उसमें भाामिल कर ले या किसी को छोड दे। यदि रजिस्ट्रार यह सब कुछ कर सकता है एक्ट के अन्तर्गत जो बातें आती है। उनको भी एक तरफ रखकर, अपनी मनमानी कर सकता है तो फिर इस एक्ट की अहमीयत अपने आप की खत्म हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, कितने गजब की बात है कि क्लाज 3 में रजिस्ट्रार को कितनी पावर्ज दी गयी है। उनकी ताकत बढाई गयी है और उसके बाद वह अपनी सुपरविजन में कुछ असिसटैन्टस रखेंगे जोकि रजिस्ट्रार द्वारा डैलीगेट की गई पावर्ज को यूज करेंगे। कोई कोआप्रेटिव सोसायटी अन्याय से पीडीत यदि आती है तो उस हालत में एग्जीक्यू ान की पावर्ज भी उन असिसटैन्टस के पास होगी और साथ में जुडीि ायल पावर्ज भी उन्हीं के पास होगी। यानि अपील भी वही सुनेंगे। एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर

साहब, हम डैमाकेटिक सिस्टम में से निकल कर आए हैं और दूसरी तरफ हम यह कहते है कि सोसायटीज में अगर कोई इररैगुलैरेटीज है तो उसका फैसला बाहर का कोई आदमी करेगी। मैंनेजिंग डायरेक्टर की इररैगुलैरेटीज पर सोसायटी को यदि ि ाकायत है तो उसको भी रजिस्ट्रार सुनेगा या रजिस्ट्रार के असिसटैन्टस सुनेंगे। एग्जीक्यू ान और जुडीि ायल पावर्ज भी उनके पास है। यानि आर्बीट्रेरी पावर्ज रजिस्ट्रार और एमडी को दे दी है इसलिये यह अपने आप में ही एक ताना ााही बिल है इससे इस आन्दोलन में ताना ााही पनपेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप सहकारी आन्दोलन में हमारी भाूगर मिलज का हाल देख लीजिऐगा। सुना है कि कई झगडे चल रहे है। यह भी सुना है कि रजिस्ट्रार यहां पर बैठे बैठे टेलीफोन कर देते है या तार दे देते है कि इलैक ान इज पोस्टपोंड। तो इस तरह से इलैक ान की सारी तैयारी रखी की रखी रह जाती है। यह कहा जाता है कि रजिस्ट्रार साहब जो डेट इलैक ान के लिये देंगे, उसी डेट को ही इलैक ान होंगे। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है बल्कि यह तो किसान के हित की बात है और प्रदे ा में सहकारी आन्दोलन को आगे बढाने की बात है। इसीलिये इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कोआप्रेटिव मूवमैंट हरियाणा में चल रही है और उसके लिये कोई बाई लाज बने हुए है। चाहे वे 1961 के हैं या 1967 के हैं। आप जानते है हरियाणा में कोआप्रेटिव मूवमैंट बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में 87 प्रति ात किसान और मजदूर खेती पर निर्भर

करते हैं और उनसे यह बिल ताल्लुक रखता है। मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से खासतौर पर कहूंगा क्योंकि उन्होंने पंचायत समितियों के बारे में मेरी बात पहले भी मानी थी। वे कृपा इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें। ऐसा करने से किसानों के फायदे की बात होगी। अगर इसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया तो किसानों का बहुत बुरा होगा। यह कहकर मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

चौधरी ओम प्रका ा (बेरी): डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में मैं कुछ प्रिलिमिनरी आबजैक ान करना चाहता हूं। मैंने रूल 129 के तहत इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर करने के लिए एक मो ान दी थी लेकिन स्पीकर साहब ने उसे कुछ टैक्नीकल कमियों की वजह से रिजैक्ट कर दिया है। सब से पहले तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपोजि ान की तरफ से यह बहुत अच्छा सुझाव आया है इसलिये उनको इसमें कोई हिच–किचाहट नहीं करनी चाहिए। यदि 132 क्लाजिज का बिल है इसको पास करने से पहले हरियाणा प्रदे ा के अन्दर रहने वाले डिफरैंट कोआप्रेटर्ज और इंस्टीच्यू ान की राय जान लेनी चाहिए। इसीलिये इस बिल को मंत्री जी सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें। इस तरफ राज्य की सवा करोड जनता की आंखें लगी हुई है अगर यह बिल सिलैक्ट कमेटी में रैफर कर दिया जाता है तो लोगों का भला हो जाएगा।

श्रीमति चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब, ओम प्रका ा जी ने इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर करने का जो मो ान दिया था, उसको कौल एंड भाकधर की पुस्तक के अनुसार ऐसे की रिजैक्ट नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सैक्रेटेरिएट की डियूटी है कि अगर ऐसे मो ान में कोई गलती हो तो सम्बन्धित मैम्बर को बुला कर बताएं कि आप इस डिफैक्ट को दूर करें। उसके बावजूद भी अगर वह मैम्बर ऐसा न करें तो वह मो ान रिजैक्ट हो सकती है। हाउस में नये मैम्बर भी होते हैं इसीलिये सैक्रेटेरिएट का यह फर्ज है कि वह मैम्बरों को बतायें। असैंम्बली के कायदे कानून के मुताबिक यह मो ान ऐसे ही रिजैक्ट नहीं करनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष: बहिन जी उनको इस बारे में इतलाह दे दी गई है।

श्रीमति चन्द्रावती: यह गलत इतलाह दी गई है।

Mr. Deputy Speaker: If there has been any lacuna, the member concerned could give another motion.

श्रीमति चन्द्रावती: अगर कोई गलत बात हो गई हो तो उसे रि—कंसिडर भी किया जा सकता है।

Mr. Deputy Speaker: If there has been any lacuna, the member concerned could give another motion

चौधरी ओम प्रका ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 129 भी पढ लिया है। मैं तो कह रहा हूं कि इसे प्रैस्टिज का इ ू न बनायें क्योंकि इसके साथ प्रदे ा की सवा करोड जनता की जिन्दगी जुडी हुई है। अगर इसे सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाता है तो लोगों के सामने इससे अच्छा बिल आएगा।

श्री उपाध्यक्षः इसमें जो अमैंडमैंटस दी गई है, आप उनके बारे में कुछ कह लें।

चौधरी ओम प्रका ाः मेरे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो अमैंडमैंट और डिली ान की बातें कही हैं वे 4–5 क्लाजिज के बारे में हैं वे क्लाज 4, 12, 14, 35, 53, 71 और 83। इस बारे में उन्होंने जो सुझाव रखे हैं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। इसके साथ साथ पांच सात क्लाजिज और भी है। जिस तरह से क्लाज 27 है। इसके मुताबिक रजिस्ट्रार को आर्बीट्रेरी और अन–ब्रीडल्ड पावर्ज दे दी गई है। वह कोआप्रेटिव सोसायटी के मामले में चाहे कुछ भी कर सकता है। क्लाज 27 क्लाज 25 के बिल्कुल कन्ट्राडिक्टरी है। क्लाज 27(1) में लिखा है–

"27(1) The Registrar may be order in writing, suspend the execution of any resolution of the managing committee or of a sub committee of a cooperative society if in his opinion, the resolution is in excess of the powers conferred by this Act of the execution of the resolution is likely to prejudice the material interest of the co-operative society or the members thereof."

इधर तो रजिस्ट्रार को पूरी पावर दे दी कि वह किसी भी रैजोल्यू ान को रिजैक्ट कर सकता है या मोडिफाई कर सकता है लेकिन उसके साथ साथ क्लाज 25(1) में दिया गया है–

"25(1) The final authority in a cooperative society shall vest in the general body of members."

यह बिल्कुल कन्ट्राडिक्टरी है। सारी पावर्ज जनरल बाडी को होनी चाहिए। इसलिये क्लाज 27(1) को डिलीट करना चाहिए। अगर तो कोई भला रजिस्ट्रार होगा तो वह इन पावर्ज का ठीक इस्तेमाल कर सकता है वरना दूसरा तो आर्बीट्रेरी वे में काम कर सकता है। इसलिये मैं मंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि इस क्लाज को डिलीट करने के बारे में जिद न पकडें। इसी ढंग से क्लाज 28 है। इसकी सब क्लाज (6) में इलैक्ट्रिड मैम्बर्ज और नौमिनेटिड मैम्बर्ज के बीच डिस्क्रिमिने ान की गई है। जब तक कोआप्रेटिव सोसाइटी में नौमिनेटिड मैम्बर्ज रहेंगे मैं समझता हूं कि वे सोसायटी के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टेट बाडीज कोआप्रेटिव बैंकस या ाुगर मिलज है उनमें जितेन भी नौमिनेटिड मैम्बर होते है वे समय के अभाव के कारण मीटिंग में नहीं आ पाते। यहा ंपर क्लाज 28(6) में डिस्क्रिमिने ान कर दिया कि नौमिनेटिड मैम्बर दो सोसाइटियों से भी ज्यादा का मैम्बर बन सकता है लेकिन इलैक्टिड मैम्बर केवल दो ही सोसायटीज का मैम्बर बन सकता है। एक सैन्ट्रल सोसाइटी का और दूसरे अपैक्स

सोसायटी का। इसलिये मैं चाहूंगा कि क्लाज 28(6)को भी डिलीट कर दिया जाए। इसमें कहा गया है–

"Provided that nothing in this sub section shall apply to a member nominated under sub section(1) of section 29 or to a member of the committee of an apex or central society nominated to serve onthe committee of another apex or central society as the case may be in accordance with the provisions of their bye-laws."

इसको डिलिट करने में हिच–किचाहट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से क्लाज 29 की सब क्लाज 3 है। इसी ढंग से क्लाज 31 की सब क्लाज 3 में भी मैंनेजिंग डायरैक्टर को बडी भारी पावर्ज दी गई है। हांलाकि वह सोसायटी का इम्पलाई है लेकिन फिर भी जो उसे पावर्ज दी गई है उससे साफ जाहिर होता है कि वह मैंनेजिंग कमेटी का बोस बना दिया गया है। उसको सुपररिनटैंडिंग पावर्ज दी गई है। इस तरह की पावर्ज उसको नहीं दी जानी चाहिए। आप कोआप्रेटिव बैंक और भूगर मिलज को देख लीजिये। उनमें एमडी की प्रफारमैंस से कोआप्रेटर्ज या लोकल आदमी बिल्कुल सैटिसफाइड नहीं है। उनको और ज्यादा पावर देकर आग लगाने की बात है। अगर एमडी डाइसैंन्टिंग नोट दे देगा तो वह मैटर रजिस्ट्रार को जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रार फाइनल अथारिटी है इसलिये वह मन माने ढंग से फैसला दे सकता है। रजिस्ट्रार उसके डायसैंटिंग नोट की पावर को ध्यान में रखते हुए कोआप्रेटिव सोसाइटीज के साथ बडा अन्याय कर सकता है

इसलिये मैंनेजिंग डायरैक्टर को इस किस्म की वाइड और आर्बीट्रेरी पावर्ज नहीं दी जानी चाहिएं। उन्हें जो आलरेडी पावर्ज दी हुई है उनको भी वे ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे है। उन पावर्ज के मुताबिक वे सैटीस्फैक्टरी काम नही कर रहे हैं। इसी तरह से क्लाज 28 की सब क्लाज 2 की एक्सप्लेने ान दी गई है–

"Explnation-The election process shall be deemed to have started from the date of the order of the Registrar fixing the date of election."

यह बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्रार को इस किस्म की पावर्ज नहीं होनी चाहिए कि सोसायटीज के इलैक ान्ज का प्रोसैस वही सटार्ट करे यह पावर मैंनेजिंग कमेटी को होनी चाहिए जैसे दूसरी स्टेअ महाराश्ट्र और कनार्टक में है। उन स्टेटस में मैंनेजिंग कमेटी को यह पावर्ज है कि जब सोसाइटी की टर्म पूरी हो जाए, उस वक्त मैंनेजिंग कमेटी उनके चुनाव कराए। इसमें यह होना चाहिए था कि अगर मैंनेजिंग कमेटी उस कोआप्रेटिव सोसाइटी का चुनाव ठीक समय पर नहीं करा पाती है तो उस वक्त रजिस्ट्रार को पिक्चर में आना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रार मैंनेजिंग कमेटी तथा सोसाइटी कंसंर्ड को लिखे और वह डेट फिक्स करे। उससे पहले रजिस्ट्रार को कोई पावर्ज नहीं होनी चाहिए। मैंने इस क्लाज के बारे में अमैंडमैंट भी दी गई है वह स्वीकार की जानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते है कि जो पहले पंजाब कोआप्रेटिव सोसाइटीज एक्ट और पंजाब एग्रीकल्चरल डिवैल्पमैंट बैंक एक्ट बने हुए हैं उनमें भी रजिस्ट्रार को सोसाइटीज के

इलैक ान करवाने की काफी पावर्ज दी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप अच्छी तरह से जानते है कि जो डिफरैंट कोआप्रेटिव सोसाइटीज है उन के आज तक चुनाव नहीं हुए है। हालांकि रजिस्ट्रार को पावर्ज है। मिनिस्टर साहब यह बताएं कि दोबारा रजिस्ट्रार को इतनी ज्यादा पावर्ज देने का क्या फायदा है। जो रजिस्ट्रार को आलरेडी पावर्ज दी गई है उनके अनुसार वे आज तक इन सोसाइटीज के चुनाव नहीं करा सके है और फिर भी सोसाइटीज की मैंनेजिंग कमेटी से यह अधिकार छीन कर रजिस्ट्रार को देने जा रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इस क्लाज के बारे में जो अमैंडमैंड दी है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात अपील के बारे में कहना चाहूंगा यह क्लाज 114 की सब क्लाज 2 है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा हूं कि इसमें असिस्टैंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडी ानल रजिस्ट्रार या ज्वायंट रजिस्ट्रार के जो फैसले है उनके बारे में अपील करने का प्रोवीजन दिया गया है। इस क्लाज को क्लाज 3 के साथ पढा जाना चाहिए जिसके तहत रजिस्ट्रार को पावर है। वह किसी असिस्टैंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एडी ानल रजिस्ट्रार या ज्वायंट रजिस्ट्रार को समय समय पर जितनी चाहे अपनी पावर कन्फर कर सकता है। अपनी पावर दे सकता है। इस कन्टैक्सट में देखा जाए तो एक तरीके से यह सारी की सारी पावर्ज रजिस्ट्रार ने अपने हाथ में ले ली है और वह जो भी उसके सबोर्डिनेट आफिसर्ज है उन पर दवाब डाल कर जो फैसला करवाना चाहे करवा सकता है। अब असिस्टैंट रजिस्ट्रार

के फैसले की अपील डिप्टी रजिस्ट्रार को लाई करेगी और डिप्टी रजिस्ट्रार की ज्वायंट रजिस्ट्रार या जिस किसी आफिसर को रजिस्ट्रार ने एमपावर किया हुआ है उसको लाई करेगी। इस तरीके से रजिस्ट्रार ने अपील का सारा प्रोसैस अपने हाथ में ले लिया और एग्जैक्टिव और जुडि ायल पावर एक आफिस में आ कर रूक गई। इसलिए मेरा सुझाव है कि रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टैंट रजिस्ट्रार, ज्वायंट रजिस्ट्रार या एडी ानल रजिस्ट्रार को अपील होने की बजाय इसके लिए ट्रिब्यूनल कांस्टीच्यूट किया जाना चाहिए जिसमें तीन सर्विंग या रिटायर्ड जज हो ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। जैसे महाराश्ट्र और कनार्टक में प्रावधान किया हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, आम तौर पर सबोर्डीनेट आफिसर के फैसले को रजिस्ट्रार बदलेन की कोि ा ा नहीं करता इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन आफिसर्ज के फैसलों की अपील सुनने के लिए एक ट्रिब्यूनल कांस्टीच्यूट किया जाए और उसको अपील लाई करनी चाहिए। इसी तरह से इस बिल की क्लाज 89 है। इसके अनुसार भी रजिस्ट्रार को बड़ी वाइड पावर्ज दी गई है। मै तो यह कहूंगा कि इस बिल के जरिए रजिस्ट्रार को फुली पावर्ड बना दिया गया हैं तो मेरे ख्याल मे कोई गलत बात नहीं होगी। इस बिल के मुताबिक सारी की सारी पावर रजिस्ट्रार और मैनेजिंग डायरैक्टर को दी गई है। और कोआप्रटिव सोसाइटीज के साथ बडा इनजस्टिस किया गया है। मै क्लाज 89 के बारे मे बताना चाहता हूं। अगर किसी कोआप्रेटिव सोसाइटी को कोई इम्मुवेबल प्रोपर्टी

परचेज करनी हो तो या आना इन्ट्रैस्ट क्रियट करना हो तो वह रजिस्ट्रार की एप्रूवल के बगैर अपना इन्ट्रैस्ट किएट नही कर सकती। यह उस सोसायटी के साथ कितनी बड़ी गैर इन्साफी है। इसलिए मै चाहूंगा कि क्लाज 89 को डीलीट किया जाना चाहिए इसी ढंग से क्लान 122 है। इसमे गवर्नमैट को बड़ी वाइफ पावर्ज दे दी गई है। क्लाज 122 को भी डीलीट किया जाना चाहिए। ये पावर्ज गवर्नमैट को नहीं दी गई जानी चाहिए थी क्योकि गवर्नमैट हमे ाा पोलिटिकल कंसिड्रे ान के हिसाब से और रूलिंग पार्टी की इन्छाओं को ध्यान मे रखते हुए इनका नाजायज फांयदा उठाती है। इसलिए मै मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको प्रैस्टिज का ई ू न बनाए। वह इस बिल के बारे में लोगों की ओपीनियन मांग ले तथा इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। अगर मंत्री जी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो मै उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल के बारे में मैने जो अमैडमैट्स दी है। उनको स्वीकार करने की कृपा करे।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने इस बिल की कई क्लासिज के बारे में अपने विचार प्रकट किए है। ओर अपने अपने सुझाव दिए है। मै भी इस बिल की कुछ क्लासिज के बारे में अपने सुझाव देना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे लायक मंत्री जी इस बिल की अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए है क्योकि इस बिल के अन्दर कई कंट्राकडक्टरी बातें है। इस लिए में लायक

मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैरे सुझावों की तरफ जरा गौर फरमांए। मै सबसे पहले इस बिल की क्लाज 89 की तरफ इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा अभी थोडी देर पहले मेरे साथी श्री ओम प्रका ा जी भी इस क्लाज को रैफर कर रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो रजिस्ट्रार को इतनी पावर्ज दीजा रही हैं कि वह राइट फाम मैनेजिंग डायरैक्टर से पीयन तक डे टु डे सोसाइटी की वकिंग में इन्टरफीयर कर सकता हैं। इस क्लाज को पढने से यह बात स्पश्ट हो जाता है। कि इस कलाज के अनुसार रजिस्ट्रार कोआप्रेटिव सोसायटीज की वकिग मे इन्टरफीयरैस कर सकता हैं इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस क्लाज के बारे में गौर किया जाए या तो इस क्लाज को अमैट किया जाए या इसको डीलीट किया जाए क्योंकि रजिस्ट्रार को पहले ही बहुत ज्यादा पावर्ज दी गई है। इसी प्रकार से आप क्लाज 3 की सब क्लाज (1) को देंखे।

"The Government may appoint a person to be the Registrar of Cooperative Socities for the State and may appoint other persons to assist him."

इसमें ऐसा हैं कि असिस्टैट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह को भी रजिस्ट्रार की पावर्ज दी जाती है। इसके साथ क्लाज 114 की सब क्लाज (2)कनैक्टिड है। इसमें यह रैफर किया गया है कि अपील किस किस को लाई करेगी। मान लो एक असिस्टैट रजिस्ट्रार कोई फैसला करता हैं तो उसे फैसले की अपील डिप्टी रजिस्ट्रार को जाऐगी। इस तरह से रजिस्ट्रार की

पावर तो असिस्टैट रजिस्ट्रार को भी है। और डिप्टी रजिस्ट्रार को भी हे। तो यह जो कन्फलक्टिंग बात आई है। कि अपने फैसले के खिलाफ भी वह अपील सुनेगां मै यह समझता हूं कि इसमे यह एनोमली है। इसको करैकट किया जाना चाहिए या यह कर देना चाहिए कि असिस्टैट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार को फार सर्टेन डिसीजन या जुडि ाल डिसीजंज की पावर्ज नही ंहोगी। उसकी अपील डायरैक्टर रजिस्टार को लाई करनी चाहिए उसके पास जुडि ायल फंक ाज भी होते हें उनके भी फेसले करेगा इसलिए लोगों को परे ाानी होगी सकती है। इसलिए में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि क्लाज 3 की सब क्लाज (1) और क्लाज 114 की सब क्लाज (2) पर दोबारा विचार किया जाए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल की क्लाज 28 की सब क्लाज (6) की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । इसमे लिखाः–

"no individual shall, at any time, be a member of a committee of more than two primary societies, one central society and one apex society:"

बाई लाज में पहले से ही बहुत सारी पावर्ज मैनेजिंग कमेटी को दी गई है। इस प्रकार की रिस्ट्रिक ान अगर इलैक्टिड मैम्बर पर लग जायेगी तो वह अपने राइट को ाक्सरसाईज नहीं कर पायेगा। इसके बाद मैं क्लाजिज 29 और 31 पर आता हूं। यें दोनों क्लाजिज आपस में कन्ट्रोडिक्टरी है। क्लाज 29(3) के तहत

मैनेंजिंग डायरैक्टर कमेटी का एम्पलाई होगा। क्लाज 29 की सब क्लाज (3) में लिखाः—

"Where a difference of opinion in respect of any matter arises between any member nominated by the Government or the Managing Director appointment under Section 31 and other members thereof, the matter shall be referred by the society to the Government whose decision thereon shall be final and deemed to be a decision taken by the Committee."

और क्लाज 31 की सब क्लाज (3) मे लिखा हैः—

"The Managing Director ofa cooperative society shall be its principle executive officer. All employees of the society shall function and perform their duties under his superintendence and control."

इसके अनुसार मैनजिंग डायरैक्टर के तहत ही मैनेजिंग कमेटी काम करेगी। क्लाज 31 की सब क्लाज (3) से यह सारी बात साफ जाहिर होती है। लेकिन क्लाज 29 की सब क्लाज (3) के मुताबिक he will be a employee of the Managing Director Committee. लेकिन अगर उसके सुपरविजन मे मैनेजिंग कमेटी काम करेगी। then where does the Committee stand? दोनो क्लाजिज में यह कन्ट्राडिक ान हैं मंत्री महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस एनोमली को दूर करे। वरना जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज का या मैनेजिंग कमेटी का एम्पलाई होगा वह उस का मालिक बन जायेगा। यह बात ठीक है कि मैनेजिंग डायरैक्टर

एडमिनिस्टेटिव कन्ट्रोल करता है लेकिन कुछ अदायरे ऐसे होते हैं कि जिनमे टैक्नीकल या दूसरे आदमी काम नहीं कर सकतें। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए इससे आगे चैप्टर 5 हैं। इस चैप्टर की क्लाज 37 में लिखा हैंः–

"37(1) The Registrar may require an apex society to constitute a common cadre of all or a specific class of employees in the service of that society or in the services of the central societies which are members of the apex society, or of the service of the primary societies which are member the apex society or the aforesaid central societies.

(2) When a common cadre is constituted under sub-Section (1), the Registrar shall make rules to regulate recruitment and the condition of service of such employees, and their strength in consulation with the cadre society:

Provided that the Registrar may add or delete any class of employees from the common cadre in consulation with the cadre society."

यानी हरेक लेवल पर रजिस्ट्रार को इतनी अधिक पावर दी गयी हे। वह कोमन काडर में एम्पलाईज की अप्वायंटमैट में परमो ान में सिलैक ान में और पनि ामैट में सब जगह पर इन्टरफियर कर सकता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक आदमी को इतनी पावर दे दी गई है कि वह किसी भी समय किसी का नुंकसान कर सकता है। इस प्रकार से एक पीयन से लेकर एम0 डी0 तक की पावर रजिस्ट्रार को देना ठीक हैं इस

पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोमन काडर की जरूरत नहीं है। मेरा तो इस संबंध में यह भी कहना हें कि जिस प्रकार से अब काम चल रहा हैं वैसे ही चलने दे। इसके बाद स्पीकर साहब, मैं क्लाज 72 के बारे में कहना चाहता हूं लैण्ड रैवन्यू एक्ट के हिसाब से और कानून के हिसाब से किसान की फसल को नीलाम करना ठीक नहीं हैं । आज तक ऐसा कोई ला नहीं बना हैं जिसके तहत किसानेां की खड़ी फसल को भी कुर्क करना चाहते हैं लेकिन इस क्लाज के जरिए ये किसानों की फसल को भी कुर्क करना चाहते है। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे ज्यादा बड़ा अन्याय किसानेां के साथ क्या हो सकता हे। अगर किसान डिफाल्टर हैं तो वह अपनी फासल को पैदा करके ही पैसा वापिस करेगा। यदि उसकी फसल को ही कुर्क कर लिया जायेगा तो बेचारा कहां पर जायेगा। क्या उसके बच्चे गुरूद्वारे जाएगें मेरा अनुरोध हैं कि इस प्रकार का अन्याय किसानों के साथ न किया जाये। कई बार किसान की फसल ओले पड़ने की वजह से या सूखे की वजह से भी खराब हो सकती हे। जब उसकी फसल ही ठीक नहीं होगी तो वह पैसे कहां से चुकाऐगा। इस संबंध मे मेरा कहना हे कि किसान की खडी फसन को कुर्क न किया जाये उसे डीलीट किया जाना चाहिए। पहले जो ऐक्ट बना हुआ है। उसी के हिसाब से रिकवरी की जानी चाहिए आजकल रिकवरी करने का तरीका भी ठीक नहीं है। लोन किसी के नाम होते हैं और जीप में किसी ओर को बैठा ले जाते हैं बाद में उसके माता पिता उनको ढुढते रहते हैं ओर उसका कोई पता नहीं चलता हैं इस संबंध में

मेरी गुजारि ा हें कि चैप्टर 10 में जो प्रोवीजन किया गया हैं इस पर दुवारा गौर करे। ओर इस में अमैडमैट करके लोगों को राहत पहुचाएं।

Ch. BIrinder Singh: There is no change in this clause, Sir.

चौधरी साहब सिंह सैनी: मेरा कहना है कि जो ये अमैडमैट ला रहें हैं यह नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से क्लाज 89 के बारे में पहले ही बोला जा चुका हैं क्लाज 122 के बारे में हमारे साथी ओम प्रका ा जी पहले ही बोल चुके है। लेकिन इसके अन्दर बहुत ज्यादा गड़बढ की गयी है। इसमें सारी बाते कन्ट्रोल कर ली गयी है। इसके अन्दर लिखा है:—

"122. Notwithstanding anything, contained in this Act, the Government may be general or special order and subject to such conditions, if any, as it may impose, extempt any society or class of societies, from any of the provisions of this Act."

यह सारा कुछ अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। सरकार किसी भी सोसायटी में इन्टरफियर कर सकती हैं और कोई भी लिकवीडेटर या एडमिनिस्ट्रेटर अप्वायंट कर सकती है। ऐसी अनफैर्ट पावर जो रजिस्ट्रार को दी गई हैं वह नही दी जानी चाहिए । इसका ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कुछ पावर रजिस्टार के पास हो ओर कुछ मैनेजिंग कमेटी के पास हो ।

Mr. Speaker: Please wind up.

चौधरी साहब सिंह सैनी: वेसे तो सारी पावर्ज मैनजिंग कमेटी यानी इलैक्टिड बौडी के पास होनी चाहिए। इलैक्टिड बौडी का कोई न कोई महत्व होना चाहिए। न कि उसके एप्लाई का महत्व होना चाहिए । इस बिल मे ऐसी वू आती हैं जिससे यह अनुभव होता है। कि एक ही आदमी को पावर्ज दे दी है। ओर मैनेजिंग कमेटीज का जो सैट अप है। उसको खत्म कर दिया गया हैं बिल कि औब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में जो लिखा है। मै उसको पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा हैः–

"The Government of India on the recommendations of the 7th Cooperative Congress suggested, vide their letter dated, 28th May, 1976 that restrictive provisions of the cooperative societies, Act be removed so as to ensure democratic control of Cooperative Societies--------------"

इससे हमें पता चलता हैं कि कुछ रिस्ट्रिकिक्ड प्रोवीजन्स थे लेकिन वे कोन केान से रिस्ट्रिक्टिड प्रोवीजन्ज हैं इसको बिल में इलैबोरेट नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: यह मिनिस्टर साहब बता देगे।

चौधरी साहब सिंह सैनी: वे कौन कौन से रिस्ट्रिक्टिड प्रोवीजन्ज दूर किए है। यह नहीं बताया गया है। इसके अलावा इस में लैड डिबैल्पमैट बैक एक्ट को भी मर्ज कर दिया गया हें एक तरफ मिनिस्टर ताइद कर रहें है। कि हमारे बैक्स अच्छा काम कर रहे है। और उसी एक्ट के तहत अच्छा काम कर रह है।

लेकिन दूसरी तरफ नया एक्ट बनाने जा रहे हें इस नये एक्ट मे क्या चीज है। जिसको रिमूव करने जा रहे है। मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। जिसकी बिनाह पर लैड डिवैल्पमैट बैक एक्ट को इस में मर्ज किया जाय। इस भाब्दो मै मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाय। इससे पहले एक फारैस्ट डिवैल्पमैट बोर्ड बिल आया था उस पर हमने अच्छे सुझाव रखे थे लेकिन गवर्नमैट ने हमारे सुझाव नहीं माने ओर इस वक्त गवर्नमैट बडी बुरी तरह से फंसी पडी है। इसी प्रकार कोआप्रे ान मिनिस्टर भी इस चक्कर में न फसें और इस पर दोबारा गौर कर लिया जाए।

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, सदन में हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 पर बहुत से सदस्यों ने चर्चा की और चर्चा का विशय दो तीन बातो तक ही सीमित रहा। एक बात यह कही कि इस बिल को इतनी जल्दी सदन से पास करवाने की क्या जरूरत है। इसको सिलैक्ट कमेटी के पास क्यों न भेज दिया जाए। दूसरे बिल में विभिन्न प्रोवीजन्ज है। कई क्लाजिज हैं जिन के बारे में चर्चा की ओर कहा कि ये क्लाजिज अनडैमोकेटिक हैं ओर प्रजातान्त्रिक ढांचे के विरद्ध हैं कुछ क्लाजिज के बारे में कहा है कि वे रिस्ट्रिक्टिव क्लाजिज हैं और ये क्लाजिज कोआप्रेटिव मुवमेट के उदे य के विरद्ध है। अध्यक्ष महोदयख मै आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 1976 में सैवन्थ कोआप्रेटिव कांग्रेस हुई

थी। उस में प्रधान मंत्री महोदय ने कुछ मुदों को अपने भाशण में उठाया था और कोआप्रेटिव कांग्रेस के फाइनल मिनिट्स तैयार हुए। मिनिट्स में 12 प्वायंटस थे जो तमाम राज्यों की सरकारों को इन हिदायतों के साथ भेजे गऐ थे कि आपके जिस जिस ऐक्ट के तहत ये 12 प्वायंट यानी 12 पूरी नहीं होती उन ऐकटस के रैलेवैन्ट सैक ानज को बदल दिया जाए ताकि इन 12 हिदायतों को अमल में लाया जाए। यह पाईम मिनिस्टर महोदया ने चाहा था। उन्होनें अपने भाशण मे जो कुछ कहा था, उसके कुछ अं ा सदन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्रीमती चन्दावती: इसको पढ़ने की क्या जरूरत हैं इसकी यहां क्या रैलेवैसीं है?

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: रैलेवैसीं हैं। I want to tell the intention of the Government and that is why we have brought this Bill. I am quoting some portion of Prime Minister's address which reads as under-

"The cooperative movement since the last Congress has grown in India but the growth has not been accompanied by strengthening of the movement. Some of it, I am told, because there is certain legilsation in some of our States which perhaps leads to greater supervision and therefore, prevents that fast growth which there should be. Now I do not know enough about this which State has what legilsation. But I shall certainly look into it."

अध्यक्ष महोदय, जब यह पत्र सरकार को प्राप्त हुआ इसके फौरन बाद ही दे ा के अन्दर आम चुनाव हुए। आम चुनाव के बाद बहुत से राजयों में और केन्द्र में ढांचा बदल गया ओर पार्टी की सरकारें बनी। हरियाणा प्रदे ा में भी चोधरी देवी लाल के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय हमारे लायक दोस्त श्री वीरेन्द्र सिंह जी कोआप्रेसन मिनिस्टर होते थे। इन्होनें कोआप्रेटिव कांगेंस की रिकमैडेसन्ज को मदेनजर रखते हुए रामधन नाम की एक कमेटी कांस्टीयूट की । उस कमेटी को उदे य यही था कि ऐक्ट में कोन कौन से सैक ान ऐसे हैं जिन को तरसीम किया जाए ताकि कोआप्रेटिव ऐक्ट ज्यादा डैमोक्रेटाईन्ड हो सके और उसकी रिस्ट्रिक्टिव क्लाकिजज को खत्म किया जा सके। पंडित रामधन इस कमेटी के चेयरमैन थे जो सोनीपत के रहने वाले थे इसके मैमबर चौधरी भाम ोर सिंह, राव दलीम सिंह, श्री ि ावराम वर्मा, चौधरी कर्म सिंह टोहाना जो उस समय एम0 एल0 ए0 थे और श्री राम मूर्ति रिटायर्ट इन्सपैक्टर आफ कोआप्रेटिव सोसायटीज थे अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने उन 12 हिदायतो की लाईट मे जो सैवन्थ कोआप्रेटिव कांग्रेस ने प्वायंट की थी अपनी रिपोर्ट में रिकमैडे ान की थी अध्यक्ष महोदय, मै एक बात कहना चाहूंता कि आज हमारे विरोधी पक्ष के साथी श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऐक्ट किसान विरोधी हैं ओर कोआप्रेटिव मवूमैट की स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मै सदन को बताना चाहूंगा कि चौधरी वीरेन्द सिंह के नेतृत्व मे जब कोआप्रेटिव मवूमैट चल रहा था। तो

इन्होनें एक रात को बैठकर फैसला किया कि जितने काआप्रटिव अदारे सारे हरियाणा में हैं उन सब की मैनेजमैट्स को इनैक्टिड बोडीज को वन स्ट्रोक आफ पेन से खत्म कर दिया जाए। और जब जगहो पर एडमिनिस्टेटर्ज लगा दिये जायें ऐसा किया भी गया था चोधरी वीरेन्द्र सिंह जी बिल के सारे में बात कर रहे थें मै इनसे जरूर कहूंगा कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होनें ऐक्ट के अन्दर सैक ान 26(एए) नई इन्ट्रोड्य्स की थी जिसके तहत सब की सब इलैक्टिड बाडीज खत्म हो गई। इलैक्टिड रिप्रजैटेटिब्ज को सुबह पता लगा कि रात को फैसला हुआ था सारी की सारी इलैक्टिड बौडीज सुबह होते ही खत्म हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि सातवीं कोआप्रेटिव कांग्रेस की जो 12 रिकोमैडेन्सज थी ओर रामधन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह बिल बेस्ड है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होनें कही कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए ओर उसमे नोन आफि ायल मैम्बर्ज पब्लिक के रिप्रजैन्टटिव्ज तथा ऐसे कोआप्रटर्ज होने चाहिएं जिनका कोआप्रेटिव मूवमैट से तालूक रहा हो स्पीकर साहब, सन् 1978 मे एक कमेटी बनी थी ओर उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मतवार इस बिल को तैयार करने के लिए काम करता रहा है। मेरे से पहले जो मंत्री थे ठाकुर बीर सिंह जी, उनके कार्यकाल मै भी ऐसे लोगों को ऐसोसियट किया जाता रहा है। कोआप्रेटर्ज के भी व्यूज लिए गये है। तीन चार

साल लगातार मेहनत करके हमारे अधिकारियों ने कोआप्रेटर्ज ने ओर नोन औफि ायल मैम्बर्ज कि 2–3 क्लाजिज इसमें ऐसी थी जिनके बारे में गवर्नमैट आफ इडिया की क्लीयरैन्स लेनी जरूरी थी हमने पिछले बजट सैसन मे इस बिल को लाने की कोि ा ा की थी लेंकिन गवर्नमैट आफ इडिया की होम मिनिस्टी लेबर मिन्स्ट्री ओर फाईनस मिनिस्टी से क्लीयरैन्स न मिलने की वजह से हम इसे नहीं ला सके। इस तरह से हमें सारी क्लाजिज पर पुनविचार करने लिए एकसाल ओर मिला। अब जब गवर्नमैट ओर इडिया ने क्लीयरैन्स दी उसके बाद ही हम इसे सदन में लाए। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यौं ने जो मुदे उठाए है। उनका एक एक करके उतर दूं एक बात ओर कहना चाहूंगा। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने ओर भाायद चौधरी कुलबीर सिंह जी ने भी यह बात कही कि क्लाज 13 के अन्दर जो अमलगमे ान का प्रोवीजन डाला गया हे। वह अनडेमोक्रेटिक हैं तथा इसके द्वारा आर्बिट्रेरी पावर्ज यूज की जाने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मे आपके उन्हे बताना चाहूंगा कि ऐग्जिस्टिंग ऐक्ट में भी किसी सोसायटी को डिवाइड करने ओर उसको अमलगेट करने की पावर थी। (विघ्न) इस ऐकट के अन्दर डिविजन की जो पावर है उसमें थोडा फर्क है। मान लो एक सोसायटी का बिजनैस अगर 6 लाख रूमये का हें तो हम वायेबल यूनिट मानते हैं लेकिन अगर उसकी हम डिविजन करते है। वह यूनिट वायेबल नहीं रह सकती। अमलगेट करने का प्रोवीजन इसी मुदे से रखा गया है। कि अगर 2 अन इकनौमिक अनवायेबल सोसायटी है तो उन्हे

अमलगमेट किया जाऐ। यदि वे वायेबल बन सकती हो। इस नुक्तेनिगाह से तथा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो डिविजन का प्रोंवीजन पहले था उसको डिलीट किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने यह आपति की कि यह बिल बडा अनडैमोक्रटिक है पहले ऐक्ट के अनुसार किसी भी कमेटी में सरकार बोर्ड औफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज नोमिनेट कर सकती हें जहां कही कमेटी ऐग्जिस्ट नही ंकरती वहां कमेटी बनने पर 9 साल तक सरकार उसको चला सकती है। 5 साल इस हालत में कि वहां पर बोर्ड औफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज लगा दिये 4 साल इस हालत मे कि पांच साल के बाद दिखा दिया कि यह कमेटी ऐग्जिस्ट नहीं करती थीं इसलिए नई कमेटी बना दी है। चार साल तक वह चलती थी अध्यक्ष महोदय, इसको डैमोक्रेटिक करने के हमने ये सैक ान बदले हैं कोई भी कमेटी जिसमें बोर्ड औफ ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज सरकार नोमिनेट करेगी वह तीन साल से ज्यादा नहीं चल सकती।

अध्यक्ष महोदय, ऐग्जिस्टिंग ऐक्ट में यह प्रोवीजन था कि अगर एक मैम्बर को सस्पैड कर दिया जाता तो उसे कितने ही टाईम तक सस्पैड रखा जा सकता था (विघ्न) वह दो तीन साल तक सस्पैड रह सकता था।

श्री मती चन्दावती: स्पीकर साहब, मंत्री जी यह भी बता दे कि ये अमैडमैट्स कोआप्रेटिव ऐक्ट मे कब की गई थी?(विघ्न)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः आपकी सरकार के समय मे ही हुई थी (विघ्न)

श्री वीरेन्द सिंहः स्पीकर साहब, मै पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मै आपको बाद मे टाईम दूंगा।

डा0ओम प्रका ा भार्माः स्पीकर साहब, इसमें एक बात जरूर क्लीयर हो जानी चाहिए क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो अमलगे ासन की बात की गई है। इससे मैजोरिटी को माइनोरिटी में तब्दील नहीं कर दिया जाऐगा? क्या किसी छोटी मछली को बड़ी मछली के हवाले नहीं कर दिया जायेगा और बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प नही कर जायेंगी?(विघ्न)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहःस्पीकर साहब, डा0 साहब ने जो बात कही है। इसके बारे में मै थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूं। इसके बारे में क्लाज 13(2) में लिखा है–

"13(2) Any two or more cooperative societies may with the previous approval of the Registrar and by a resolution passed by a two third majority of the members present and voting at a general meeting of each such society, amalgamate themselves and form a new cooperative society."

इसमे कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मै कहने जा रहा था कि अब केवल तीन साल तक ही ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज रह सकते है। ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज की संख्या पहले 20–21 हो जाती थी लेकिन अब इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हे। जहां हम ऐसे ऐडमिनिस्ट्रेटर्ज लगायेगे वहां उनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा मे इन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर किसी कमेटी को सस्पैड किया जाता है। तो वह कमेटी फैसला रजिस्ट्रार को 6 महीने के अन्दर अन्दर करना पडेगा। या तो वह कमेटी को रीमूव करे या कंटिन्यू करे। इस हालात में अगर कमेटी कांस्टीच्यूट होती है। तो उसको 6 महीने की टर्म पहले मिलती है। ओर 6 महीने की बाद में मिलती है। कहने का मतलब यह हैं कि एक साल के अन्दर फै ा इलैक्सन करवाने पडेगे।

स्पीकर साहब, चौधरी कुलबीर सिंह ओर चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कमेटीज के इलैक्सन ओर टैन्योर के बारे में भी एक बात कही है। इन्होनें क्लाज 28(2) की एक्सप्लेनेसन का हवाला देते हुए आ ांका जाहिर की । इस एक्सप्लेनेस्न मे लिखा–

"the election progress shall be deemed to have started from the date of the order of the Registrar fixing the date of electioin."

अध्यक्ष महोदय, जब कोई इलैक्टिड कमेटी इलैकसन करवाने में दिलचस्पी नहीं रखती हो या इलैक्सन प्रोगाम नहीं निकालती हो तो उस हालात के अन्दर हमने रजिस्टार को ऐम्पावर

किया हैं कि वह इलैक्सन की डेट फिक्स करे इलैक्सन का प्रोगाम फिक्स करे अध्यक्ष महोदय, इन सभी हालात में भी कोई भी कमेटी चार साल से अधिक किसी भी हालात में नौमिनेटिड नहीं रह सकती उसक इनैक्सन करवाना जरूरी होगा। पहले यह ड्यूटी कमेटी के पास थी लेकिन अब अगर कमेटी अपनी ड्यूटी पूरी न करे तो इसे रजिस्ट्रार पूरा करेगा।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: क्या इलैक्सन के अन्दर कास्टिग वोट भी इस्तेमाल होगी?

चोधरी बीरेन्द्र सिंह: जी हां।

17.00 बजे

डा ओम प्रका ा भार्मा: अगर कांस्टिग वोट का भी हक हैं फिर तो यह डेमोक्रेटिक राज नहीं चल रहा। स्पीकर साहब, इलकै ान के अन्दर कभी भी कांस्टिंग वोट इस्तेमाल नहीं होती। अगर कांस्टिंग वोट इस्तेमाल होती हैं तो इलैक ान नहीं है।

चोधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार को ये आख्तियारात थे कि वह अपने तीन नौमिनी किसी भी सोसायटी की कमेटी में मुकरर्र कर देती थी। फर्ज करो। आठ आदमी मैनेजमैट में है तीन नोमिनेटिड आदमी सरकार के हो गये बाकी 5 मे से एक तरफ दो आदमी है और दूसरी तरफ तीन आदमी है। तो मैजोरिटी उनकी हो गई जिनके साथ सरकार के नोमिनी हैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह प्रोविजन किया है कि एक लाख

रूपए से कम जहां सरकार को इन्टैक्ट इन्वाल्वड है चाहे वह लोन हें या गांट की भाकल में हैं उन सोसायटी के अन्दर सरकारी नौमिनी नहीं लगाये जायेगे।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि जब कोई भी मिनि बैक के इलैकसन होते है तो उसमें हमे ाा सरकार के नुमाइनदों के बारे में कहा जाता है। कि फलां को फलां वोट डालेगे।हरियाणा के अन्दर दो हजार से ऊपर मिनि बैक है। इन बैक्स में गवर्नमैट का इन्ट्रैस्ट एक लाख रूप्ये से ऊपर के जो बैक्स हैं उनमे हैं कम के मं नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ सोसाइटीज में गवर्नमैट का नौमिनी नहीं होगा। अगर कही सरकार का स्टेक एक लाख रूपये से ज्यादा का है तो वहां गवर्नमैट वाच किया जायेगा। 13 सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैक्स और जो अपैक्स वाडीज है उनमे हमारे नुमाइन्दे होगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होने बहुत सी ऐसी बाते की कि सरकार ने बहुत रिस्टिक्टिव क्लाजिज लगा दी है। मै आपके जरिए हाउस को बताना चाहता हूं कि 525 करोड़ रूप्ये की तो सरकार की डिफरैन्ट कोआप्रेटिव इन्सटीच्यू ान्ज की गारन्टी है जो सरकार ने दी हुई है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 135 करोड रूपया सरकार का डिफरैन्ट कोआप्रेटिव इन्सटीच्यूसन मे यानी विभिन्न सहकारी अदायरेां में लोन की भाक्ल में दिया हुआ है। और 105 करोड रूपये के करीब हमारा भोयर कैपिटल के रूप मं है इस तरीके से कई सौ करोड़ रूपये सरकार के किसी न किसी भाक्ल में

कोआप्रेटिव इन्स्टीच्यू ानज में हैं सरकार का इन्ट्रेस्ट वाच करने कि लिए हमने कुछ प्रोवीजन्स रखे है यह इसीलिऐ किया है अगर किसी इन्सटीच्यू ान में कोई ऐसी कमेटी हो जो सरकार के इट्रैस्ट को वाच न कर सके या इग्नोर करे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी से रखी है।

स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने विभिन्न क्लाजिज पर कुछ प्र न किये हैं उनका मै क्लाजवाइज जवाब देना चाहता हूं । एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने मेरे और मेरे परिवार के बारे मं यह बात कही है कि जो परिवार किसानो का इतना भला चाहने वाला रहा हो और आज उस परिवार का कोआप्रे ान मिनिस्टर हो फिर भी किसानों को जकड़ दिया जाये। उनकी आर्थिक अवस्था बिगडे तो उनके होने का क्या फायदा होगा। स्पीकर साहब चोधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने क्लाज 53 का हवाला दिया ओर उसके साथ ही क्लाज 76, 72 ओर 83 का भी दिया । इसमें रिकवरी की बात हैं इन्होनें जो आपति की है। उसमें यह कहा कि टेनैन्ट को भी बख्भाा टैनैन्सी पर चार्ज क्रियट नही दिया । स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव एक्ट के अन्दर ये चारो की चारो सैकसन पहलें भी थी। इसमें कोई चेंज नहीं किया। मै आदरणीय सदस्यों को बताना चाहुंगा कि टेनेन्सी का जो चार्ज है यानी अगर एक आदमी मुजारा हैं लैन्ड रिकार्ड के अन्दर हैं उसके पास कोई जमीन नहीं, ओनरि ाप नहीं है। उसके लिए भी हमने यह किया हैं कि अगर उसके टेनैन्सी के राइडस है तो उसको भी

कर्जा दिया जाये। इस चीज को मदेनजर रखते हुए और टेनेन्ट का इन्ट्रैन्ट वाच करते हुए उनको कर्जा देने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ उन्होनें यह भी कहा है कि क्लाज 76 कें अन्दर हमने यह प्रोविजन कर दिया कि कोई सेल अगर रिकवरी इफैक्ट न होने की वजह से होती हे। ओर गलत सेल हुई हे तो रजिस्ट्रार को तीस दिन के अन्दर अन्दर आब्जैकसन फाइल किया जा सकता हैं रजिस्ट्रार अगर उस सेल को इल्लीगल समझे तो वह उसे रद कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी अगर यह समझता हैं कि फलां जमीन की सेल या आक ान गलत हुई है यानी जिस भाव से सेल हुई हैं उससे ज्यादा वैल्यू की थी तो रजिस्ट्रार को मूव कर सकता हैं कि यह जमीन आपने इतनक मैं आक्सन कर दी इसका पैसा दुगना तिगुना मिल सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पहले प्रोपर्टी की सेल कोर्ट के थ्रू होती थी लेकिन अब यही करेगें कोर्ट मे जाने की आव यकता नही हैं यही सेल करने वाले ओर यही आब्जैक्सन सुनने वाले है। कोर्ट में जाने की आव यकता नहीं हैं जिस की जमीन सेल हो गई वह रिवीक नही करवा सकता। अगर रिवोक करवायेगा तो बड़ी भारी रकम जमा करवानी पडेगी । कितने कम्बरसम प्रोसिजर के थ्रू उसे जाना पड़ेगा। उस बात को आप ध्यान में देखे, तब आपको सही पोजीसन का पता लगेगा।

चोघरी वीरेन्द्र सिंह:इसके अलावा क्लाज 83 में जो कहा गया है। उसके बारे में कहते है। कि आपने जो क्लाज 76 में

हमे फायदा दिया हैं वह इसमें बिदड्रा कर लिया हें क्लाज 83 उस हालात में है कि प्रोसिडिंग्ज के अन्दर पांच छः साल कत चलता रहे। इस चीज को रिस्ट्रिस्ट करते हुए हमने यह किया है कि क्लाज 83 में उस सारी प्रोसिडिंग्ज को कवर किया जाये सील्ड किया जाये।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: अगर कोई आदमी क्लाज 53 के तहत अपने निजि रिहाय ी मकान के बदले में कर्जा लेता हैं यानी अपने मकान को मार्टगेज करके कर्जा लेता है। ओर वह किसी वजह से कर्जा वापिस करने की हालात में न हो तो क्या ऐसी सूरत मे उसके निजी रिहाय ी मकान को भी आक ान करा लोगे?

चोधरी वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि ये क्लाजिज पिछले ऐक्ट में भी एग्जिस्ट करती हैं ओर भाायद ही कभी इनवोक हुई हो। आप जानते है रिजर्व बैक आफ इडिया से कई सौ करोड़ रूपया सहकारी क्षेत्र में किसानेां को बांटनें के लिए लेना पड़ता हैं। इसलिये उनको जो भार्ते हैं उनको पूरा करने के लिये इस किस्म की क्लाजिज बिल में लानी जरूरी है।

श्री मती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, बार बार यह कहा जा रहा है। कि पहले ही ये क्लाजिज थी। इसलिये हम ऐसा कर

रहे है। स्पीकर साहब, अगर पहले ही किसान विरोंधी क्लाजिज थी तो उनको पहले ही क्यों नहीं हटा दिया गया था।

चोघरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम हर साल किसानों को लगभग 177—178 करोड़ रूपये का क्रोप लोन देते है। दो सौ या सवा दो सौ करोड़ रूप्या रिजर्व बैक और नैवार्ड से हम लेते है। उनकी क्लीयर इंस्ट्रक ांज है कि बिल ओर एक्ट में ये वे भार्ते पूरी करनी पडेगी। उन सारी भार्तो को पूरा करने के लिये ये क्लाजिज डाली गई है। जिन क्लाजिज का चोधरी वीरेन्द्र सिंह ने जिक किया है। अध्यक्ष महोदय, वे भाायद ही इनवोक हुई हो। जब से हरियाणा बना हे। तब से लेकर आज तक दो हजार करोड रूप्ये ाक हम लोन दे चुके है। सिर्फ अठारह करोड़ रूप्या ऐसा हे जो तीन साल से ऊपर का बकाया कर्जा है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता हैं कि यह 0.1 परसैन्ट भी सारी लोनिग का नही है। रिजर्व बैक ओर नैबार्ड के कहने से यह करना पडता है।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह आ वासन देदे कि किसी भी व्यक्ति के सिर छिपाने का ठिकाना नहीं छीना जाएगा।

चोघरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओर हमारे मुख्य ंमत्री की हमे ाा यह इच्छा रही हैं कि किसान को ज्यादा से

ज्यादा सहलियत इस कोआप्रेटिव के अदायरे से दे सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ गलत ओर थोथी बात करने से किसी का काम नहीं चलता सारे दे ा के अन्दर हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है। जहां कोआप्रेटिव से जो भाार्ट टर्म क्रौप लोन दिया जाता है। उसकी ब्याज की दर साढे बारह प्रति ात से घटाकर साढे ग्यारह पंति ात की हैं और इससे किसानेां को दो करोड़ रूपए सालाना का फायदा होगा। हमारी हमे ाा यह मं ाा रही हैं कि गांव के रहने वाले को काआप्रेटिव मूवमैट से ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुचे।

चौधरी कुलबीर सिहं मलिकः आन ए प्वायट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, क्लाज 29(3) में दिया हुआ है। कि नोमिनेटिड मैम्बार में ओर दूसरे मैम्बर्ज मे डिफरैन्स आु ओपिनियन हो जाता है। या मैनजिग डायरेक्टर के बीच में और मैम्बर्ज के बीच में डिफरैनस औफ ओपियनियन हो जाता हैं तो केस गवर्नमैट को भेजा जाऐगा और गवर्नमैट का डिसीजन कमेटी का डिसीजन माना जाऐगा। इस बारे में अमरीका की मिसाल है–

‘Seven nays one yeh

yeh wins th day.’

इस बारे में मै एक यहां की मिसाल भी देना चाहता हूं एक केस रामकि ान हुड्डा वरसिज स्टेट पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट में ओनरेबल जस्टिस टिवाना की कोर्ट मे था। इस केस में कमेटी के दस इलैक्टिड मैम्बर्ज थे ओर चार नोमिनेटिड मैम्बर्ज

थे वे एक हरिजन को कोआप्ट करना चाहते थे गवर्नमैट ने उन चारो के हक में फैसला कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसको सैट असाइड कर दिया। दूसरी आत मै कलाज 30 के बारे कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker: He will come to that point, Please take your seat.

चोधरी वीरेन्द्र सिंहः सैक्सन 89 के बारे में यह एतराज किया गया हे। कि इसके अन्दर यह प्रोवीजन हैं कि कोई भी सोसायटी अपनी इम्पूवेबल प्रोपर्टी बगेर रजिस्ट्रार की इजाजत के न हो तो लीज पर दे सकेगी। न बेच सकेगी। न खरीद सकेगी। ओर न ही कोई बिल्डिंग बना सकेगी। स्पीकर साहब, यह प्रोवीजन सिर्फ इस बात को ध्यान में रखाते हुए किया गया हैं कि सोसायटी का जा एडमिनिस्ट्रेसन हैं मैनेजमैट हैं वह पांच छः आदमी चलाते हैं ओर सोसयटी के अन्दर जो हजारों प्राइमरी मैम्बर्ज होते है। उनका इंट्रैस्ट वाच करना जरूरी हें स्पीकर साहब, आपने भी देखा होगा कि बहुत से राज्यो मे ऐसी प्रवृति बनी हुई है। कि जो आदमी कोआप्रेटिव अदायरे मे आ गया वह मनोपलाईज करने की कोि ा ा करता है कि वही प्रधान रहे वह जो भी फैसला कर दे। वही होना चाहिए। वह जनरल बौडी की मींटिग बुलाए या न बुलाए वह अपनी ही चलाता हैं। इस चीज को ध्यान मे रखते हुए यह किया गया हैं कि रजिस्ट्रार की सैक ान लेना जरूरी है। स्पीकर

साहब, एक मैनेजिग कमेटी मे सात आदमी है। जो यह कहते हैं कि सोसायटी की लाखों रूपये की या करोडों रूपये की प्रोपटी हे। उसको हजारो में बेचना चाहते है। लेकिन हमारी गवर्नमैट का आदमी डाइसैटिंग नोट में कर देता है। नो इसलिये यह रिस्ट्रिक्टिव क्लाज लगा दी है। आप इसको कट्रोल करने वाली क्लाज कह लीजिएं इसलिये यह जरूरी हैं कि यह क्लाज रखी जाए। क्लाज 30 के बारे में इन्होनें यह एतराज उठाया है। कि जो चेयरमैन है वह नौमिनेटिड मैम्बर्ज में से बनाया जा सकता है। यह नही होना चाहिए स्पीकर साहब, मेरे साथियों को भूगर मिल की चिन्ता हैं मै जीन्द की भूगर मिल की मिसाल देना चाहता हूं उसकी टोटल कौसट दस करोड़ रूपये है उस दस करोड रूपये मे से सिर्फ एक करोड़ रूपये के करीब क इंडिविजुअल भोयर्ज हे और उसमें भी अभी तक तीस लाख रूपया इकट्ठा हुआ हैं। इस समय सिर्फ 0.3 परसैन्ट टोटल कौस्ट के इंडिविुअल भोयर्ज हैं स्पीकर साहब, जहां सरकार के करोडों रूप्यें इंवाल्व्ड हो वहां सरकार को देखना पडेगा कि वह इंस्टीच्यू ान ठीक तरह से काम करे। उस इंस्टीच्यू ान को ठीक तरह से चलाने के लिए यह जरूरी है कि उस मै गवर्नमैट का नोमिनेटिड चेयरमैन लगाया जाए। स्पीकर साहब, इन्होने आर0 सी0एस0 के बारे में कहा हैं कि यह बात ठीक नहीं हुई हैं कि हर डिसस्प्यूट उसको रैफर किया जाये ओर वही फैसला करे। वह खुद ही पार्टी हैं ओर वह खुद ही फेसला करे। स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सोसायटीज एक्ट के तहत डिसप्यूट एक सोसायटी ओर एक इंडिविजुअल में हो सकता है। That dispute

can relate to the managment of the bank or the society. इसी तरह से दो सोसायटीज का आपस मे झगड़ा भी हो सकता हैं। तो उस हालत मेंआर0 सी0 एस0 किसी भी तरीके से इससे पार्टी नहीं है। आर0 सी0 एस0 को जो पावर्ज दी गयी हे। वह इसलिये दी गयी है। कि वह एक अन अटैन्ड ओर इम्पा ीयज आदमी होकर फैसला करे सके। इसके बाद क्लाज 114 की सब क्लाज (3) में यह एतराज किया गया है। कि इसके तहत किसी को अपील की पावर नहीं हैं । दरअसल मेरे लायक दोस्त ने इसको पढ़ने में भाायद कोताही की हैं इसमे क्लीयर हे कि–

"No appeal shall lie under this section from any decision or order made by any authority in appeal. "

इसमें होता हे कि फैसला ए0आर0 ने दे दिया या डी0 आर0 ने दे दिया तो उसे फैसले के विरद्ध जब कोई आदमी अपील मे जाता है। तो ये कहते है कि उस अपील की भी अपील होनी चाहिए। यानी सैकिण्ड अपील चाहते है। हमने यह प्रावधान किया है। कि एक आदमी अगरकोई फैसला कही से लेता है। तो दूसरा फैसला वही दूसरी अपील मै ले सके। अगर वह फिर भी सैटिफाई न हो तो अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह पावर दी गयी हैं किवह सूओ मोटो फैसला कर दे। अगर उस फैसले के खिलाफ रिवीजन पैटी ान फाईल करना चाहे तो वह भी कर सकता है। इस तरह तीन स्टेजिज पर उसको इन्सा फ मिलने की बात हैं। चौथी बात यह हैं कि अगर वह इतनी बातो के बावजूद भी सैटिफाई न होता

हो तो वह हाई कोर्ट में भी जा सकता हे। इसके बारे में कुछ हम नहीं कर सकते। इसके अलावा श्री राम बिलास जी ने ओर दूसरे मेरे माननीय साथी श्री ओम प्रंका ा जी ने सैक ान 27 के बारे में भी कहा हैं कि रैजोल्यू ान रिसाइड करने का प्रोवीजन जो डाला गया हैं वह बहुत आर्बीट्ररी हैं मैने पहले भी बताया हैं कि कोई भी रैजोल्यू ान अगर किसी मैनेजमैट की बौडी ने पास किया है तो उसे आर0 सी0 एस0 रिसांइड कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप को पता होगा कि वैस्ट बंगाल के ऐक्ट के अन्दर भी यह प्रोवीजन है मै माननीय सदस्यो को बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर रैजोल्यू ान रिसांइड हो जाता हें तो अपील की पावर नहीं है लेकिन यहां अगर रैजोल्यूसन रिसाइड होता हें तों अपील की पावर हैं डाइसैन्टिग नोट को प्रोवीजन भी इसी लिये डाला गया है कि सोसायटी के प्राइमरी मैम्बर्ज का इट्रैस्ट सरकार हर कदम पर वाच करे। अध्यक्ष महोदय क्लाज 27(1) की लैगवेज आप को पढ़कर सुना देता हूं।

"The Registrar may be order in writing, suspend the execution of any resolution of the managing committee or of a sub-committee ofa coperative soceity if in his opinion, the resolution is in excess of the powers conferred by this Act or the execution of the resolution is likely to prejudice the material interest of the cooperative society or the memebers thereof."

यह केवल इसजिये किया हैं कि कोई अपनी डिफाइन्ड पावर्ज से बाहर होकर ऐक्ट न करे सके। उसके बाद क्लाज 28(6) के बारे मे भी बात कही गयी हैं उसमें यह प्रोवीजन है कि–

“No individual shall at any time, be a member of a committee of more than two primary societies, one central society and one apex society.”

अगर मेरे लायक दोस्त ने पुराना रैलेवैन्ट सैक ान पढा होता तो उनको पता चलता। उसमें भी इस तरह का प्रोवीजन था। उसके मुताबिक एक आदमी एक पाइमरी एक अपैकस ओर एक सैन्ट्रल सोसायटी को मैम्बर बन सकता था। अब हमने इसको लिबरेलाइज किया हैं अब यह चार सोयायटी का मैम्बर बन सकता है। इसके साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि जो इसका प्रंोवाइजो हैं। वह बडा अनडैमोक्रेटिक है कि एक नोमिनेटिड मैम्बर को तो कितनी ही सोसायटीज में रहने का अधिकार होगा लेकिन इलैक्टिड मैम्बर्ज को नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये पढेगें तो इनको पता चलेगा कि अपैक्स बाडी मे यह प्रावधान होता हैं कि आर0 सी0 एस0 उसका एकस आफि ायों चेयरमैन या डायरैक्टर होता है। अध्यक्ष महोदय, आर0 सी0 एस0 तो एक है। और अपैक्स बौडीज हमारी 12 है इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गयी हैं कि सरकार जिन आदमियों को कुछ सोसायटीज में नोमीनेट करेगी वे उनसे ज्यादा के भी मैम्बर रह सकते हैं हर डायरैक्टर इंडस्टीज जिसका कमर् ियल बिजीनेस हैं वह हर अपैक्स बौडी का मेम्बर हैं इसी तरह से हैफड के ओर कनफैड

दोनों में डायरेक्टर फुंड एण्ड सपलाईज है डायरैक्टर फूड एण्ड सप्लाईज का कोआर्डीने ान के लिये दोनों में होना जरूरी हैं। तभी यह प्रोवीजन क्लाज में रखा हे।

चौधरी ओम प्रका ा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं जेसे आर0 सी0 एस0 हैं उसके लिये यह छूट दी गयी हैं कि वह दो तीन व चार सोसायटीज का मैम्बर भी हो सकता है। लेकिन उसके नीचे के लैवल के जो दूसरे नोमिनेटिड मैम्बर्ज है। उनकी क्या पोजी ान हे। उनके बारे में डिफाइन क्यों नही किया गया?

चोधरी वीरेन्द्र सिंह: डिफाइन की बात यह है कि जैसे करनाल जिले के अन्दर दो भाूगर मिल हैं और हिसार के अन्दर एक भी नहीं है। तो हो सकता है। कि वहां का जो डी0आर0 हैं वह दोनो का ही मैम्बर हो। इसलिये हर लैवल पर और हर क्षेत्र मे इसको डिुफाइन नही किया जा सकता। इसलिये हमने यह रखा हैं दूसरी एक ओर बात इन्होनें सोसायटीज के इलैक ान के लिये रजिस्टार को डेट फिक्स को बारे में कही। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हमने किसी सोसायटी का इलैक ान रख दिया। 10 आदमी आऐ कि साहब इसको पोस्टपोन कर दो। हमने भी नोमीनेसन पेपर्ज भरने हैं किसी के नोमीने ान पेपर्ज रिजैक्ट कर दिये ओर वह फिर डी0 आर0 को अपील करके स्टे ले गया उसके बाद इलैक ान साल भर हो सके। या नहीं इसका कुछ नही पता

डिले होती रहती है। तो इसीलिये क्लाज 28(2) मे हमने यह प्रावधान किया हैं कि–

"The election process once started shall not be postponed anddisputes, if any pertaining to th election shall be entertained after the completion of the election process in accordance with the provision of this Act."

इससे बडा स्टैप हम और क्या ले सकते हैं पहले यह आम ि ाकायत थी कि अगर किसी के नोमीने ान का रिजैक ान हो गया तो वह स्टे ले आता था या किसी ओर कारण से स्टे ले आता था इस तरह से इलैक्सन वेसे ही लटकता रहता था।

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, ये जरा क्लीयर कर दे कि जिस का कोआप्रेटिव सोसायटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसको नोमीनेट कर देते हैं ओर फिर चेयरमैन भी बना देते है। फिर उसी को ही 6–6 सोसायटीज का मैम्बर भी ऐसे मैम्बर्ज नोमिनेट किये गये। जैसे मार्गेन्ज बैन्क्सहैं दूसरे लैन्ड डिवैल्पमैट बैन्कस है उनमें कई ऐसे मैम्बर्ज नोमिनेट किए गयो आपका पानीपत को कोआप्रेटिव भाूगर मिल हैं उसमे भी कुछ लोगों को मैम्बर बनाया गया हैं जिनका इससे कोई ताल्लूक नहीं हैं भाायद उनके घर मे एक भी गन्ना न मिलेगा। इस तरह से कईयों को नोमिनेट कर दिया। जो आदमी इस तरह से नोमिनेट किये गाये हैं वे आये चलकर चेयरमेन बन जाते हैं। तो उनका क्या बनेगा? जो ठीक आफि ायल बन गय उनको तो डिफाइन करना चाहिए।

चोधरी वीरेन्द्र सिंह:अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाूगर मिल्ज की बात हैं मैं बताना चाहता हूं कि आज तक भाूगर मिल्ज में बोर्ड डायरैक्टर्ज नोमीनेट नहीं किए गए बल्कि हमे ाा इलैक ान होते रहे है। अब भी अप्रैल में इलैक ान डयू हो गई थी हमने उसके लिये डेट फिक्स कर दी हैं इसके अलावा अगर कोई आदमी प्राइमरी सोसायटी का मैम्बर होता हैं या किसी पी0 एल0 डी0बी0 का मैम्बर्ज है तो वह उसका डायरेक्टर्ज बना सकता हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक ान नही है।

चौधरी ओम प्रंका ा: मंत्री जी एक बात ओर क्लीयर कर दे। क्लाज 28(2) की एक्सप्लेने ान मे लिखा हें कि रजिस्ट्रार इलैक ान की डेट फिक्स करेगा। इस बारे में मैने अमैडमै दी हैं उस बारे में इनको क्या एतराज है?

श्री अध्यक्ष: जब वह स्टेज आएगी तो उस समय मै आपको टाईम दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री जी ने बताया कि एक बार इलैक ान प्रोसेस भाुरू होने के बाद उसको कोई रोकेगा नहीं। इसका दूसरा पहलू भी हैं कि अगर किसी को इलैक ान मे हिस्सा लेने से रोकना ही तो उसको सस्पैड या रिमूव कर दिया जायें उसकी सुनवाई इलैक्सन के बाद ही होगी। उसका क्या होगा?

चोधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चोधरी साहब सैनी ने क्लाज 31 (3) के बारे में कहा कि एम0 डी0 को सुप्रीम कोर्ट अथोरिटी बना दिया है। दरअसल वे पढेगे ता देखेगे। कि सुप्रीम पावर अगर वैसट करती हैं ते सही मायनेां में जनरल बाडी मेंकरती हैं । जनरल बाडी का जा फैसला हैं उसके ऊपर मेनेजिगं कमेटी चैक करती हैं उन्होने कहा कि एमपलाईज के ऊपर भी एम0 डी0 सुप्रीम होगा ओर इससे ऊपर वाली क्लाज 29(3) में लिखा हैं कि एम0 डी0 बोर्ड आफ डायरैक्जर्ज की सुपरवीजन के अडंर एक्ट करेगा। अध्यक्ष महोदय अगर बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज के नीचे वह काम करेगा तो नैचूरली एम्पलाईज भी बोर्ड आफ डायरैक्र्ज के नीचे काम करेगे। इसीलिये सुप्रीम बी0 ओ0डी0 की होगी न कि एम0 डी0 की। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कौमन काडर के बारे में भी आपति उठाई गई। क्लाज 37 ओर 38 के बारे में यह आपति उठाई गई थी अध्यक्ष महोदय, यह एक मांग भी थी ओर आपने देखा होगा कि जहां जहां कोमन काडर मिला हैं वहां पर एम्पलाईज के अन्दर एफीि ाएनसी भी आई हैं ओर उनके दिमाग में डिस्पिलन की बात भी आई है। ऐसा करने उनकी सर्विस को एन्ा ाोर भी किया गया है। पहले यह था कि सोसायटी का रैजोल्यूसन हुआ तो किसी की नोकरी में लगा लिया ओर किसी को निकाल दिया । इसीलिये हमने कौमन काडर करके इसको स्ट्रैन्थन किया हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मै आपकी मार्फत सदन को बताना चाहूगा कि क्लाज 65 के अन्दर हमने यह भी प्रावधान किया हैं कि कोई भी भाई सहकारी क्षै़त्र से अगर भाार्ट

टर्म लोन लेता है। ओर वह किसी वजह से पैसा अदा नहीं कर सकता तथा ब्याज बढते पैसा काफी बढ जाये उस स्थिति में हमने यह किया हैं कि अगर एक आदमी ने एक हजार रूपया लोन लिया है ओर ब्याज सहित उसकी तरफ तीन हजार रूपया हो गया तो उससे सिर्फ दो हजार रूप्या लेगे बाकी को पैसा राइट आफ हो जायेगां।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैने क्लाज 28 के बारे में आबजैक ान किया था कि अगर किसी को इलेक्सन से पहले सस्पेड कर लिया जाता हैं तो वह क्या करेगा क्योकि फैसला तो इलैक्सन के बाद होगा?

चोधरी वीरेन्द्र सिंह:अध्यक्ष महोदय, यह इलैक्सन की बात हें सस्पैन ान की की बात नहीं है। यह सिर्फ उस हालत में हैं जब कोई इलैक ान प्रोसैस स्टार्ट हो गया हो। फर्ज किया कि नोमीने ान की तारीख फिक्स हो गई तो उसके बाद इलैक ान कम्पलीट होने के बाद ही आबजैक ान फाइल हो सकेगा। इन भाब्दों के साथ में यह कहूंगा कि सरकार ने कोि ा ा की हैं कि इस एक्ट को डैमोक्रैटाइज किया जाये। और जो रिस्ट्रिक्टिव क्लाजिज है, उनको दूर किया जाये।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने हमारे खद ाहत का जवाब देते हुए कहा कि जब मेरे पास कोआप्रे ान महकमा था तो मैने एक कमेटी मुकरर की थी। उसका नाम राम धन कमेटी था। इन्होनें उस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला नही दिया कि उसकी रिपोर्ट में क्या बना था मुझे भी नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट क्या थीं क्योकि बीच में यह महकमा मेरे से लेकर चोधरी भजन लाल को दे दिया था। उस वक्त जो बैस्ट टेलीन्टिड आदमी अवेलेबल थे उनको इस कमेटी में भाामिल किया गया था। पंडित राम धन आज भी कांगेंस में हैं ओर उस वक्त भी कांग्रेस ग्रुप थें ऐसी वेसी नही थी दूसरे इन्होनें एक्ट की सैक ान 26(एए) का बड़ा हवाला दिया कि हमने इलैक्टिड बाडीज को साफ कर दिया । उस वक्त मुि कल से पांच सात परसैन्ट इलैक्टिड बाडीज थी बाकी सभी पर एडमिस्ट्रिेटर बैठाये हुए थे। हम चाहते थे कि उन सबको एट पार लाकर नये सिरे से इलैक ान तसल्ली नहीं कर पाये। इन्होने इस बात का जवाब दिया लेकिन फिर भी हमारी तहत किसान का धर नीलाम हो सकता हैं उसके कैटल नीलाम हो सकते है। राजेन्द्र सिंह ओर कर्नल राम सिंह ट्रेजरी बैचिज की लोबी में बैठे थे। मैने उनको रिक्वैस्ट की थी कि अगर यह बिल सिलैक्ट कमेटी को जाता है ता कोई पहाड़ गिरने वाला नही है। सोसाइटियों का काम तो चल ही रहा हे। इसलिये मै फिर अर्ज करता हूं कि इस बारे में सोच लेने में कोई हर्ज नहीं हे।।

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैने पहले भी बताया कि सिलैक्ट कमेटी का मतलब क्या हे। सिलैक्ट कमेटी का मलतब यह है। कि कोई भी बिल हेस्ट में पास न हो ओर उसके लिये डिफरैन्ड वाक आफ लाइफ की जो ओपिनयन हैं वह इकट्ठी कर सके। ओर उस ओपिनयन के मुताबिक ही बिल को लेकर आये। पिछले चार साल से भी इस बारे में बाकायदा नोन आफि ियल मैम्बर्ज हमने साथ रखे है। उनकी भी राय जी ओर जो कोआप्रटर्ज थे उनकी भी राय ली। इसके साथ साथ मै यह बताना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई ऐसी गलत क्लाज होती हैं तो गवर्नमैट आफ इडियां की होम मिनिस्टरी लेबर मिनिस्टरी से ओर फाइनैन्स मिनिस्टिरी से यानी सभी से इसकी क्लीयरैन्स न आती । अगर वहां से क्लीयरैनस आई है तभी हम इसे बिल की भाक्ल न आती। मै चौधरी वीरेन्द्र सिंह को यह आ वासन देना चाहता हूं कि इसके अन्दर कोई भी क्लाज या सब क्लाज नई नहीं हे। ओर न हीं यह बिल किसानेां के अहित मै हैं इस बिल से किसानों को नुकसान होने वाला नहीं है।

Mr. Speaker: Question is-

that the Haryana Cooperative Societies bill be taken into consideration at once.

the motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाइ क्लाज विचार करेगा।

श्रीमती चन्दावतीः जनाब स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ंकि यह सारी ही एन्टी किसान बिल हैं इसे वापिस लिया जाना चाहिए ओर यह सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। वरना हम इस पर बोलना चाहते है हमें बोलने का पूरा मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्षः बहिन जी आपने अपनी पार्टी के किसी भी मैम्बर्ज का नाम लिख कर मेरे पास नहीं भेजा कि फंला मैम्बर हमारी पार्टी की तरफ से इस बिल पर बोलना चाहता हैं अब वह स्टेज निकल चुकी है। जिस समय बिल के पास होन की स्टेज आयेगीं उस समय आप बोल लेना।

श्रीमती चन्दावतीः जनाब स्पीकर साहब, हम इस बिल की हर क्लाज पर बोल सकते हैं मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहती हूं हमने ट्रेजरी बैचिज से यह कहा था कि यह बिल आम आदमी वि ोशकर गरीब आदमियों को अफैक्ट करने वाला बिल है क्योकि गांवों में छोटे छोटे कस्बो में कोआप्रेटिव सोसायटीज बनी हुई है। उनके अन्दर अमीर आदमी मैम्बर नहीं है। ज्यादातर गरीब आदमी दी उन सोसायटीज के मैम्बर बने हुए हैं। जोकि 500 या 1000 रूपये कर्जा लेते है। (ोर एवं विध्न)

श्री अध्यक्ष: बहिन जी, यह तो जनरल बात हैं आप कोई कन्क्रीट बात कहे।

श्रीमती चन्दावती: जनाब स्पीकर साहब, इस बिल की एक क्लाज के मुताबिक किसानेां की खडी फसलें नीलाम हो गयी।(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जिस समय वह क्लाज आएगी आम उस पर बोल लेना।

श्रीमती चन्दावती: जनाब स्पीकर साहब, मै यह कह रही हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। हम सिर्फ यही चाहते है। कि यह बिल री कंसिड्रे ान के लिए सिलैक्ट कमेटी को सौप दिया जाए।(ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह बात हो चुकी है। मिनिस्टर साहब इस बात के लिए नही मानते है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए।(ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द सिंह: स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मै एक सबमि ान करना चाहता हूं इसमें कोई भाक नहीं कि ट्रैजरी बैचिज वाले मैजोरिटी में हैं इसीलिये ये इस बिल को पास करवा लेगे।But with all force at our command, we shall register our protest against the passing of this bill.

आप क्लाज बाई क्लाज इस बिल को पास करवाये जा रहें हे। हमें आप बोलने का मौका दे। हम इस बिल की हर क्लाज पर बोलना चाहते है। मुख्य मंत्री जी पांच मिनट के लिए इस पर गोर कर ले। मैने इस बिल की जो कलाजिज प्वायंट आउट की है। उनके अनुसार यह बिल एन्टी किसान बिल है जो रिलीफ 1935–36 मैं सर छोटू राम ने किसानों को दिये थें। उन को यह बिल वापिस ले रहा है। कोआप्रे ान मिनिस्टर साहब का यह कह देना कि 1954 के कोआप्रेटिव सोसायइटीज एकट मे जो क्लाजिज थी उनको इन्वोक नहीं किया गया हे। यह बिल्कुल गलत बात है। Why do not he omit those clauses from the present Bill.?

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज जितने मैम्बर्ज साहेबान ने इस बिल के बारे में अपनी भावनाऐ प्रकट की है। उनकी रिप्लाई देने में मिनिस्टर साहब को लगभग एक घंण्टें का समय लगा है। यदि मिनिस्टर साहब को यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजना होता या विद होल्ड करना होता तो आपको पहले ही बता दिया जाता । आपने भाुक्रवार को यह कहा था कि इस बिल को 2 तारीख के एजेन्डे मे सबसे पहले रख लिया जाऐ। वह बात मैने आपकी मान ली थी। अब जो प्रोसीजर है वह एडांप्ट होना है। जिस सूय इस बिल की पासिंग स्टेज आए उस समय आप बोल लेना। हुड्डा साहब भी इस बिल पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हे। जितना समय मै दे सकूंगा उतना जरूर दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं स्पीकर साहब, इस बिल के बारे में हमारे कई साथियों ने कहा है। कि यह बहुत अहम मुदा हे। ओर यह बिल सारे गरीब आदमियोां को प्रभावित करता हे। इसीलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये।(ाोर)

श्री अध्यक्ष: क्या यह रैपीटी ान नही है? मै खुद इस बात को मानता हूं कि अपो ाीन के सभी मैम्बर्ज की यह भावना है।

वाक आउट

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आप इस भावना को मानते हैं फिर भी ट्रैजरी बैन्चिज वाले बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करवाना चाहते हे। इसलिए एज ए प्रोटैस्ट मै वाक आउट करता हूं ।(ाोर)

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984
(पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरे अपो ाीन के भाई वाब आउट करने की ग्राउट बनाना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने बहुत सी बाते कही है। मै सदन को एक ही बात बताना चाहता हूं किइस बिल में ऐसी कोई बात नहीं हैं जो किसानो के अहित में हो। कई अपो ाीन के भाइयों ने यह भी कहा है। कि इस बिल के अनुसार तो किसानों

के बर्तन बिक जायेगे ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए अलग कानून बने हुए हैं किसी के भी बर्तन और मकान तो जो मुजारा होता है। जो जमीन का त करता हैं वह भी लोन ले सकेगा। यदि किसान गरीब आदमी के पास जमीन नहीं हैं ओर वह किसी किसान की जमीन बटाई पर का त करता है। तो वह अपनी फसल को दिखा कर लोन ले सकेगा। फिर भी मै माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अगर इस बिल से कोई दिक्कत आएगी तो बाद मे भी अमैडमैट हो सकती है। जब भी इस बारे में कोई कमी समझी जाएगी उस कमी को दूर किया जा सकता हैं (ाोर एव विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना हैं कि अब क्लाजिज ओर बिल को पास किया जाऐ।

SUB CLAUSED (2) OF CLAUSE1

Mr. Speaker: question is :-

That sub clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2TO 27

Mr. Speaker: Question is :-

That Clauses 2 to 27 stand part of the Bill.

The Motion was carried.

CLAUSES 28 TO 38

Mr. Speaker: In the order to save the time; if the House agrees, caluses 28 to 38 in respect of which some amendemnts have also been received may be considered together .

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Notices of 6 amendments have been received from Shri Om Parkash to Clause 28, 29, 31, 37 and 38 which will be deemed to have been read and moved together. At the conclusion of the discussion, however, each of the amendments and the clauses will be put to vote separtely.

CLAUSE 28

1. Proviso to sub-clause (6) of Clause 28 be deleted.

CLAUSE 29

2. Sub-clause (3) of Clause 29 be deleted.

CLAUSE 31

3. Subclause (3) of Clause 31 be deleted.

CLAUSE 37

4. In the sub-clause (2) of Clause 37 for the words "Registrar shall make rules," the words "Appex Society shallmake rules in consulation withthe Resgistrar,", be substituted.

5. Proviso to sub-clause (2) of Clause 37 be deleted.

CLAUSE 38

6. sub-clause (2) of Clause 38 be deleted.

चौधरी ओम प्रका ा (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल की क्लाज 28 की सब क्लाज (6) के बारे में कहना चाहता हूं। इस क्लाज के तहत इलैक्टिड मैम्बर्ज ओर नोमीनिटड मैम्बर्ज मे डिस्किमिने ान किया जाता हैं इसे वापस लेना चाहिए। क्योकि इस क्लाज की जरूरत नही है। जब नोमीनटिड मैम्बर दो से ज्यादा सोसायटीज में आ सकता है। तो इलैक्टिड मैम्बार क्या नहीं हो सकता । जबकि इस विपरीत इलैक्टिड मैम्बर के पास समय भी होता है। ओर नोमीनिटेड मैम्बर के पास समय की कमी हेाती है। जिस के पास समय की कमी होती है। उसके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्सन नहीं है। ओर जिसके पास समय होता हे। उसके लिए रिस्ट्रिक ान लगा दी है। नोमीनेटिड मैम्बर के पास समय इसीलिये नहीं होता क्योकि वह एक्स अफि ायों चेयरमैन भी होता है। ओर कई सोसाइटीज का मैम्बर भी होता है। मेरा कहना है। कि रिस्ट्रिक ान नोमिनटिड मैम्बर पर होनी चाहिए न कि इलैक्डिड मैम्बर पर। इसीलिये जो यह डिस्किमीनेसन हैं इसे दूर किया जाना चाहिए। इस क्लाज 28 की सब क्लाज (6) को डिलीट किया जाये। क्लाज 29 की सब क्लाज (3) ओर क्लाज 31 की सब क्लाज (3) के तहत भी सोसायटी का एम्पलाई होता हे। लेकिन अब एम्पलाई न होकर मैनेजिंग कमेटी का बोस होता है। स्टाफ के बारे में उसको पूरी पावर दे दी गयी हे। वह चाहे किसी भी एम्पलाई को पनिसमैट दे सकता है। उसकी सर्विस टरमिनेट कर सकता है। या दूसरी सजा दे सकता है। वह मैनेजिंग कमेटी के फैसले के

खिलाफ भी नोट दे सकता है। यदि पांच मैम्बरों का कोई फैसला हो ओर एक तरफ एम0 डी0 हो तो वह सारे केस को रजिस्ट्रार के पास भेज सकता है। यह सारी चीजें गलत है। ओर अन डैमोकेटिड है। इसीलिये इन दोनो क्लाजिज के तहत जो आर्बीट्रेरी पावर दी गयी है। वह वापस ली जानी चाहिए ओर जो पावर पहले ही है। वही रहनी चाहिए। इसी प्रकार से क्लाज 37 की सब क्लाज (2) है। इसमें लिखा है—

"when a mommon cadre is constituted under sub-Section (1) , the Registrar suhall make rules to regulate recruitement and the conditions of service o such employees, and their strength in consulation with the cadre society."

इसमे अकेले रजिस्ट्रार को ही रूल बनाने की पावर दी गयी है। जब सोसायटी मौजूद है। तो वे दोनों मिल कर कोई रूल क्यों नही बना सकते।

In my views the apex society should make the rules in consulation with the Registrar. रूल सोसायटी बना ले ओर रजिस्ट्रार से कंसल्ट कर लिया जाये। सारी पावर रजिस्ट्रार कर दे दी गयी तो फिर सोसायटी क्या करेगी? इस बिल के जरिए सारी पावर अकेले रजिस्ट्रार को दी जा रही है। उसके संबंध मे मेरा जवाब है कि अेकेल रजिस्ट्रार को एम्पावर नही करना चाहिए। एक आदमी गलत काम भी करता हे। उससे गलती भी हो सकती है रूल्ज बनाते समय रजिस्ट्रार को कंसल्ट कर लिया जाये।It should

be written that apex society shall make the rules in consulation with the Registrar.

जो ठीक बात है। उसको मानने मे सरकार को कोई हिचक होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्लाज 37 की सब क्लाज (2) की प्रोवइजो हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस के तहत रजिस्ट्रार को आर्बीट्रेरी पावर दी गयी है। इस मे लिखा है—

"Provided that the Registrar may add or delete any class of employees from the common cadre in consulation with the cadre society."

This proviso should be deleted.

मै कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार को ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। जो किया जा रहा है। वह अन डैमोकिटिक किया जा रहा है। इसीलिये इसे डिलीट किया जाना चाहिए। अब मैं क्लाज 38 की सब क्लाज (2) के बारे में कहना चाहूंगा इस संबंध में भी मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इसे बहुत जयादा पावर दी गयी हे। इसके तहत वह किसी भी तरह की डायरैक्सन इ ू कर सकता है। ओर ऐसी डायरैक्सन इ ू करते समय उसे सोसायटी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। इसीलिये यह क्लाज भी अन डैमोकेडिक ओर ओर इसे डिलीट किया जाना चाहिए। यदि ऐसी पावर रजिस्ट्रार को दी गयी तो जनता को बहुत भारी परे ानी होगी ओर एक प्रकार से जनता के साथ अन्याय होगा। इसीलिये मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इसे बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जायें

श्री हरि हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मेरी अर्ज है। कि 525 करोड़ रूपये की एक रा‍ि ा 135 करोड़ रूपये का लोन ओर 105 रूपये का भोयर यह सारा का सारा इकनोमिकस मैटर है। इस बिल के जरिए सारी पावर रजिस्ट्रार को दी गयी है। रजिस्ट्रार को पावर देने के साथ साथ इस बिल के अन्दर तो मुझे लाभ हानि की जो बात होगी उसकी जिम्मेदारी भी किसी पर फिक्स हो जाये। तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पावर तो एक आदमी को दे दी गयी लेकिन जिम्मेदारी किसी की फिक्स नहीं की गयी है। मै यह चाहता हूं कि जिम्मदारी भी साथ साथ किसी को फिक्स कर देनी चाहिए। यहां पर यह किया जाता हैं कि कोई मंत्री हाउस में बिल पें ा करता है। ओर हाउस उसे पास कर देता हैं जैसे यदि कोई क्रिमिनल ओफैस करता है। तो उसके खिलाफ धारा 107/151 या दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी प्रंकार से दूसरे केसो के लिये भी ला बने हुए हैं इसीलिये जहां हम किसी को पावर देते है। वहां पर यदि साईड बाई साईड आर्थिक पोजी ान पर भी ला बना दे तो पावर देने में कोई हर्ज नहीं है। ओ न ही ऐसा होने से कोई सोसायटी या कोई अन्डरटेकिंग फेल होती है। इस बिल में सबसे बड़ा लकुना तो यह है कि इस में जिम्मेदारी किसी की नहीं ठहरायी गई 1934-35 के अन्दर एक किसान हकूमत बना थी उसने एक गोल्डन एक्ट बनाया था। ओर 19 चीजो को एकदम एग्जैपट कर दिया था अब जो एक्ट बनाया जा रहा है। उसके मुताबिक आज ब्यूरोकेटिक म ीनरी ने फार्मर्ज का फिर से गला

पकड लिया है। कि मै पहले ही कह चुका हूं कि पावर बे ाक किसी को दे दो लेकिन इसके साथ साथ लाभ हानि की जिम्मेदारी भी किसी की लाजमी होनी चाहिए। आजकल इन सोसायटीज में करोडों रूपये का घपला हो रहा है। इसीलिये पावर के साथ साथ जिम्मेदारी भी किसी की फिक्स कर दे। इतनी बाते कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी हुकम सिंह फौगट (**दादरी**)ः अध्यक्ष महोदय, मै सरकारी समिति विधयेक पर जो अमैडमैट आयी हैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। इस बिल के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सहकारी समिति न बन कर सहकारी समिति रह गयी है। क्योकि सरकार जिसको चाहे नौमीनेट कर दे ओर जिसको चाहे हटा दे। इस बिल की किसी क्लाज के अन्दर कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आयी जिससे लोगों को कोई वि ोश फायदा हो। सर छोटु राम ने किसानों ओर मजूदरें को जो राहत दी थी वह राहत किसान को आज सरकार नहीं दी रहीं है। बल्कि मै तो यह कहूंगा कि एक तलवार आज हरिजन किसान ओर मजदूर के ऊपर सरकार ने लटका दी है। आज अगर एक गरीब किसान के पास रहने के लिए छोटी सी झोपडी है यदि उसको नीलाम कर दिया जाऐगा तो वह बेंचारा फिर कहां जायेगा। मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छी बात कही है। कि यदि किसी गरीब के पास किसी की जमीन सांझे पर हे। जो वह भी कर्जा ले सकता हे। एक तरफ तो बडे बडे दरबार लग रहे है। ओर सरकार 25 25 हजार रूपया दे रही

है। जिसकी कोई गारन्टी ओर कोई जमानत नहीं है। ओर दूसरी तरफ अगर किसी हरिजन ने या गरीब किसान ने हजार या दो हजार रूपया लोन ले लिया तो उसकी वसूली न होने पर फसल ही कुर्क कर सकती हे। मै मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल का सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बेचारा किसान मजदूर ओर हरिजन बेकार में मारा जायेगा ओर फिर वह किसी हाल का नहीं रहेगा। इस बिल में काफी खामियां हे। जिसको बाद में सरकार अमैडमैट के जरिए दूर करेगी। मेरा अनुरोध है कि जो अमैडमैट अब लाई गयी है उसे स्वीकार कर लिया जाये। हरियाणा एक कृशि प्रधान दे ा हे। यहां पर सारा मामला खेती पर हीं निर्भर हैं यदि कोई कहत पड जाये तो बेंचारा किसान कहां से कर्जा वापिस करेगा। जैसा अब इस विधेयक के जरिए किया जा रहा है। उससे तो किसान की झोपडी तक नीलाम हो जायेगी। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये।

18.00 बजे

डा0 ओम प्रका ा भार्मा(जगाधरी): स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि लोगो की तरफ जो लोन बकाया है। उसको रिकवर करे। जहां तक लोन की रिकवरी का संबंध हैं मै सिर्फ अम्बाला जिले की बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ड अम्बाला में अम्बाला सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैक लिमिटेड हैं इस बैक का 32 करोड रूप्या लोगों की तरफ रिकवरेबल हैं यह

रूप्या रिकवर नहीं हो रहा है। इसी तरह 20 करोड़ रूप्या लैड मोर्टगेज बैक अम्बाला का है। जा रिकवरेबल हैं लेकिन रिकवर हीं नही हो रहा है। मै मुंख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे इस रूपये को किसी तरह से रिकवर किया जाये क्योकि रिकवरी बहुत जरूरी है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में एक दिक्कत हमारे सामने आई है। हमने भारत सरकार से लोन लेना होता हे।ओर इस बिल क न पास होने से लोन लेने में कठिनाई आयेगी। इसीलिये मै सदन से पार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कर दें ओर हम 5 आदमियों की एक कमेटी बना देते हैं जो सिलैक्ट कमेटी होगी। यह कमेटी पूरी तरह से छानबीन कर लेगी ओर अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसे ठीक कर लेगी । वरना हमें दिक्कत आयेगी लोन नही ंमिलेगा ओर किसान सफर करेगा। पांच आदमियों मे से 2 सदस्य अपोजीशन की तरफ ओर 3 सदस्य हमारी तरफ से हो जाऐंगें। यह कमेटी जो कुछ अमैड करना चाहेगी उसकी रिकपेडेसन कर दे। हम बाई अमैडमैट कर देगें अपोजी ान की तरफ से एक सदस्य श्री बीरेन्द सिंह ओर एक चौधरी ओम प्रका ा जी हो जाएं तो ठीक है। हमारी तरफ से चोधरी बीरेन्दें सिंह कोअप्रेसन एडं डेरी डिवैल्पमैट मिनिस्टर फाइनैस मिनिस्टर ओर डा0 ओम प्रकास हो जायेगे। यह कमेटी जो रिकमैडसन करेगी उसके मुताबिक आडिनैन्स के द्वारा अमैडमैट कर देगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ओर इनके साथ इस बात से कनविन्स हो गये है। कि यह बिल जो लाया गया है। यह बहुत ज्यादा एंटी फार्मर है।

चोधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो रीजनेबल बात आयेगी हम उसको मानेगे इस में कोई एतराज वाली बात नहीं है।

श्री अंध्यक्ष: मेरे ख्याल में मुख्य मंत्री जी ने जो कहा यह जायज बात हैं। आप सब को हाउस को मान लेनी चाहिए। जब लीडर आफ दि हाउस ने यह अ योरैस दी है कि 5 आदमियो की यह कमेटी जो रिकमैडसेन देगी उसके मुताबिक आडिनेस ले आयेगे। और जो ठीक होगा उसी प्रकार बिल अमैड कर देगे। इससे ज्यादा वि वास की बात ओर क्या हो सकती है। मै मैम्बर साहेबान से रिकवैस्ट करूंगा कि वे कोआप्रेट करे।

बैठक का स्थगन

श्री वीरेन्द्र सिहं: स्पीकर साहब, आप 5 मिनट के लिए हाउस एडजर्न कर दीजिए ताकि हम आपस में सलाह कर ले ओर जिन मैम्बर्ज के दिल में कुछ खद ाा है। उसको दुर कर सके। आप कृपया 5 मिनट कि लिए हाउस एडजर्न कर दे।

मुख्य मंत्री (चोधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हमें कोई ऐतराज नहीं ये सलाह मि वरा करा ले।

Mr. Speaker: The House stands adjourned for five minutes.

(The Sabha then adjourned at 18.02 hours for five minutes and reasembled at 18.07 hours).

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, में मुख्य मंत्री जी से दोबारा दर्ख्वास्त करती हूं। ओर मैं इनसे यह आ वासन चाहती हूं कि पांच आदमियों की जो कमेटी बनायेगें वह कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे। कमेटी की जो रिकमैडेसन होगी उनको देखते हुए आडिनैस के द्वारा अमैडमैट कर दे। इनका यह कहना कि कर्जा नहीं मिलेगा हम इनके कर्जे के आगे नही आते लेकिन यह बिल किसान के खिलाफ हैं इसीलिये हम कह रहे है मुख्य मंत्री जी साफ साफ आ वासन दे कि नैक्सट सै ान आने से पहले पहले आडिनेस के द्वारा अमैडमैट कर देगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महादेय, बहिन जी को मेरी हाउस में कही हुई बात कर एतबार होना चाहिए। (विघ्न) अब तो कमेटी भी बना दी गई है उस कमेटी के मैम्बर्ज के नाम भी बता दिए गये है। अगर अब भी ये कोई नाम चेज करवाना चाहते हैं ो भी मुझे कोई एतराज नहीं है मै तो यह चाहता हूं कि यह कमेटी 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे। ज्यो ही रिपोर्ट आएगी उसके फौरन बाद ही जो अमैडमैट कमेटी ने सजैस्ट की होगी उनको आडिनेस के जरिए ऐन्फोर्स कर देगे ओर अगले सै ान मे बिल हाउस के सामने ले आयेगे।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, 15 दिन में तो रिपोर्ट तैयार नहीं होगी।

चोधरी भजन लाल: जितनी जल्दी हो सकती हो उतनी जल्दी कर दीजिए। (विघ्न) मै तो यह कहता हूं कि अगर आप 15 दिन के अन्दर अन्दर रिपोर्ट दे दे तो रिपोर्ट आने के फौरान बाद आर्डिनेस इ ू करवा देगे। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब......

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए अब बात खत्म हो गई हे।

श्री राम बिलास भार्मा: ....

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बिना जो कहा गया है। उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जैसा डा0 ओम प्रका ा जी ने कहा 15 दिन में तो यह रिपोर्ट तैयार नहीं होगी।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैने 15 दिन तो इसीलिये कहा था क्योकि इन्हीं को बहुत जल्दी थी। (विघ्न) जितनी जल्दी आप रिपोर्ट तैयार कर सके, कर दीजिए।(विघ्न) आप एक महीने के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।(विघ्न)

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to Clause 28 to the vote of the House.

Question is-

Proviso to sub clause (6) of Clause 28 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

that Clause 28 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 29

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to Clause 29 to the vote of the House.

Question is-

Sub-clause (3) of Clause 29 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 29 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 30

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 30 stand part of ths Bill.

the motion was carried.

CLAUSE 31

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to Clause31 to the vote of the House.

Question is-

Sub-clause (3) of Clasuse 31 be deleted.

The motion waslost.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 31 stand part of the Bill.

the motion was carried.

CLAUSE 32 TO 36

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 32 to 36 stand part of the Bill.

the motion was carried.

CLAUSE 37

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to Clause 37to the vote of the House.

Question is-

in the sub-clause (20 of clause 37, for the words. “Registrar shall make rules”, the words “Apex Society shall make rules in consulation with the Registrar”. be substituted.

Proviso to sub-clause (2) of clause 37 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 37 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 38

Mr. Speaker: Now I will put the amendment to Clause 38 to the vote of the House.

question is-

Sub-clause (2) of clause 38 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 38stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 39TO 132

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 39 to 132 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That Tilte be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Cooperative and Dairy Development Minister (Ch. Birender Singh): Sir, I beg to move-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

that the Bill be passed.

Mr. Speaker: question is-

That the bill be passed.

The motion was carried.

(ii) **दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैट अथोरिटी (अमैडमैट) बिल, 1984**

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे सर्वश्री मंगल सैन ओर हीरानन्द आर्य एम0 एल0 एज0 की ओर से दि हरियाणा अर्बन डिवैल्मैट अथोरिटी आडिनैस 1984 (हरियाणा आडिनेस नं0 3 आफ 1984) की डिस एप्रूवल का नोटिस मिला हे। अगर हाउस सहमत हो तो डिस एप्रूवल के नोटिस पर तथा बिल की कंसिड्रेसन मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाये। डिस्क ान के बाद इनके ऊपर अलग अलग मतदान होगा।

आवाजें: ठीक हैं जी।

Shri. Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

that this House disapproves the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 3 of 1984)

Mr. Speaker: Motion moved-

that this House disapproves the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 3 of 1984)

Chief Minister (**Ch. Bhajan Lal**): Sir, I beg to move-

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का विरोध करने के लिए खडा हूं । एक प्रजातांत्रिक दे ा मे जहां एक डैमोकेटिक प्रोसैस बना हुआ है। इस तरह से आडिनैस लाने की कोई आव यकता नहीं थी। इन्हे चाहिए था कि वे इस अमैडमैट को सै ान में लाते। इस तरह से आडिनेस के जरिए अमैडमैट करने की न तो कोई आव यकता थी ओर न ही ऐमरजेन्सी थी। यह तो साफ तौर पर अप्रजातांत्रिक तरीका हैं यह चूकि लोकतंत्र की भावना। के खिलाफ हैं इसीलिये हमने इसकी डिसऐप्रूल का नोटिस दिया है। आज सारे प्रान्त में जिस जिस जगह हाउसिंग कालोनीज बनी है। ये किसान की गरीब आदमी की जमीन को नौमिनल चार्जिज पर ऐक्वायर कर लेते हैं उसे बाजारी भाव पर ऐक्वायर नही किया जाता। इन्हे चाहिए था कि ये लैन्ड ऐक्विजि ान ऐक्ट मे अमैडमैट लाते ओर किसान को बाजारी भाव देने की कोई बात करते । लेकिन ये ऐसा नहीं करते। (विध्न) स्पीकर साहब, किसानों से मामुली रेट पर जमीन लेकर ज्यादा भाव पर बेचा जाता है। हाउस में ही बताया जाता हैं कि भाायद 75 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से पंचकुला में जमीन ऐक्वायर की गई ओर 14—15 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसे बेंचा गया। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में जगह जगह अनअथोराइज्ड कालोनीज बनी हुई है। उन अनअथोराइज्ड कालोनीज को रैगुलेट करने के लिए कुछ नहीं किया सकता । मै यह चाहता हूं कि एक तो ठीक ढंग से बनाया जाना चाहिए दूसरे किसानों को ठीक मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये दफा 4 और 6

के नोटिस तो जारी कर देते है। लेकिन किसान को समय से मुआवजा नहीं मिल सकता। मैं चाहता हूं कि इन्हें इसमें यह अमैडमैट करनी चाहिए। कि जब तक उन्हें मुआवजा न दिया जाएउस वक्त तक उन्हे कम से कम 18 परसैनट के हिसाब से इट्रैस्ट देना चाहिए। केवल 4 परसैन्ट इट्रैस्ट देकर उनके साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल थोडी जमीन होती है। लेकिन वही ऐक्वायर कर ली जाती है। ऐसे लोगों के लिए कानून में यह प्रोवीजन रखना चाहिए कि उस जमीन में से उनको भी प्लाट मिले। अध्यक्ष महोदय, मै तो यह कहूंगा कि बाद मे जिस रेट पर वह जमीन बिकती हैं उसी रेट के हिसाब से किसान को पैसा दिया जाये। पहले तो ये उसे सस्ते रेट पर बीघों के हिसाब से बेचते हैं अध्यक्ष महोदय सारे प्रान्त में सैकडों नहीं हजारों कालोनीज ऐसी है। जिनको कोई सुविधा उपलबध नहीं है। दूसरी तरफ कई कई सालो से यानी पांच दस साल में किसानेां की जमीन एक्वायर की हुई है लेकिन उन्हे आज तक पैसा नही मिला। मुझे भिवानी का पता हैं कि वहां पर लोगो की जमीन ली हुई है। ओर इसी तरीके से ओर जगहों की भी ले रखी हैं वह एग्रीकलचर लैन्ड थी लेकिन उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। वे लोग हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट मे भाग रहे है। लोगों को मुकदमों में पैसा खर्च्र होता हैं इधर सरकार का होता है। इस तरह से लाखों रूपया खर्च होता हैं अगर सरकार द्वारा भाुरू में ही उन लोगो को मार्किट कीमत दे दी जाये तो यह मुकदमेबाजी न हो। गरीब किसानों की वैल्यूएबल

जमीन होती है। ओर समय पर कीमत न दे तो कितनी गलत बात है। कीमत न देने के कारण वे बेंचारे तकलीफ भुगते फिरते है। यह हुड्डा के बारे में सरकार जो अमैडमैट लायी हे। मै उस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां पर काफी अनियमततायें हैं हुडडा को साल में आठ दस लाख रूप्या इस बात के खराब करना पड़ता है। कि कई अधिकारी वहां पद डैपुटेसन पर जाते हैं डैपुटेसन पर जाने वाले कर्मचारी या अधिकारी को 150–200 रूपया महीना अलग से पे करना पड़ता है।

श्री हरि हुड्डा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है पहले ये आडीनेस लाये। ये आर्डीनैस क्यो लाये थे जब कि सैसन आने वाला था जब चोधरी हीरा नन्द आर्य जी मिनिस्टर थे। उस समय 950 एकड़ जमीन का 70 लाख रूप्या जमीन वालों को दिया। 70 लाख रूपया देने के बाद क्या हुआ है। जब चौधरी भजन लाल की गवर्नमैट आ गई तो उसने जो बडे बडे आदमी हें उन आदमियों की जमीनें छोड दी। तो इस आर्डीनेस का क्या फायदा हे। एक तरफ तो 70 लाख रूपया देते हैं ओर दूसरी ओर अपने आदमियों की जमीनेां को छोड रहें है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कायदे कानून के मुताबिक चार साल से ज्यादा डैपुटे ान पर अधिकारी नहीं जा सकता लेकिन 4–4 और 8–8 साल से ज्यादा डैपुटेंसन पर बैठा रखे हैं डैपुटेसन पर बैठने के कारण जिस प्रकार का खर्चा वहां

पर पड़ता हैं वह ठीक नहीं है। मैं किसी के डैपुटेसन पर जाने को बुरा नही मानता लेकिन डैपुटेसन पर जाने के कारण साल का आठ दस लाख रूपया देना पडता है। जिसकी वजह से बुरा असर पडता है।

अध्यक्ष महोदय, मै सरकार से गजारि ा करूंगा कि जब कोई आर्डीनेस जारी हो वह एमरजेन्सी की हालत में हो। कांस्टीच्यूसन में प्रोवीजन है कि एमरजेन्सी की हालत में ही इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार हुड्डा के बारे मे अमैडमैट बिल लाई है। सरकार कहती हैं कि सुंप्रीम कोर्ट ने फूड कार्पोरसन आफ इंडिया को सन् 1981 में एक कम्पनी करार दे दिया हैं इसीलिये अमैडमैट लाये है। कि कभी हुड्डा को भी कमपनी करार न दे दिया जाये। अब इस अमैडमैट के थ्रू इसे लोकल अथोरिटी माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए चीफ मिनिस्टर साहब सारी बाते कलियर कर देंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यह बहुत छोटी सी अमैडमैट हैं आप जानते हे कि हुड्डा को सन्1977 में कायम किया गया था। उसके बाद जमीनें एक्वायर की गई ओर इसने अपना काम भाुरू कर दिया । लेकिन इतफाक से सुप्रीम कोर्ट ने एफ0 सी0 आइ0 के एक केस में फैसला दिया कि एफ0 सी0 आई0 एक कम्पनी है। जब एफ0 सी0 आई0 को सुप्रीम कोर्ट

ने कम्पनी करार दे दिया तो उसी आधार पर हम यह अमैडमैट लाये है। कि कभी हुड्डा को कम्पनी करार ने दे दिया जाये ओर जितनी जमीने हुडडा ने ऐकवायर की हैं तथा जो कुछ भी काम किया है। वह सारे का सारा इन वैलिड न हो जाये। इसीलिये 1977 से पीछे से यह अमैडमैट लागू करन कि लिए लाये है। कि सैसन इसी कारण से यह आर्डीनेस भी करना पड़ा था। यह बात ठीक है कि सेसन नजदीक था जल्दी नही करनी चाहिए लेकिन हालात के अनुसार यह करना पडा। आप जानते है कि जब केस हाईकोर्ट में हो तो केस लगने ही वाला हो तो बड़ी भारी अरजैन्सी हो गई इसीलिये आर्डीनेस करना पडा़ । मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई बड़ी लम्बी चोडी बात नहीं हैं । इस अमैडमैट से हुडडा को कम्पनी न मान कर लोकल सैल्फ गवर्नमैट की तरह से इसे भी लोकल अथोरिटी माना जाये। कोई वि ाेश लम्बी चौडी बात नहीं है। हीरा नन्द आर्य जी ने एक आपति की हैं कि जो जमीन एकवायर की जाती हैं उसकी कीमत समय पर नही दी जाती। मैने पीछे सवाल के जवाब में बताया था कि अधिकारियों को बाकायदा स्टैडिग आर्डर भेजे हैं यानी एल0ओ0 ओर डी0 सी0 को कि जिस किसी की भी जमीन एक्वायर की जाये उसे मार्किट रेट की कीमत मिलनी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि फरीदाबाद के इलाके में किसानेां को कितने अच्छे भाव मिले है। श्री महेन्द प्रताप जी से पूछो हमने किसानों को बहुत अच्छे भाव दिये हैं इसके अलावा इन्होनें अन अथोराइज कालोनीज के बारे में कहा । यह ठीक हैं अन अथोराईज्ड क्लोनियां है। अगर

कोई 20–25 साल से कही पर बैठा हैं ओर वहां मकान बना ले तो उसे छोडते हुए बडी तकलीफ होती हैं। आप जानते हैं ओर आर्य साहब भी महसूस करेगें कि प्रजातंत्र में किसी को उठाना कितना कठिन होता है। हमारी कोि ा ा हे कि उस कोलानी मे पानी सडके ओर बिजली का बन्दोबस्त करके उन्हें रैगुलर किया जा सके अब हम जिस भी जमीन को एक्वायर करते हैं जब तक उसकी कीमत नही दे देते पैसा नही दे देते तब तक कब्जा नहीं लेते है। अब पहले पैसा दे कर जमीन का कब्जा लेगे। हीरा नन्द आर्य जी ने भिवानी की जमीन का जिक किया कि मुआवजा नही ंदिया । मेरे ख्याल में तो कोई मुआवजा बाकी नहीं होना चाहिए। अगर बाकी है। तो बहुत जल्दी देने की पूरी कोि ा ा करेगे। हीरा नन्द आर्य जी ने डैपुटे ान की बात भी कही । हर जगह पर बहुत से आदमी लगाये जाते हैं ओर उनकी अवधि पांच साल तक होती है। ओर उसे बढाया जा सकता हैं डैपुटे ान पर तो लोग यू0 टी0 में ओर दूसरे दफतरेां मे जाते रहते है।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सैनस हो तो बेठक का समय 15 मिनट के लिए बढा दिया जाये?

आवाजें: जी हां, बढा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: हाउस की बैठक 15 मिनट के लिए एक्सटेन्ड की जाती है।

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैट अथोरिटी (अमैडमैट) बिल, 1984 (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल: इसलिए इस बात में कोई आपति नही ंहोनी चाहिए अगर किसी अधिकारी के बारे में कोई आपति हो, ि ाकायत हो तो बताये उसके बारे मैं जरूर विचार करेगे। अगर गलत अधिकारी है तो उसे ठीक करने की कोि ा ा करेगे। यह बहुत मायूसी सी अमैडमैट हें इसे स्वीकार किया जाये।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था ओर न ही किसी के डैपुटे ान पर जाने से मुझे किसी प्रकार की नाराजगी हैं मैं तो यह कहता हूं कि जो व्यक्ति डैपुटे ान पर जाता हैं उस को 150 रूप्ये महीने का डैपुटेसन अलाउन्स मकान का चार सौ रूपये किराया ओर दूसरी सहूलियतें देनी पड़ती हैं इस तरह से हुड्डा को आठ लाख रूपया देना पडता हैं इसमें फाइनैि यल इम्पलीकेसन होती हें डायरेक्ट रिकूटमेट क्यों नही की जाती हैं?

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा): स्पीकर साहब, मै समझती थी कि गवर्नमैट मेरी बात को मान लेगी लेकिन वह मानने के लिये तैयार नहीं। यह लैन्ड एक्वीजी ान एक्ट सन् 1894 का है। इस एक्ट के बारे में एक स्पै ाल बात मुझे याद हैं मेरे पास दिल्ली के लोग ओर दूसरे जगहों के लोग आए थे । यह उस समय की बात हैं जब मै एम0 पी0 थी गुडगांव ओर फरीदाबाद मैं भी कर आई

हूं। वहां के किसानेां ने मुझे बताया कि यह 1894 का एक्ट किसानेां के बडा भारी नुकसानदायक हैं जब दफा चार ओर छः के तहत नोटिफिके ान हो जाती हैं तो किसान उस जमीन को न रख सकता है और न ही बेच सकता है। उसकी कोई भी डिवैल्पमैट नहीं कर सकता। ऐसा होने से उसकी जमीन की कीमत कम हो जाती हैं। दस पन्द्रह साल गुजर जाने के बाद भी किसान वही कीमत मिलती हैं जिस दिन उसे दफा चार ओर छः का नोटिस मिला था मेरा कहना यह है कि इनको भारत सरकार को रिकमैन्ड करना चाहिए । कि जो 1894 का एक्ट हैं उस एक्ट को अमैड करना चाहिए। क्योकि यह बिल्कुल किसान के खिलाफ है। हुडडा के बारे मै तो मै यह कहना चाहती हूं कि भाायद ही इसने कोई ठीक काम किया हो। हुड्डा ने किसी भी गरीब आदमी को कोई मकान नहीं दिया। इसने बडे आदमी को कोठियां दी है। या इंडीसिट्रयल प्रैमिसिज को फायदा पहुचाया है। जमीन छोटे किसान की ली गई ओर फायदा बडे लोगों को पहुचाया गया। जब आप छोटे किसान की जमीन लेते हैं तो आप गारन्टी दीजिए कि छोटा किसान जिसकी दो एकड़ जमीन सरकार लेगी उसको प्लाट दिया जायेगा। उसके बच्चों को नोकरी दी जायेगी। आज हालत यह हैं कि छोटे किसान की लडकियां कोठियों मे घास खोदती हैं आप गुडगांव ओर फरीदाबाद में जाकर देखो। क्या आपने कोई आलटरनेटिव एम्पलामेट दी हैं क्या जिनकी जमीन ली हैं उनको कोई गारन्टी दी है। आप फाइल मगवा कर देख लीजिए। कि कितने लोगों की जमीन ली हैं ओर उनके क्या फायदा दिया है।

स्पीकर साहब, कुछ लोगों को सेफगार्ड करने के लिये अमैडमैट लाई जा रही है। आज हालत यह है कि हुड्डा किसान की जमीन कम कीमत पर लेता है ओर ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है।

चौधरी साहब सेनी (थानेसर): स्पीकर साहब, जब यह बिल इंट्रीडयूस हुआ था उस वक्त मेने कुछ बाते कही थी। मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा है कि हुड्डा को लोकल अथोरिटी बना रहे है। स्पीकर साहब, अब हुड्डा क्या करता हैं उसके बारे में बताना चाहूता हूं स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र जिले में कई गांव हैं जेसे रताल, देवी दास पुरा ओर सुन्दरपुर में जमीन ऐक्वायर । जिन गांवो को मैनें रैफर किया है उन गांवों की पंचायतों ने गवर्नमैट आफ इंडिया के एग्रीकलचर मिनिस्टर को ओर प्राइम मिनिस्टर को रिप्रिजैन्टे ान दिया ओर उसकी कुछ कापियां मुझे भी भेजी थी। मेने बागडी जी को वह भेज दिया । बागडी जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि किसानेां को पूरा कमपनसे ान नही मिल रहा हैं बागडी जी को प्राईम मिनिस्टर ने लैटर लिखा वह लैटर मैं पढकर सुना देता हूं इसमें लिखा है कुरूक्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा अर्जित भूमि के लिए बाजार कीमत पर मुआवजा न दिये जाने के संबंध मै आपका 18 फरवरी का पत्र मिला। मुख्य मंत्री हरियाणा को इस मामले की जांच कराके आव यक कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है।

मुंख्य मंत्री ने उनको पूरा कम्पनेस्सन देने का आ वासन दिया था लेकिन फिर भी पूरा कमपनेस्सन नही मिल

रहा है। ऐसा उन्होनें प्राईम मिनिस्टर को लिखा था यह प्राईम मिनिस्टर का असल लैटर जो बागडी जी ने भेजा उसको लेकर लोग डिप्टी कमि नर कुरूक्षेत्र को मिलें ओर उनको कहा कि आप मार्किट वैल्यू दीजिए। लेकिन उसके बावजूद 28 मार्च को सुन्दरपुर की जमीन चालीस हजार रूपए किल्ले पर ऐकवायर की जबकि वहां पर जमीन का भाव लाख डेढ लाख रूपए हैं वह डिप्टी कमि नर कहने लगा कि इस लैटर के क्या मायने हैं इसीलिए मुख्य मंत्री जी इस बात का ध्यान रखे कि जो जमीन ऐक्वायर हो रही हैं उसकी आज की मार्किट वैल्यू दी जाये।

स्पीकर साहब, मैं हुड्डा के बारे में एक बात ओर कहना चाहता हू कि जोगी राम एक एक्स सविर्समैन हैं उसने मिलिट्री में 17 साल नौकरी की हैं उसने डिफैन्स कालोनी कुरूक्षेत्र मै एक मकान बनाया था जे0ई0 ने उसको गलत नि ाानदेही लगा दी ओर कह दिया कि यहां पर मकान बना लो। वह जे0 ई0 कुछ लेना चाहता थां। लेकिन उसने नहीं दिया। हुड्डा ने चौबीस घंटे का नोटिस देकर उसका मकान डिमोलिस कर दिया। उस बेचारे कीसारी कमाई बरबाद हो गई । पचास हजार रूपया जो उसने कमाया था वह वेस्ट हो गया। अगर लोगों के साथ हुड्डा इस तरह से अन्याय करेगा तो यह कहां तक उचित है?

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हमें पूरी मार्किट वैल्यू देते हैं सप्लीमैटरी डिमाइन्ज अभी पास हुइ हैं उनमें कई केसिज ऐसे थें।

जिनमें छछः हजार रूप्ये एकड़ के हिसाब से किसानों को कम्पनेस ान दिया गया लेकिन हाई कोर्ट में ओर सै ान जज की कोर्ट में चौबीस पच्चीस हजार रूप्ये फी एकड़ के हिसाब से कम्पनेस ान दिया गया। मतलब यह हुआ कि तीन चार गुणा हाई कोर्ट की तरफ से कम्पनेस ान बढाया गया। गवर्नमैट की तरफ से पूरा कम्पनेस ान देने के बारे में कोई इंस्ट्रक ान्ज नहीं दी गई है। ओर इसी लिए किसानों को पूरी कीमत नही ंमिल रही है। स्पीकर साहब, मैं एक बात ओर कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि सिवरेज सिस्टम डाल दिया गया हे। मै जींद के बारे में बताना चाहता हूं कि जींद में अर्बन ऐस्टेट मैं इन्होने पाइप डाल रखी हें लेकिन डिस्पोजल का कोई इन्तजाम नही है। इतना पुरा हाल उस लोकेलिटी का हैं कि वहां आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस तरफ जयादा ध्यान देना चाहिए।

श्री महेन्द प्रताप सिंह (मेवला महारजपुर): स्पीकर साहब, मेरे भाईयों ने कहा है कि हुड्डा जमीन ऐक्वायर कर लेता हैं ओर किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं इसके बारे में थोडा सा क्लेरिफिो ान देना चाहता हूं । चंूकि इसका संबध फिलहाल जो जमीन ऐक्वायर की गई है। उससे हैं ओर वह मेरा इलाका है। मैने गवर्नर ऐड्रैस पर भी बोलते हुए कहा था किसरकार पहले दफा 4 का नोटिफिके ान करती है। ओर कुछ दिन बाद दफा छः का नोटिफिके ान करती हैं स्पीकर साहब, अगर छः साल के बाद भी मुआवजा दिया जाता जाए तो उसी

समय का जो भाव होता हैं वह दिया जाता हैं मै अपने भाइयों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं ओर चूकि यह मेरे जिले का मामला है इसीलिये मुझे इसकी जानकारी है। आज से छः सात महीने पहले वहां पर जमीन ऐक्वायर हो रही थी । वहां के लोगों को डेपुटे ान मुख्य मंत्री जी से मिला ओर इसके अन्तगर्त जो कमियां थीं। वे मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाई गई कि ये ये कमियां है। किसान के साथ न्याय होना चाहिए। मुख्य मंत्री जी नें फौरान इस बात को मान लिया कि यह बात जायज हैं ओर उसी वक्त वह एवार्ड रोक दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जमीन ही नही बल्कि पहाडी एरिया का मुआवजा भी 80–85 हजार रूप्ये के हिसाब से दिया गया। यह भी ऐलान किया गया कि जिस किसान की ज्यादा जमीन जी गई है। उसको बडा प्लाट दिया जायेगा। ओर जिसकी थोडी जमीन हैं उसको छोटा प्लाट दिया जायेगा। यह किसानौं के हित में सरकार का बड़ा सरहानीय ओर बेहतरीन कदम है। स्पीकर साहब, 1977 में तो इन भाइयों की हकमूत थी लेकिन उस वक्त ऐसा नही ंसोचा गया था।

श्री कंवल सिंह (धिराय): स्पीकर साहब, यहां पर दफा चार की बात आई। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जिस दिन हम जमीन की ऐक्वीजी ान करेगें उस दिन जो भी कीमत होगी वह कम्पनेस ान देगे। स्पीकर साहब, जिस दिन दफा चार की नोटिफिकेसन होती हैं उस एरिया में जमीन की कीमत गिर जाती है। गवर्नमैट को चाहिऐं कि वह लिमिट कर दे कि दफा चार की

नोटिफिके ान के बाद एक साल या छः महीने के अन्दर दफा छः का नोटिफिकेसन हो जाऐगा। ओर कम्पने ान किसान को फौरन मिल जाना चाहिए। ये मैम्बर्ज सरकार को लेने चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हुड्डा की जमीन अलौट नहीं होनी चाहिए। क्योकि अलोटमैट में फवेर की जाती हैं इसलियें मेरा कहना यह हैं कि हुड्डा की जमीन थू ओक ान दी जानी चाहिए जिससे कि फेवरटिज्म की गुजाइ ा न रहे।

Mr. Speaker: question is-

Mr. Speaker that this house disapproves the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance NO. 3 of 1984).

The motion was lost.

Mr. Speaker: question is-

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

the motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (2)

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

क्लाज 1 की सब क्लाज (2) बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (1)

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (1) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिग फारमूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइर्टल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुंख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिये ओर बढा दिया जाए ताकि एजेडे पर जो बिजनैस है उसे खत्म किया जा सके।

आवाजे: ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 15 मिनट के लिए ओर बढाया जाता है।

(iii) दि हरियाणा एफिलिएटिड कालोजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैडमैट बिल, 1984

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Haryana affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

डा0 भीम सिंह दहिया (रोंहट): स्पीकर साहब, यह जो बिल एक्ट की सैकशन दो की अमैडमैट के लिये यहां पर लाया गया हैं मैं इसको विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वेसे तो इसकी इन्टैन्‍ ान अच्छी हैं लेकिन पहले कई ऐसे केसिज हो चुके हैं कि जो ऐफिलिएटिड कालेजिज थे उनकी ग्रान्ट बन्द कर दी गयी थी । मेराइस बारे मे सुझाव यह है कि ऐसे कालेजिज की मैनेजमैट के खिलाफ ऐक ान होना चाहिए। क्योकि उनके आपसी झगडें के कारण ग्राउन्ड वगैरह बन्द हो जाती हैं इसका असर वहां के अध्यापको पर पड़ता हैं उनकी तनख्वाहें बन्द हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कसूर तो कोई करता है ओर

सजा किसी दूसरी को मिलती है।। जैसे किसी मैनेजमैट ने गलत तरीके से या सही तरीके से किसी एम्पलाई को निकाल दिया तो वह आदमी पोलिटीकल जो से गांउन्ड वगैरह बन्द करवा सकता हैं जिसका असर बेचारे टीचर्ज पर पडता है। मै आपको एक कालेज का इन्सटानस बतलाता हूं किसी एक प्रिंसीपंल महोदय को रोहतक के कालेज से किसी कारणव ा निकाल दिया उसने पोलिटीकल इफलूऐन्स से तीन साल तक जाट कालेज रोहतक की गग्रंट बन्द करवा दी । इसी तरह से सी0 आर0 कालेज सोनीपत ओर जींद के एक कालेज की गांटस भी बन्द करवा दी है। आप अन्दाजा लगाएं कि तीन सालों से इन कालेजो के टीचर्ज को तनख्वाह नही मिली। आखिर उन टीचरों का क्या हाल होगा जिनके कुटुम्ब हैं क्या वे बच्चो को पढायेगो। ओर क्या वे बच्चों का ख्याल रखेगे। कसूर तो किसी का ओर बिजली किसी पर गिरती है। मेरे विचार में तो इस सैक ान की अमैडमैट की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसा कोई कानून बनायें जिससे कि कालेजो की ग्रंाट बन्द न हो ओर टीचर्ज इफैक्टिड न हो अगर कोई ऐक्सन भी लेता हो तो मैनजमैट पर ही लिया जाए। मैनेजमैट को सस्पैड किया जा सकता है। सुपरसीड किया जा सकता है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाये जा सकते हैं लेकिन टीचर्ज को किसी तरह का नुकसान नही होना चाहिए। जब भी स्पीकर एसे ऐक्ट बने हैं तो टीचर्ज इफैक्टिड हुअ हैं टीचर्ज को तनख्वाहें नहीं मिली। इसीलिये मैं स्ट्रोगैस्ट भाब्दों में सरकार से अुनरेध करता हूं कि ऐसी अमैडमैट लाने की बजाय ऐसा बिल लाया गया जिससें कि एफिलीएटिड कालेजों की ग्राटस

बन्द न हो ओर न ही टीचर्ज इफैकटिड हां अगर कोई भी सदा किसी किस्म की देनी हो तो मैनेजमैट को ही दी जाये।

ि ाक्षा राज्य मंत्री (जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, दहिया साहब ने यहां पर बोलते हुए इस अमैडमैट का विरोध नही किया लेकिन उन्होनें केवल कोलजों की ग्रंाटस बन्द किये जाने के बारे में पुरे विचार के यहां पर चर्चा की है। कि इस तरह से ग्राटस बन्द न की जाये। स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा में 90 के द ाक के करीब प्राइवेट कालेजिज हैं। किसी भी कालेज की ग्राट तब तक बन्द नही की जाती जब तक किसी मैनजमैट में किसी प्रकार काी कोई अनियमिताऐ न हुई हो। किसी मैनेजमैट का आपस में झगडा हो गया हो या कोई ओर कारण हो गया हो जैस ऐजुके ान डिपार्टमैट की डायरैक ान्ज पर किसी मैनेजमैट ने फंक ान न किया हो। केवल इन्ही हालातों में ग्रान्टस बन्द की जा सकती है। जिन कालेजों का डाक्टर साहब ने किया हो सकता हैं कि उनकी मैनेमैट ने ऐजुके ान विभाग की डायरैक्सन के अनुसार काम न किया हो। या आपस में किसी प्रकार का कोआप्रे ान न रहा हो या कोई ओर कारण हुए हो। वैसे पोलिटिकल इंटर फीयरैन्स किसी का नही रहा है। बिना ऐसे कारणों के किसी भी कालेज की गांटस बन्द नही की जा सकती । ऐसे कालेजों में अब हमने एडमिनिस्ट्रेटेर नियुक्त कर दिये। कैथल में कर दिया हैं ओर भी दूसरे कालेजों में इसी प्रकार का प्रबन्ध किया जा रहा है। ताकि जो मैनेजमैट पद आपस का झगडा हे वह

आगे से न होने पाए और टीचर्ज को किसी प्रकार का नुकसान न हो। वैसे झगडे हो भी जाते है और लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं लेकिन हमने इन झगडों से निपटने के लिये भी पूरे प्रबनघ किये है। ताकि किसी भी प्रकार का कालेजो में कोई आपसी मतभेद न हो। स्पीकर साहब, ज्यादा न कहता हुआ मैं सदन से इस बात का अनुरोध करूंगा कि यह जो अमैडमैट आई है इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

the motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि क्लाज 1 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनेक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाईटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाक्षा मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iv) **दि पंजाब लैड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1984**

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लक्षमण दास अरोड़ा): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि पंजाब लैड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब लैड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाय।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, इस अमैडमैट की नौबत इसीलिये आई कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि रैवेन्यू कोर्टस/आफिसिज में प्रैक्टिस करने वाले पैटी ान राइटर्ज के लिए अलग से रूल बनाये जाऐ। इससे एक नई बात ओर खडी हो गई है। अब अगर कोई पैटी ान राइटर रैवेन्यू ओर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिये डबल

ऐजेन्सी हो जाती है। सिविल के लिए उस हाई कोर्ट से लाईसैन्स लेना पडेगा ओर रैवेन्यू के लिए रैवन्यू कोर्ट से लाईसेन्स लेना पडेगा । तो अच्छा तो यह होता कि इस अमैडमैट की बजाये ये पंजाब कोर्टस एक्ट, 1918 मे अमैडमैट करते। इसके लिये मैने एक अमैडमैट दी थी जोकि इस प्रकार थी–

Section 2 be substituted as under-

2. After section 154 of the Punjab Land Revenue Act 1887 (herein before sectioin after referred to as the principle Act), the following section shall be inserted namely:-

154.A. Licensing of pettion writers- No person shall pratise as a petition writer in a Revenue Court or a Revenue office unless he has obtained a license under the Punjab Courts Act, 1918 and Section 3 be omitted.

Mr. Speaker: that has been disallowed.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैने जो बात कही है। अगर सरकार मान ले तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं कि–

दि पंजाब लैड रैवेन्यू (हरियाणा अमैडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे सर्वश्री मंगल सेन, राम बिलास भार्मा, देवी दास ओर ि ाव प्रसाद एम0 एल0 एज0 की ओर से इस क्लाज पर अमैडमैड के नोटिस मिले है। वे कृपया अमैडमैट मूव करे। None of these members is present. Hence the amendment is not moved. I will put the clause to the vote of the House.

प्र न हैं–

कि क्लाज 2 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि क्लाज 3 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

कि क्लाज1 बिल पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनेक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

कि टाईटल बिल का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लक्षमण दास अरोड़ा)ः स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न हैं–

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(v) दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1984

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हम यह बिल वापिस लेना चाहते हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

आद्योगिक विवाद (हरियाणा सं ाोधन) विधयेक, 1984 को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैडमैट) विधयेक, 1984 को विद्डा लेने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं–

दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस (हरियाणा अमैडमैट) विधयेक, 1984 को विद्डा लेने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल दिनांक 3.4.1984 प्रातः 9.30 बजे तक एडर्जन किया जाता हैं।

18.57 बजे

(तत्प चात सदन दिनांक दिनांक 3.4.1984 प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)